कारपोरेट कार्यालय
4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क,
टावर 1, प्लाट नं. 3,
सेक्टर नॉलेज पार्क–तृतीय,
सूरजपुर–कासना मेन रोड
यूपी–201306
फोन नं 0120-2977245
ईमेल co@nhdcltd.co.in

पंजीकृत कार्यालय :
10वीं मंजिल, विकासदीप,
22 स्टेशन रोड, लखनऊ–226 001

रा ह वि नि
NHDC

Corporate Office :-
Wegmans Business Park
Tower 1, Plot No.3, KP-III
4th Floor, Surajpur Kasna Road
Greater Noida, 201306
Phone : 0120-2977245
E-mail : co@nhdcltd.co.in

Registered Office :-
10th Floor, Vikas Deep,
22 Station Road, Lucknow 226 001

www.nhdcltd.co.in

33वां वार्षिक रिपोर्ट
33rd Annual Report

2015-2016

रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Govt. of India Undertaking)

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री अलोक कुमार, आईएएस
Shri Alok Kumar, IAS
अध्यक्ष
Chairman
विकास आयुक्त (हथकरघा)
Development Commissioner (Handlooms)

श्री आर.वी.एस. मणि
Shri RVS Mani
उप–सचिव (आईएफडब्ल्यू)
Dy. Secretory (IFW)

श्री सर्वेपल्ली श्रीनिवास
Shri Sarvepalli Srinivas
प्रबंध निदेशक
Managing Director

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
Key Managerial Personnel

श्री शक्तिवेल पेरूमालसामी
Shri Sakthivel Perumalsamy
अधिशासी निदेशक (वाणिज्य)
Executive Director (Commercial)

श्री नवीन कुमार गुप्ता
Shri Navin Kumar Gupta
अधिशासी निदेशक (वित्त)
Executive Director (Finance)

एम0ओ0यू0 हस्तांक्षरण 2016–17 – श्रीमति रशमी वर्मा, सचिव (वस्त्र) और श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक, रा0हा0वि0नि0 की उपस्थिति में श्री आलोक कुमार, विकास आयुक्त (हथकरघा), श्री एम.सी. गुप्ता, अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) और रा0हा0वि0नि0 के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण

The MoU 2016-17 signed between Smt. Rashmi Verma, Secretary (Textiles) and Shri Sarvepalli Srinivas, MD, NHDC in presence of Shri Alok Kumar, Development Commissioner (Handlooms), Shri M C Gupta, Addl. Development Commissioner (Handlooms) and other senior officials of NHDC

33ok okf"kd fjikVl 2015&2016

33rd Annual Report 2015-2016

रा ह वि नि

NHDC

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM

¼Hkkjr ljdkj dk miØe½

National Handloom Development Corporation Limited

(A Govt. of India Undertaking)

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

y{;

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

uSxfed mn~ns';

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।

2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।

3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्मयों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिलें।

4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।

5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृति मे प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

Mission

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

निदेशक मंडल (30.09.2016)

Jh vkyksd dqekj ¼v/;{k½
विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

Jh vkj-oh-, l- ef.k
उप सचिव, आई.एफ.डब्ल्यू., वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

Jh loiYyh Jhfuokl ¼ic/k funs'kd½
विकास आयुक्त (हथकरघा)
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

Jh t; xkiky egktu
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

lfpoh; y[kk ijh{kd
सीएस प्रगति गुप्ता, लखनऊ

lkfof/kd y[kk ijh{kd
मैसर्स ए. श्रीवास्तव एंड कंपनी
चार्टेड एकाउन्टेन्ट्स, लखनऊ

'kk[kk y[kk ijh{kd
मेसर्स जेकब एंड जॉर्ज, कन्नूर
मेसर्स मिश्रा एंड मिश्रा, कोलकाता
मेसर्स कृष्णा अनुराग एंड कंपनी, वाराणसी
मेसर्स जे.के. वर्मा एंड कंपनी, पानीपत
मेसर्स डी.के. राव एंड एसोसिएट्स, हैदराबाद
मेसर्स जीजीए एंड एसोसिएट्स, कोयम्बटूर

ie[k cSd l
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एच.डी.एफ.सी. बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एक्सिस बैंक

ithd`r dk;kZy;
10वां एवं 11वां तल, विकास दीप,
22, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
सी.आई.एन. नं. : U17299UPI983GOI005974

Board of Director (As on 30.09.2016)

Shri Alok Kumar Development Commissioner (Handloom) Ministry of Textile, Govt. of India	**(Chairman)**
Shri R.V.S. Mani Dy. Secretary, I.F.W. Ministry of Textile, Govt. of India	
Shri Sarvepalli Srinivas	**(Managing Director)**
Shri Jai Gopal Mahajan Company Secretary and Dy. General Manager (F & A)	

Statutory Auditors
M/s. A. Srivastava & Co.
Charted Accountants, Lucknow

Secretarial Auditors
CS Pragati Gupta,
Practising Company Secretary, Lucknow

Branch Auditors
M/s. Jacob & George, Kannur
M/s. Mishra & Mishra, Kolkata
M/s. Krishna Anurag & Co., Varanasi
M/s. J.K. Verma & Co. Panipat
M/s. D.K. Rao & Associates, Hyderabad
M/s. GGA & Associates, Coimbatore

Principal Bankers

Indian Bank	United Bank of India
Union Bank of India	Indian Overseas Bank
HDFC Bank	Axis Bank
Punjab National Bank	

Registered Office
10th & 11th Floors, “Vikas Deep”
22-Station Road, Lucknow - 226 001
CIN No.: U17299UP1983GOI005974

rrh lok ¼33ok½ okf"kd lk/kkj.k lHkk dh lpuk

एतद्‌वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्यों को सम्पादित करने हेतु निगम की 33वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (शुक्रवार) अपराह्न 12.00 को 10वीं मंजिल, विकास दीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ – 226001 में होगी।

1. वर्ष 2015–16 के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन, संपरीक्षित स्थिति पत्रक, लाभ–हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन को प्राप्त, विचार और उसे अंगीकार करना।

2. निदेशकों की नियुक्ति, अगर कोई

3. लाभांश की घोषणा

fun'kd eMy d vkn'k
jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM

g0
¼t; xkiky egkt u½
dEiuh lfpo

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 29 सितम्बर, 2016

fVIi.kh %

सदस्य को बैठक में भाग लेने, मत देने व प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है जो उसके स्थान पर मत दे सके तथा यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रतिनिधि निगम का सदस्य हो।

lok e
v'k/kkj.k@lkfof/kd y[kk ijh{kdx.k@lfpoy;h y[kk ijh{kdx.k

Notice for Thirty Third Annual General Meeting

Notice is hereby given that the Thirty Third Annual General Meeting of the Corporation will be held on 30th Sept.' 2016 (Friday) at 12.00 noon at 10th floor, Vikas Deep, 22-Station Road, Lucknow – 226 001 to transact the following business :-

1. Receiving, considering and adopting the Directors' Report, audited Balance sheet, Statement of Profit & Loss, Statement of Change in Equity, Cash Flow statement and Auditor's report for the year 2015-16.
2. Appointment of Directors, if any.
3. Declaration of Dividend.

By the order of the Board of Directors
National Handloom Development
Corporation Ltd

Sd/-
(Jai Gopal Mahajan)
Company Secretary

Place: Lucknow
Date: 29th Sept.' 2016

NOTE:

1. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and a proxy need not be a member of the corporation.
2. Written consent of all members under Article No.66 of the Articles of Association of the Company read with Section 101(1) of the Companies Act, 2013 for calling Annual General Meeting at Shorter Notice, is being received.

To,
The Shareholders/ Statutory Auditors/ Secretarial Auditors.

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य 2

निदेशक मंडल 4

तैतीसवां (33वां) वार्षिक साधारण सभा की सूचना 6

अध्यक्ष का भाषण 10

निदेशक की रिपोर्ट 16

निदेशकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 46

कॉरपोरेट अभिशासन प्रमाण–पत्र 68

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट 70

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 102

लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट का अनुलग्नक 116

कंपनी अधिनियम, 2016 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 138

okf"kd y[k

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 140

तुलन पत्रक 146

लाभ एवं हानि का विवरण 148

लेखाओं पर टिप्पणियाँ 150

इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ 192

नकदी प्रवाह विवरण 194

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार सूचना 196

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	3
Board of Directors	5
Notice for Thirty Third Annual General Meeting	7
Chairman's Speech	11
Directors' Report	17
Annexure to Director's Report	47
Corporate Governance Certificate	69
Secrerarial Auditor's Report	71
Auditor's Report	103
Annexure to Auditor's Report	117
Comment of Controller & Auditor General of India under section 143(6) of the Company Act, 2013	139
Annual Account	
Significant Accounting Policies	141
Balance Sheet	147
Statement of Profit & Loss	149
Notes on Account	151
Statement of Change in Equity	193
Cash Flow Statement	195
Information Pursuant to Schedule III to Company Act, 2013	197

अध्यक्ष का भाषण

fç; 'k;jèkkjdk]

मुझे आप सभी का निगम की 33 वीं वार्षिक आम बैठक में स्वागत करने पर अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। एजीएम, बैलेंस शीट और 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का नोटिस आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है और आपकी अनुमति से उसे मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूं। मेरा विचार है कि आपको संबोधित करने और निगम के निष्पाआदन पर अपने दृष्टिकोण और भावी परिदृश्य को साझा करने का मुझे विशेषाधिकार है।

fu"iknu fooj.k

आपके निगम ने वर्ष 2015–16 के दौरान 2406.04 करोड़ रु. (पूर्ववर्ती वर्ष में 2216.96 करोड़ रु. का कारोबार किया है। कर के पश्चात निवल लाभ पूर्ववर्ती वर्ष में 25.40 करोड़ रु. की तुलना में थोड़ा घटकर वित्त वर्ष 2015–16 में 24.08 करोड़ रु. हुआ है।

आपके निगम ने लाभांश पूर्ववर्ती वर्ष में 5.11 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान 7.31 करोड़ रु. देने की सिफारिश की है।

यह संतोषप्रद है कि आपका निगम एक ऋण मुक्त संस्थान है और ट्रेजरी के कार्यकरण की इतनी अच्छी व्यवस्था की गयी है कि संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा कर लिया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का बोझ नहीं पड़ता, जोकि निगम के अल्प योगदान को देखते हुए आशा की किरण है।

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all to the 33rd Annual General Meeting of the Corporation. The notice convening the AGM, Balance Sheet and Directors' Report for the year ended 31st March 2016 are already with you and with your permission, I take them as read. I consider it as my privilege to address and share my views on performance of the Corporation and future scenario.

PERFORMANCE OVERVIEW:

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 2406.04 crore (Previous year – Rs. 2216.96 crore) during 2015-16. The net profit after tax has decreased slightly to Rs. 24.08 crore in FY 2015-16 as against Rs. 25.40 crore during the previous year.

Your Corporation has recommended a Dividend of Rs. 7.31 crore for the year 2015-16 as against Rs. 5.11 crore during the previous year.

It is a matter of great satisfaction that your Corporation is a debt free Corporation and the treasury functions are so well managed that the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation, which is the silver lining, considering the thin contribution margins of the Corporation.

Hkkoh ifj–';

अंतिम दशक में हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की गयी हैं। वित्त वर्ष 2006–07 के दौरान, डीसी (हथकरघा) कार्यालय ने डिपो स्कीम को संशोधित किया था, जिसमें परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति को समान स्तणर पर रखते हुए डिपो के प्रभारों को 1% से बढ़ाकर 2.5% (वर्तमान में 2:) किया गया था। इसके अतिरिक्त, हथकरघा क्षेत्र की लागत संबंधी हानि को कम करने के लिए डीसी (हथकरघा) कार्यालय ने कपास लच्छी (हैंक) के धागों और घरेलू रेशम धागों पर 10% मूल्य सब्सिडी दी है, जिसे सूत आपूर्ति स्कीम (वाईएसएस) के तहत हथकरघा क्षेत्र को वितरित किया जाना है और 06 जनवरी, 2012 से रेशम व जूट को छोड़कर अन्ये धागों पर परिवहन खर्चों की प्रतिपूर्ति को भी 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। 17 जनवरी, 2014 से ऊनी धागों पर भी 10% मूल्य सब्सिडी की अनुमति भी दी गयी है।

निगम ने संगठनात्मक पुनर्गठन भी शुरु किया है तथा और अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिक से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों का पुनर्वितरण किया गया है। इससे कारोबार वित्त वर्ष 2006–07 में 417.16 करोड़ रु. से केवल 10 वर्षों के अंतराल में Ng x|.kk c<dj foÙk o"k 2015&16 e। 2]406-04 djkM #- gk x;kA

निगम कुल उत्पादन का लगभग 21% लच्छी सूत (हैंक यार्न) की आपूर्ति कर रहा है और अप्रयुक्त हैंक यार्न की आपूर्ति की शेष 79% की प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा व्यवसाय संबंधी अवसर है। इस विशाल व्यवसाय संबंधी अवसर की उपलब्धता आपके निगम और अधिक आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी बनाता है। तथापि, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और आक्रामक तरीके से अधिक व्यववसाय संबंधी अवसरों को खोजने की आवश्यकता है। वाराणसी में रंग और रसायन (डाइज ऐंड केमिकल्सं) के 100 ग्राम के पाउच का शुरु किए जाने से बुनकरों को संवर्द्धित लागत पर एजो मुक्त और गुणवत्तोपूर्ण सामग्री की आपूर्ति सक्षम हुई है। इसे अन्य हथकरघा समूहों में दोहराया जा रहा है जिससे रंगों व रसायनों के व्यहवसाय विभागों (पोर्टफोलियों) मे विस्तार हो रहा है।

vkrfjd fu;=.k ç.kkyh vkj mldh i;kIrrk%

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण संबंधी एक प्रणाली विकसित की है। आंतरिक नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षिकों को आवश्यककतानुसार नए जांच बिंदु भी सुझाए जाते हैं। निगम की आंतरिक लेखा–परीक्षा निगम के आंतरिक लेखा–परीक्षक दल और साथ ही, बाह्य

FUTURE SCENARIO:

The last decade has seen path breaking initiative to provide support to the handloom sector. During the FY 2006-07, the office of DC (Handlooms) has revised the depot scheme, wherein, the depot charges were increased from 1% to 2.5% (presently 2%) keeping the transportation reimbursement at similar level. Further, in order to mitigate the cost disadvantage of handloom sector, the office of DC (Handlooms) has allowed 10% price subsidy on cotton hank and domestic silk yarn to be distributed in the handloom sector under Yarn Supply Scheme (YSS) and also increased the transportation re-imbursement on yarn other than silk & jute from 1% to 2.5% w.e.f. 06th Jan., 2012. The 10% price subsidy has been allowed on woollen yarn as well w.e.f. 17th Jan., 2014.

The Corporation has also undertaken organisational restructuring and redeployed more and more officers and staff to the field offices to generate more business. This has resulted in increase in turnover from Rs.417.16 crore during the FY 2006-07 to Rs. 2406.04 crore during the FY 2015-16, **increasing it six folds just in a span of 10 years**.

The Corporation is supplying approximately 21% of the total hank yarn production and there is a huge business opportunity to capture the remaining 79% of the untapped hank yarn supplies. The availability of this huge business opportunity makes your Corporation more confident and ambitious. However, we need to gear up further and aggressively look for more business opportunities. Introduction of 100 gms. pouches of dyes & chemicals in Varanasi, enabling supply of azo free and quality material at incremental cost to the weavers. This is being replicated in other handloom clusters thus expanding the business portfolio of dyes and chemicals.

INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The Corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the Corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of the Corporation is conducted by the internal audit team of the Corporation as well as outside independent Chartered

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। लेखा–परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा–परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आंतरिक लेखा–परीक्षा विंग और बाह्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

d,jiksjsV vfHk'kklu

आपका निगम विश्वाास करता है कि अच्छी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी परंपराएं दीर्घावधि में सभी पणधारकों के लिए संपत्ति् का सृजन करती हैं। निगम द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी परंपराओं पर रिपोर्ट का अनुसरण किया जा रहा है और प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में आपको प्रस्तुत की जाती है।

vfHkLohÑfr

किसी भी उपलब्धि को मानव योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं अपनी तथा बोर्ड की ओर से अपने प्रतिबद्ध और सक्षम कर्मचारियों के कठिन परिश्रम की प्रशंसा करता हूं, जिनके यथार्थ और सतत प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं बोर्ड के सदस्यों, अंशधारकों, कपड़ा मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सांविधिक और शाखा लेखा–परीक्षकों को उनके सतत मार्ग–दर्शन और समर्थन का आभारी हूं। मैं विभिन्न बैंकरों, प्रयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों व रसायनों (डाइज ऐंड केमिकल्सि) के निर्माताओं और व्यवसाय सहभागियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आपके निगम में अपना विश्वास जताया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके सतत सहयोग की आशा करता हूं।

दिनांकः 29 सितम्बर, 2016
स्थानः नई दिल्ली

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष

Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the Corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that good corporate governance practices in the long term leads to creation of wealth to all the stakeholders. A report on corporate governance practices, being followed by the Corporation and management discussion and analysis report are placed before you as Annexure to the Directors' Report.

ACKNOWLEDGEMENT:

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on my behalf and on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded 'Good' results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG auditors, Statutory and Branch Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

Dated: 29 September, 2016 (Alok Kumar)

Place: New Delhi. Chairman.

fun's'kdk dh fjiksVZ

सेवा में,

अंशधारक,

आपके निदेशकों को वित्त. वर्ष 2015–16 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कार्यकरण पर 33वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष की अनुभूति हो रही है।

1- foÙkh; ifj.kke

(लाख रु. में)

	2015&16	2014&15
बिक्री कारोबार	240604.43	221696.30
करों के भुगतान के पश्चात लाभ	2407.93	2540.00
fofu;ksxu %		
● प्रस्तावित लाभांश	731.00	511.00
● लाभांश पर निगम कर	148.82	104.03
● विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	47.00	24.30
● सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल कोर्पस के लिए स्थानांतरण	38.60	18.39
● कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुप्रयोगी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन	–	11.14
फ्री रिजर्व एवं अतिरेक	6330.51	4888.00
कुल रिजर्व	6427.39	4952.08

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान फ्री रिजर्व एवं अतिरेक के लिए 1442.51 लाख रुपए की राशि रखी गई थी (पूर्व वर्ष – 1871.14 लाख रु.)। आलोच्य वर्ष के दौरान निगम के व्यापार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

2- le>kSrk Kkiu ds vUrxZr dk;Z fu"iknu jsfVax %

आपके निगम के प्रदर्शन को वर्ष 2014–15 के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा 'mR—"V* का दर्जा दिया गया है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) मापन मानदंड के आधार पर वर्ष 2015–16 के लिए भी आपके निगम को ^mR—"V* रेटिंग प्राप्त हुई है।

3- ykHkka'k%

आपके निगम ने 731 yk[k #- ds ykHkka'k की अनुशंसा की है जोकि कर के पश्चात प्राप्त लाभों का 30.36% तथा निवल मूल्य का 8.88% है।

DIRECTORS' REPORT

To,

The Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the Thirty Third Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2015-16.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in lac)

	2015-16	2014-15
Sales Turnover	240604.43	221696.30
Profit after tax	2407.93	2540.00
Appropriations:		
• Proposed dividend	731.00	511.00
• Corporate tax on dividend	148.82	104.03
• Reserve for Developmental Activities	47.00	24.30
• Transfer to Post Retirement Medical Corpus	38.60	18.39
• Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	-	11.14
Free reserve & surplus	6330.51	4888.00
Total reserve	6427.39	4952.08

The amount carried to free Reserve & Surplus during the FY 2015-16 is Rs. 1442.51 lac (Previous Year - Rs.1871.14 lac). There is no change in the nature of business of the corporation during the year under review.

2. PERFORMANCE RATING UNDER MOU:

The performance of your Corporation has been rated as **'Excellent'** by the Department of Public Enterprise (DPE) for the year 2014-15. The performance of your corporation qualifies **'Excellent'** rating based on the Memorandum of Understanding (MOU) measurement criteria, for the year 2015-16 also.

3. DIVIDEND:

Your Corporation has recommended a **dividend of Rs. 731 lac,** which is 30.36% of post tax profits and 8.89% of Net Worth.

4- gFkdj?kk ifj–';%

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है और यह ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग है जो 43 लाख बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है।

भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैः–

¼1½ jk"Vh; gFkdj?kk fodkl dk;Øe ¼,u,pMhih½ %

हथकरघों के विकास के लिए एनएचडीपी को केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के निम्नरलिखित घटक हैंः–

¼d½ gFkdj?kk {k= d fy, iu#)kj] lekkj ,o iu ljpuk ¼vkjvkjvkj½ idt %

दिनांक 31 मार्च, 2010 तक की स्थिति के अनुसार आरआरआर पैकेज में 100% मूल राशि तथा 25% के ब्याज वाले अतिदेय ऋण की छूट तथा पात्र शीर्षस्थ एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं वैयक्तिक बुनकरों को दी जाने वाली पुनर्पूंजीकरण सहायता को शामिल किया गया है तथा साथ ही इसमें 3 वर्ष के लिए क्रेडिट गारंटी के साथ 6ः ब्याज दर पर नए ऋण का प्रावधान किया गया है।

आरआरआर पैकेज को दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था। ऋण से छूट संबंधी पैकेज के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हथकरघा बुनकरों को रियायती अवधि के ऋण के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करने के लिए सरकार ने रियायती ऋण के घटक को मंजूरी दे दी। बुनकरों को यह ऋण 6% ब्याज पर संस्वी कृत किया गया है एवं भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अधिकतम 7% है तथा ऋण की प्रभाव क्षमता के लिए सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यम (सीजीटीएमएसई) के लिए प्रति बुनकर 10,000/–रु. तक की मार्जिन मनी तथा क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी निधि के जरिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

¼[k½ lex gFkdj?kk fodkl Ldhe %

समेकित हथकरघा विकास स्कीम (आईएचडीएस), विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम (एमईपीएस) विविध एवं हथकरघा विकास स्कीम (डीएचडीएस) के घटकों का विलय करके सीएचडीएस तैयार किया गया है जिसे 11वीं योजना के दौरान कार्यान्विकत किया गया है। सीएचडीएस के उपघटक निम्नानुसार हैः–

(क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम
(ख) हथकरघा विपणन सहायता
(ग) हथकरघा संस्थानों का विकास करना और उन्हें सुदृढ बनाना
(घ) हथकरघा जनगणना
(ड.) अभिनव विचारों को लागू करना
(च) प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

4. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 43 lac weavers and allied workers.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes during 12th Plan:

(1) National Handloom Development Programme (NHDP):

NHDP is being implemented as a Centrally Sponsored Programme for development of handlooms. The scheme is having following components:-

(a) Revival, Reform and Restructuring (RRR) Package for handloom sector:

RRR package covers waiver of overdue loan involving 100% principal and 25% of interest as on 31st March, 2010 and recapitalization assistance to the eligible apex and primary weavers cooperative societies & individual weavers and also provides fresh loan at 6% interest rate along with credit guarantee for 3 years.

The RRR Package was approved for implementation up to 28th Feb., 2014. For providing access to subsidized term loan as well as working capital loan to handloom weavers not covered under loan waiver package, Government has approved Concessional Credit Component. The loan is sanctioned to weavers at 6% interest and Government of India interest subvention is maximum 7% and to leverage the loan, Government provides margin money assistance up to Rs.10,000/- per weaver and credit guarantee through Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

(b) Comprehensive Handloom Development Scheme:

CHDS has been formulated by merging the components of Integrated Handloom Development Scheme (IHDS), Marketing & Export Promotion Scheme (MEPS), Diversified & Handloom Development Scheme (DHDS), implemented during the 11th Plan. Sub-components of the CHDS are as follows:-

(a) Cluster development programme
(b) Handloom marketing assistance
(c) Development and strengthening of the handloom institutions
(d) Handloom census
(e) Implementing innovative ideas
(f) Publicity, advertisement, monitoring, training and evaluation of the scheme

(2) सूत आपूर्ति योजना (वाईएसएस):

यह स्कीम पात्र हथकरघा एजेंसियों को मील गेट मूल्य पर सभी प्रकार का सूत मुहैया कराती है। इस स्कीम के अंतर्गत डिपो परिचालन व्यय और परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जा रही है। इसके अलावा पावरलूम और मील क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से हथकरघा बुनकरों को रियायती दर सूत पर उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत कपास हैं सूत, घरेलू सिल्क सूत तथा ऊनी सूत पर 10% की रियायती मूल्य वाले एक नये घटक को भी जोड़ा गया है।

(3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम:

इस स्कीम में नामतः 2 घटक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एचआईएच) और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) हैं। एचआईएस को पूर्व में देश भर में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीसी (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा लागू किया गया था, अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई), जो स्वास्थ्य और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, का एक भाग है जिसमें पांच सदस्यों वाले एक परिवार को शामिल किया जाता है। एमजीबीबीवाई में प्राकृतिक मृत्यु/दुर्घटना में मृत्यु तथा दुर्घटना के कारण संपूर्ण या आंशिक विकलांगता के मामले में हथकरघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कक्षा नौवीं सं. बारहवीं में पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए प्रति तिमाही प्रति छात्र 300/–रु. की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

(4) हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 (योजनेतर-स्कीम):

भारत सरकार ने देश में हथकरघा बुनकरों के हितों तथा उनकी आजीविका की रक्षा करने के उद्देश्य से दिनांक 29 मार्च, 1985 को हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्सर फॉर प्रोडक्शदन) अधिनियम, 1995 प्राख्याकपित किया था। इस अधिनियम के अंतर्गत हथकरघा द्वारा वस्तु) से जुड़े कतिपय सामानों को आरक्षित करते हुए हथकरघा क्षेत्र की सुरक्षा का विस्तार किया गया था। सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 3 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं 2160 (ई) के तहत 11 वस्तुओं को आरक्षित किया गया था।

हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) अधिनियम, 1985 को प्रभावी रूप से, कार्यान्वित करने के लिए डीसी (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत बिजलीकरघा के लक्ष्य नियत किए गए हैं और उन्हें अनुपालन हेतु सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को परिचालित कर दिया गया है। जब कभी किसी भी प्रकार के उल्लंघन का पता चलता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई शुरू की जाती है।

5. निगम का कार्य निष्पादन की समीक्षा तथा उसके कार्य:

निगम का कारोबार पूर्व वित्त वर्ष 2014–15 में 221696.30 लाख रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2015–16 में 240604.43 लाख रु. हो गया है जोकि 9% अधिक है।

कर पूर्व लाभ 4% तक घटकर वित्त वर्ष 2014–15 में 3860.08/–रु. लाख रु. से वित वर्ष 2015–16 में 3697.41 लाख रु. हो गया है कर भुगतान के पश्चात लाभ 5% तक घटकर वित्त वर्ष 2014–15 में 2540.00 लाख रु. से घटकर वित्त वर्ष 2015–16

(2) Yarn Supply Scheme (YSS):

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with powerloom and mill sector, a new component of 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn and woolen yarn has also been added under this scheme.

(3) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme:

This scheme has 2 components namely Health Insurance Scheme (HIS) and Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY). The HIS was earlier implemented by the Office of DC (Handlooms) for providing the health care facilities to the handloom weavers across the country, now it is part of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) which is being implemented by the Ministry of Health & Family Welfare which covers a family of five members. The MGBBY provides life insurance cover to handloom weavers in the case of natural/ accidental death and total or partial disability due to accident. Under this scheme a scholarship of Rs.300/- per quarter per child subject to two children studying in standard IX to XII is also provided by Govt. of India.

(4) Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (Non-Plan Scheme):

Government of India promulgated the Handloom (Reservation of Articles for Production), Act 1985 dated 29th March, 1985, with a view to protect the interests and livelihood of the handloom weavers in the country. Under the Act, protection to the handlooms sector was extended by way of reserving certain textile articles for exclusive production by handlooms. On the recommendation of the Advisory Committee, 11 articles were reserved vide Notification No. 2160(E) dated 3rd Sept., 2008.

In order to implement the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 effectively, targets of powerloom inspections under annual action plan are fixed by the O/o the DC (Handlooms) and circulated to all the implementing agencies for compliance. Wherever any violation is detected suitable action under the provisions of the Act is initiated.

5. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the corporation has gone up by 9% over the previous year from Rs.221696.30 lac in the FY 2014-15 to Rs. 240604.43 lac in the FY 2015-16.

The profit before tax has come down by 4% from Rs.3860.08 lac in the FY 2014-15 to Rs. 3697.41 lac in the FY 2015-16 and net profit after tax has come down by 5% from Rs.2540.00 lac in the FY 2014-15 to

में 2407.93 लाख रु. हो गया है जोकि मदों में बढोतरी के कारण हुआ है। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2015 को उपलब्ध 6788.00 लाख रु. से बढ़कर 31 मार्च, 2016 को 8230.51 लाख रु. हो गया है।

यह अत्यधिक संतोष का विषय है कि यह निगम एक ऋण मुक्त निगम है और वह अपने आंतरिक संसाधनों से अपने संपूर्ण कार्यशील पूंजीगत आवश्यकता का प्रबंधन करने में सक्षम है।

भारत सरकार उचित मूल्य पर सूत की निर्बाध और सहज उपलब्धता को सुविधाजनक बनाते हुए आपके निगम के जरिए 'सूत आपूर्ति स्कीम' (वाईएसएस) का कार्यान्वयन कर रहे हैं ताकि बुनकर समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कपास हैंक सूत हथकरघा क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण किस्म है। हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार से प्राप्त फीडबैक के जरिए प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर सूत की अन्या किस्मों का भी प्रयोग किया जाता है।

सहज और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा एजेंसियों के जरिए डिपो भी स्थापित किए जा रहे हैं। दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कार्यशील डिपो की संख्याा 932 (31 मार्च 2015, तक 790) है। यदि डिपो का आबंटन पूर्ववर्ती वर्षों में किया गया हो और मौजूदा वर्ष में डिपो के आवंटन स्थल पर कम से कम एक लेन–देन की गई हो तो वहां गत 12 महीनों के दौरान किए गए कम से कम ऐसे दो लेन–देन करने वाले डिपो को कार्यशील समझा जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के लागत नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार ने 06 जनवरी, 2012 से वाईएसएस के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र में हैं सूत पर वितरित की जाने वाली कीमत सब्सिडी की अनुमति प्रदान कर दी है। यह सब्सिडी लाभार्थियों को चालान में अग्रिम रूप से प्रदान की जा रही है। निगम इस स्कीम के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति कर रहा है।

यह गत वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 1487.42 लाख किलो सूत की आपूर्ति जिसका मूल्य 216729.90 लाख रु. था तथा जिसमें सूत सप्लााई स्कीम में अंतर्गत 216077.51 लाख रु. मूल्य का 1484.30 लाख किलो सूत शामिल था, की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान 1727.81 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 236119.72 लाख रु. था तथा जिसमें सूत सप्लाई स्कीम के अंतर्गत 235686.51 लाख रु. मूल्य का 1725.46 लाख किलो सूत शामिल था। गत वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान सूत की आपूर्ति 286.34 लाख किलो थी जिसका मूल्य 102683.49 लाख रु. था, की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान सूत सप्लाई स्कीम के 10% मूल्य सब्सिडी घटक के अंतर्गत सूत की आपूर्ति 257.08 लाख किलो थी जिसका मूल्य 92751.08 लाख रु. था।

निगम हथकरघा बुनकरों और आपूर्तिकर्ताओं के लाभ हेतु गुणवत्तापूर्ण डाई की व्यवस्था कर रहा है और गत वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 4947.87 लाख रु. मूल्य वाले 36.90 लाख किलो सूत की आपूर्ति की तुलना में वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 37.46 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य है 4484.30 लाख रु. है।

निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/न्यूनतम दरों पर सूत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुत अधिक मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में सूत क्रय करने के लिए केंद्रीकृत रूप से आपूर्तिकर्ताओं के साथ सूत के मूल्य के संबंध में बातचीत कर रहा है। मासिक आधार पर बुनकर एजेंसियों के पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

Rs. 2407.93 lac in the FY 2015-16 on account of increase in overheads. The net worth of the corporation has gone up from Rs.6788.00 lac as on 31st March, 2015 to Rs. 8230.51 lac as on 31st March, 2016.

It is a matter of great satisfaction that the corporation is a debt free corporation and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

The Government of India has been implementing the 'Yarn Supply Scheme' (YSS) through your corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been used based on the demand and preferences received through market feed back by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2016, the number of operational depots are 932 nos. (790 nos. as on 31st March, 2015). Depots are considered as operational, where there are atleast two transactions during the last 12 months in case the depot was allotted in earlier years and atleast one transaction where the depot was allotted during the current year.

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 10% price subsidy on hank yarn to be distributed in the handloom sector under YSS w.e.f. 06th Jan., 2012. The subsidy is being provided upfront in the invoice to the beneficiaries. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 10% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2015-16 were 1727.81 lac kg. valuing Rs. 236119.72 lac which include 1725.46 lac kg. valuing Rs. 235686.51 lac under Yarn Supply Scheme as compared to supplies of 1487.42 lac kg. valuing Rs.216729.90 lac which include 1484.30 lac kg. valuing Rs.216077.51 lac under the Yarn Supply Scheme during the last financial year 2014-15. The yarn supplies under the 10% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2015-16 were 257.08 lac kg. valuing Rs. 92751.08 lac as compared to 286.34 lac kg. valuing Rs.102683.49 lac during the last financial year 2014-15.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2015-16 were 37.46 lac kg. valuing Rs. 4484.30 lac as compared to supplies of 36.90 lac kg. valuing Rs.4947.87 lac during the last financial year 2014-15.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers centrally for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

निगम हथकरघा बुनकरों/एजेसिंयों को समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी (असम), समुद्रगढ़ (पश्चिम बंगाल), सीतापुर (उत्तर प्रदेश), चिराला (आंध्र प्रदेश), कन्नूर (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा), करीमनगर (तेलंगाना), अगरतला (त्रिपुरा), गोड्डा (झारखंड) तथा मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में 10 गोदामों का संचालन कर रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 645.67 लाख रु. मूल्यों के 2.28 लाख किलोग्राम सूत की तुलना में वर्ष 2015–16 के दौरान इन गोदामों के माध्यम से 3.24 लाख किलो सूत की आपूर्ति की गई जिसका मूल्य 892.00 लाख रु. था।

निगम ने 13 आपूर्तिकर्ता मीलों (पूर्व वर्ष – 13) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है ताकि उनसे समयबद्ध तरीके से सूत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

देनदारों से वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान (31 मार्च 2015 तक बकाया राशि में से) धनराशि की वसूली की गई तथा 31 मार्च, 2015 तक बकाया देनदारों का प्रतिशत 95.20% (पिछले वर्ष – 95%) है।

6- fodklkRed xfrfofèk;k vkSj foi.ku lgk;rk %

(i) मैसर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टैक्सटाइल ऐंड मैनजमेंट द्वारा बुनकरों की आर्थिक स्थिति में सुधार पर एक व्यापक अध्ययन कराया गया था। इसकी रिपोर्ट 29 जनवरी, 2016 को प्राप्त हो गई है।

(ii) क्रेता विक्रेता सम्मेलनों, प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए हथकरघों के संवर्द्धन में पूवर्त्तोर राज्यों में किया गया व्यय वित्त वर्ष 2014–15 में 14.40 लाख रु. से वित्त वर्ष 2015–16 में 23% बढ़कर 17.77 लाख रुपया हो गया है।

(iii) बेहतर गुणवत्ता वाले सूत तथा साथ ही वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता मीलों के रूप में विकल्पों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से निगम ने इस वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में 3 विक्रेता–क्रेता सम्मेलनों (पूर्व वर्ष – 03) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 12 विक्रता–क्रेता सम्मेमलनों (पूर्व वर्ष – 09) का आयोजन किया है।

(iv) हथकरघा बुनकरों के हित के लिए डीसी (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय द्वारा विभिन्नि स्कीमों का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से निगम ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सरकारी स्कीम के प्रचार–प्रसार पर 14 एक दिवसीय सुग्राहीकरण कार्यक्रमों (पूर्व वर्ष – 14) का आयोजन किया है।

(v) हथकरघा बुनकरों के लिए ई–कॉमर्स को सुविधाजनक बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है तथा उसे मैसर्स जीओ–सीओओपी द्वारा 25 जनवरी, 2016 को प्राप्त कर लिया गया है।

(vi) अन्य राज्यों में बुनकरों को प्रयोग किए गए सूत तथा निर्मित उत्पाद से अवगत कराने में सक्षम बनाने के उद्देश्यो से निगम ने वर्ष के दौरान अन्य राज्यों के लिए 6 (पूर्व वर्ष 5) सुपरिचित/ज्ञान साझेदारी दौरों का आयोजन किया है।

(vii) निगम ने विशिष्ट प्रदर्शनी के आयोजन के जरिए हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता मुहैया कराई है जिसमें वे सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर मूल्य पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान मुंबई, अहमदाबाद,

Corporation is operating 10 nos. Warehouses (Previous year 10 nos.) at Guwahati (Assam), Samudragarh (West Bengal), Sitapur (Uttar Pradesh), Chirala (Andhra Pradesh), Kannur (Kerala), Bhubaneshwar (Odisha), Karimnagar (Telangana), Agartala (Tripura), Godda (Jharkhand) and Moradabad (Uttar Pradesh) for ensuring timely supply to the handloom weavers/ agencies. The yarn supply made through these warehouses during the year 2015-16 was 3.24 lac kg. valuing Rs. 892.00 lac as against 2.28 lac kgs. valuing Rs.645.67 lac during the last financial year 2014-15.

Corporation has entered into the MoU with 13 Nos. (Previous year - 13 nos.) supplier mills, so as to ensure regular supply of yarn from them in a time bound manner.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2015) during the FY 2015-16 as %age of debtors outstanding as on 31st March, 2015 is 95.20% (Previous year – 95%).

6. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

(i) A comprehensive study on amelioration of the economic conditions of weavers was got conducted from M/s Sardar Vallabh Bhai Patel International School of Textiles and Management. The report has been received on 29th Jan' 2016.

(ii) The expenditure in North-Eastern states in promotion of handlooms by way of organizing buyer seller meets, dissemination programmes and other developmental programmes has gone up by 23% from Rs.14.40 lac in FY 2014-15 to Rs. 17.77 lac in FY 2015-16.

(iii) In order to increase the availability of better quality yarn and also the options in the form of alternative supplier mills, the corporation has organized 03 nos. (Previous year – 03 nos.) Buyers' Seller Meets in North Eastern Region and 12 nos. (Previous year - 09 nos.) Buyers' Seller Meets in other than North Eastern Region during the year.

(iv) In order to disseminate/ propagate the various schemes run by the office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles for the benefit of handloom weavers, corporation has organized 14 nos. (Previous year - 14 nos.) One Day Sensitization Programmes on dissemination of Government Scheme in the states of Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Uttaranchal and North Eastern region.

(v) The action plan for facilitating e-commerce for handloom weavers has been got prepared and received from M/s Go-Coop on 25th Jan' 2016.

(vi) In order to enable the weavers to know the yarn used and products manufactured in other states, the corporation has organized 6 nos. (Previous year 5 nos.) Familiarisation/ Knowledge sharing visits of handloom weavers to other states during the year.

(vii) Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization

एर्नाकुलम, सूरत, जबलपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, कोयंबटूर, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, पटना, पुणे और गुवाहाटी में 19 'सिल्कटफैब' प्रदर्शनियों (पूर्व वर्ष – 19) का आयोजन किया गया था जबकि लखनउ, भोपाल तथा जबलपुर में 03 'वूलफैब' प्रदर्शनियों (पूर्व वर्ष – 02) और अहमदाबाद में 01 'राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी' (पूर्व वर्ष – 02) का आयोजन किया गया था।

(vii) वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल 92.37 करोड़ रु. की बिक्री (पूर्व वर्ष– 88.99 करोड़ रु.) हुई थी।

(ix) पूर्व वर्ष की तुलना में 2015–16 के दौरान सूत की मात्रात्मक आपूर्ति जम्मू और कश्मीर राज्य में 75% (पूर्व वर्ष –17%) उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में 37% (पूर्व वर्ष – 27%) तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में (–) 0.37% पूर्व वर्ष – (–) 11%, थी।

7- dE;wVjhdj.k %

निगम ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में सूत संबंधी कार्यकलाप के लिए 01 अप्रैल, 2009 से टैली ईआरपी9 का कार्यान्वयन किया है। तदनुसार, सभी डाटा पंचिंग का कार्य टैली ईआरपी9 में किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2012 को वाईएसएस के अंतर्गत हैंक सूत पर 10% मूल्य सब्सिडी की घोषणा की गई थी तथा टैली ईआरपी9 में स्टॉक के रखरखाव के कार्य भी अंतर्विष्ट् किया गया है। सभी रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है तथा उन्हें स्थायी मान लिया गया है।

टैली ईआरपी9 के कार्यान्वयन से सूत कार्यकलाप के लिए संपूर्ण निगम का डाटा समान प्लेटफॉर्म पर स्थापित हो गया है तथा इसे किसी भी समय मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप समयबद्ध तथा वास्ताविक सूचना हुई है, मैन्युअल रिकॉर्डों का विलोपन हुआ है तथा कार्य को दुबारा किए जाने से बचाव हुआ है।

बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से निगम एक नई ईआरपी का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें निगम के सभी कार्यकलापों पर एक साथ ध्यान दिया जाएगा तथा इसका उपभोक्तौओं एवं आपूर्तिकर्ता स्थल तक विस्तार किया जाएगा। नई ईआरपी के वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान पूरा होने की प्रत्याशा है।

8- dkjiksjsV vfHk'kklu %

आपका निगम अपनी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं में नैतिक व्यापार आचरण, पारदर्शिता, जावबदेही तथा समानता में दृढ़ विश्वास रखता है तथा उसे सर्वाधिक महत्ता प्रदान करता है जिससे उसके स्टोकहोल्डरों के लिए धन का सृजित होता है। निदेशक की रिपोर्ट के साथ निगम द्वारा अनुसरण किए जा रहे 'निगम अभिशासन व्यवहार' पर एक रिपोर्ट तथा 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' संलग्न हैं।

वर्ष 2014–15 के लिए सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण आंकड़ा दिनांक 31 अगस्तक, 2015 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया था तथा वर्ष 2014–15 के लिए निगम के वार्षिक लेखाओं को दिनांक 29 अगस्त, 2015 को निगम की वेबसाइट पर रख दिया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015–16 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर तिमाही प्रगति

of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 19 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 19 nos.) were organized at Mumbai, Ahmedabad, Ernakulam, Surat, Jabalpur, Bhubaneswar, Kolkata, New Delhi, Bangalore, Chandigarh, Coimbatore, Lucknow, Indore, Hyderabad, Nagpur, Bhopal, Patna, Pune and Guwahati while 03 nos. 'WOOLFAB' exhibitions (Previous year - 02 nos.) at Lucknow, Bhopal and, Jabalpur and 01 no. 'National Handloom Expo (Previous year – 02 nos.) at Ahmedabad were organized during the year.

(viii) The total sale in the Exhibitions during the year was Rs.92.37 crore (Previous year - Rs.88.99 crore).

(ix) The increase in yarn supplies in quantitative terms during 2015-16 over the previous year in the state of Jammu & Kashmir was 75% (Previous year - 17%), in the states of Uttaranchal and Himachal Pradesh was 37% (Previous year - 27%) and in North-Eastern region was (-)0.37% [Previous year – (-)11%].

7. COMPUTERISATION:

Corporation has implemented the Tally ERP9 with effect from 01st April, 2009 for yarn activity at all its Regional Offices and at head office. Accordingly, all the data punching is being done in Tally ERP9. The 10% price subsidy on hank yarn under YSS announced by the Govt. of India on 6th Jan., 2012 and stock handling has also been incorporated in Tally ERP9. All the reports have been finalized and stabilized.

The implementation of Tally ERP9 has placed the data of the entire corporation for the yarn activity on the same platform and it can be accessed any time at the Head Office as well. It has resulted in timely and accurate information, elimination of manual records and avoiding duplicity of work.

In order to meet the changing needs, corporation is implementing a new ERP which will take care of all the activities of the corporation together, as also it will be extended to the customer's as well as supplier's place. New ERP is expected to be completed during FY 2016-17.

8. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. A report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed to the Directors' Report.

The Public Enterprises Survey data for the year 2014-15 was submitted to the department of Public Enterprises on 31st Aug., 2015 and the annual accounts of the corporation for the year 2014-15 were placed on the website of the corporation on 29th Aug., 2015. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2015-16 have been submitted to Department

रिपोर्टों को उस तिमाही की समाप्ति के पश्चात 15वें दिन की नियत तारीख की बजाय उस तिमाही की समाप्ति के 7वें दिन को या उससे पूर्व सार्वजनिक उपक्रम विभाग को सौंप दिया गया है।

वर्ष 2015–16 के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को कारपोरेट अभिशासन पर प्रस्तुत की गई वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (तिमाही रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 89.24% अर्थात ^mRd`"V* है।

9- dkfeZd fodkl ,oa m|kfxd lacaèk %

निगम मानव संसाधन के विकास पर अत्यधिक ध्यान देता आ रहा है और इस परिदृश्य में वह घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए दक्षता उन्नियन हेतु सहयोग का विस्तार करने के साथ–साथ अपने कार्मिकों को प्रसिद्धि प्राप्त बाहरी एजेसिंयों द्वारा आयोजित किए गए विशेष कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में तैनात कर रहा है जिनमें वाणिज्यिक विभाग 45 कर्मचारियों (पूर्व वर्ष – 68 कर्मचारी), वित्त एवं लेखा विभाग से 19 कर्मचारी (पूर्व वर्ष – 35 कर्मचारी) तथा मानव संसाधन विकास से 13 कर्मचारी (पूर्व वर्ष – 18 कर्मचारी) को वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों/सेमिनारों के लिए नामित किया गया है।

निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ स्कीम (वीआरएस) शुरुआत की थी जो वर्ष 2015–16 के दौरान सचिवालीय स्टॉफ के लिए लागू की गई थी, परंतु उस वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी ने वीआरएस का विकल्पक चयन नहीं किया था। दिनांक 31 मार्च, 2016 तक निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 215 (पूर्व वर्ष – 208) है जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी से 22 कर्मचारी (10.23%), अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से 08 कर्मचारी (3.72%), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से 33 कर्मचारी (15.35%) तथा विकलांग (पीएच) श्रेणी से 05 कर्मचारी (2.33%) शामिल हैं।

प्रति कर्मचारी टर्नओवर 11.19 करोड़ रु. (पूर्व वर्ष – 10.66 करोड़ रु.) तथा प्रति कर्मचारी कर पश्चात लाभ (पीएटी) 11.20 लाभ रु. (पूर्व वर्ष – 12.21 लाख रु.) है।

समीक्षा वर्ष के दौरान उद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा शांतिपूर्ण रहे।

10- fganh dk çxkeh ç;kx %

निगम अपने दैनिक कार्यकरण में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए प्रतिबद्ध है। निगम अर्द्धवार्षिक आधार पर अर्थात सितम्बर एवं मार्च में ''राजभाषा सुरभि'' पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त 57 कार्यालयों में से निगम को लगातार 19वीं बार हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति', लखनऊ द्वारा उसके उत्कृष्ट' प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार तथा ''राजभाषा सुरभि'' नामक पत्रिका के प्रकाशन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

of Public Enterprises on or before 07th day after the close of the quarter against the due date of 15th day after the close of the quarter.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2015-16 comes to 89.24% i.e. **'Excellent'**.

9. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

Corporation has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through organization of In-house Training Programmes as well as deputing its personnel to specific programmes/ seminars/ workshops organized by the outside agencies of repute, wherein, 45 employees (Previous year – 68 employees) from Commercial Department 19 employees (Previous year – 35 employees) from Finance & Accounts Department and 13 employees (Previous year – 18 employees) from Human Resource Department have been nominated for different type of trainings/ seminars during the year 2015-16.

Corporation had introduced Voluntary Retirement Scheme (VRS), which was in operation during the year 2015-16 for secretarial staff, but none of the employee opted VRS during the year. Total number of employee of the Corporation as on 31st March, 2016 now stands at 215 (Previous year - 208) which include 22 (10.23%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 08 (3.72%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 33 (15.35%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 05 (2.33%) employees of Physically Handicapped (PH) category.

The turnover per employee is Rs. 11.19 crore (Previous year – Rs. 10.66 crore) and the Profit After Tax (PAT) per employee is Rs. 11.20 lac (Previous year Rs. 12.21 lac).

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

10. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Corporation has been publishing "RAJBHASHA SURABHI" magazine on half yearly basis i.e. in the month of September and March.

Further Corporation has been awarded 2nd prize for outstanding performance for the year continuously for the 19th time among 57 offices for progressive use of Hindi by the 'Nagar Rajbhasha Karyanvayan Samiti', Lucknow and 3rd prize for publication of "RAJBHASHA SURABHI" magazine.

11- ¼i.½ fun'kd eMy ½

निगम के बोर्ड की स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति के मामले को छोड़कर एक सुस्थाकपित संरचना है जिसके लिए उन्हें बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया गया है। इस समय, इसमें तीन सदस्य हैं जिसमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष को शामिल करके) तथा एक कार्यशील निदेशक (अर्थात प्रबंध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा निगम संघ के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 94 के अनुसार की जाती है।

निदेशक मंडल का गठन तथा उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

fun'kd dk uke rFkk J.kh	okf"kd vke cBd l vc rd dh mifLFkfr d lkFk ckM dh cBdk dh l[;k	fiNyh okf"kd vke cBd e mifLFkfr	31 ekp] 2016 dk ckgjh fun'kd	31 ekp] 2016 dk ckM lfefr dh lnL;rk@vè;{krk l ckgj dh lnL;rk@vè;{krk
ljdkjh fun'kd½				
क. श्री आलोक कुमार, अध्य.क्ष – एनएचडीसी डीसी (हथकरघा) कपड़ा मंत्रालय डीआईएन सं. 06517942 ¼01 eb] 2015 l½	4/4	हां	–	–
ख. श्री आर.वी.एस. मणि उप सचिव समेकित वित्त प्रभाग कपड़ा मंत्रालय डीआईएन सं. 06982441 ¼02 flrEcj] 2014 l½	4/4	नहीं	02 –सीसीआईसी –बीआईसी	
dk;dkjh fun'kd½&				
च. श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास प्रबंध निदेशक डीआईएन सं. 02292051 ¼01 eb] 2013 l½	4/4	हां	–	–

वर्ष 2015–16 के दौरान निगम की बोर्ड की नियमित अंतराल पर चार बैठकें (17 जुलाई 2015, 17 सितम्बार 2015, 21 दिसम्बर 2015 तथा 16 मार्च 2016) आयोजित की गईं तथा डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित सूचना बोर्ड के समक्ष रख दी गई थी।

11. (i.) BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except the appointment of independent directors, for which, request has been made to the Administrative Ministry for their induction on the Board. Presently, it consists of 3 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman) and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information is placed herein below:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance since last AGM	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31st March, 2016	No. of outside board committee membership/ chairmanship as on 31st March, 2016
Government Director:				
a. Shri Alok Kumar, Chairman-NHDC DC (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 06517942 **(From 01st May., 2015)**	4/4	Yes	-	-
b. Shri R V S Mani, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing Ministry of Textiles, DIN No.06982441 **(From 02nd Sept., 2014)**	4/4	No	02 - CCIC - BIC	-
Functional Director:				
f. Shri Sarvepalli Srinivas Managing Director DIN No. 02292051 **(From 01st May, 2013)**	4/4	Yes	-	-

The Board of the corporation met 04 times during the year 2015-16 at regular intervals (17th July, 2015, 17th Sept. 2015, 21st Dec., 2015 & 16th March 2016) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

(ii) y[kk&ijh{kk lfefr %

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षा वर्ष के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया गया था। सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा प्रस्ता वित लेखा–परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय लेखा–परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2010 को आयोजित की गई उसकी 23वीं बैठक में नोट कर लिए गए थे। लेखा–परीक्षा समिति का संघटन तथा उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

uke@J.kh	y[kk&ijh{kk lfefr e in	o"k d nkjku mifLFkfr d lkFk cBdk dh l[;k
श्री आलोक कुमार सरकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2015 से)	अध्यक्ष	5/5
श्री आर.वी.एस. मणि सरकारी निदेशक (दिनांक 02 सितंबर, 2014 से)	सदस्य	5/5
श्री सर्वपल्ली् श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2013 से)	सदस्य	5/5

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की नियमिति अंतराल पर 05 बैठकें (17 जुलाई 2015, 17 सितम्बर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 21 दिसंबर 2015 तथा 16 मार्च 2016) आयोजित की गईं। स्वंतत्र निदेशकों को भविष्य में जब कभी नियुक्त किया जाएगा तो उन्हें लेखा–परीक्षा समिति में शामिल कर लिया जाएगा।

12- Lor= fun'kd dh mn?kk"k.kk %

निगम की बोर्ड में शामिल निदेशकों के नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। निगम स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध करता आ रहा है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी भी मंत्रालय द्वारा की जानी है। वर्ष के दौरान निगम के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इस प्रकार स्वतंत्र निदेशक से संबंधित उद्घोषणा लागू नहीं होती है।

13- Lor= fun'kdk dh iufu;fDr ij çdVhdj.k %

वर्ष के दौरान निगम के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं था। इसलिए स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति् से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

14- fun'kdk dh vgrkvk] fo'k"krkvk] Lor=rk vkfn lcèkh ekunMk lfgr mudh rukrh rFkk ikfjJfed ij diuh dh uhfr %

भारत सरकार ने कारपोरेट मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना फा.सं. 1/2/2014–सीएल.वी के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ड) के अंतर्गत इस सूचना के प्रकट से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

(ii.) AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Alok Kumar, Government Director (w.e.f. 01st May., 2015)	Chairman	5/5
Shri R V S Mani, Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014)	Member	5/5
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	5/5

The Audit Committee met 5 times during the year 2015-16 at regular intervals (17th July, 2015, 17th Sept. 2015, 20th Oct., 2015, 21st Dec., 2015 and 16th March 2016). The Independent Directors, as and when appointed by the Ministry in future, will be inducted in the Audit Committee.

12. INDEPENDENT DIRECTOR'S DECLARATION:

Directors on the Board of the corporation are appointed by the Administrative Ministry. Corporation has been requesting the Ministry to appoint the independent directors. The appointment of Independent directors is yet to be made by the Ministry. During the year there was no independent director on the board of the corporation. Thus, the declaration pertaining to independent director does not apply.

13. DISCLOSURE ON REAPPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS:

During the year there was no independent director on the Board of the corporation. Hence, disclosure pertaining to reappointment of independent directors does not apply.

14. COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT & REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, ATTRIBUTES, INDEPENDENCE ETC.:

Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of this information under section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013.

15- ckM] ml dh lfefr rFkk fun'kdk d dk;fu"iknu dk okf"kd eY;kdu %

भारत सरकार ने कारपोरेट मंत्रालय की दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना फा.सं. 1/2/2014–सीएल.वी के तहत निदेशकों का कंपनी के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ड) के अंतर्गत इस सूचना के प्रकट से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है। चूंकि, निगम के बोर्ड में शामिल निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जाता है, इसलिए यह अनुप्रयोज्य नहीं है।

16- fun'kd] d,eih dh rlukrh rFkk mudk inR;kx %

एक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), श्री नवीन कुमार गुप्ता ने दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को अधिशासी निदेशक (वित्त) के रूप में निगम में कार्यभार ग्रहण किया था। इसके अतिरिक्त पिछली वार्षिक आम बैठक से अब तक निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में कोई परिवर्तन (नियुक्ति/परित्याग) नहीं हुआ है।

भारत के राष्ट्रपति के अनुग्रह पर निगम के बोर्ड में शामिल निदेशक अपने पद पर बने रहते हैं।

17- gkfYMx vFkok vku"kfxd diuh l deh'ku vFkok ikfjJfed çkIr dju oky çcèk fun'kd %

निगम की कोई होल्डिंग अथवा आनुषंगिक कंपनी नहीं हैं इसलिए यह अनुप्रयोज्य नही है।

18- fun'kdk d ikfjJfed rFkk ekfè;d depkfj;k d ikfjJfed dk vuikr rFkk vU; çdVhdj.k %

वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक 24.14 लाख रु. था तथा माध्यिक कर्मचारियों का पारिश्रमिक 3.98 लाख रु. था। प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक माध्यिक कर्मचारियों के पारिश्रमिक का 607% है।

19- fun'kd dh tokcngh lcèkh fooj.k %

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर आपके निदेशक एतदद्वारा यह घोषणा करते हैं कि :–

(i) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में विषय–वस्तु से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ अनुप्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया था।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन तथा उनका लगातार प्रयोग किया था और ऐसे निर्णय और प्राक्कालन दिए थे जो युक्तिकयुक्त तथा विवेकपूर्ण थे जिससे वित्त वर्ष की समाप्तिच पर निगम के कार्यों तथा साथ ही उस अवधि के लिए निगम के लाभों का भी सही और निष्पक्ष पर्यावलोकन किया जा सके।

15. ANNUAL EVALUATION OF PERFORMANCE OF BOARD, ITS COMMITTEE AND DIRECTORS:

Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of this information under section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013, in case the directors are evaluated by the Administrative Ministry of the company. Since, the director on the Board of the corporation are evaluated by the Administrative Ministry i.e. Ministry of Textiles, hence not applicable.

16. DIRECTORS, KMP APPOINTED AND RESIGNED

A Key Managerial personnel (KMP), Sh. Naveen Kumar Gupta has joined the corporation as Executive Director (Finance) on 19th October' 2015. Except that there is no change (appointment/ resignation) in Directors and Key Managerial personnel (KMP) since last Annual General Meeting.

Director on the Board of the corporation hold their office at the pleasure of President of India.

17. MANAGING DIRECTOR RECEIVING COMMISSION OR REMUNERATION FROM HOLDING OR SUBSIDIARY COMPANY:

Corporation has no holding or subsidiary company, hence not applicable.

18. RATIO OF DIRECTORS' REMUNERATION TO MEDIAN EMPLOYEES' REMUNERATION AND OTHER DISCLOSURES:

During the year, the remuneration of Managing Director was Rs. 24.14 lac and median employee's remuneration was Rs.3.98 lac. The Managing Director's remuneration comes to 607% of median employees' remuneration.

19. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors hereby declare that:-

(i) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

(ii) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the corporation at the end of the financial year and of the profits of the corporation for that period.

(iii) निदेशकों ने निगम की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा धोखा–धड़ी एवं अन्यि अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों के रख–रखाव के लिए समुचित और पर्याप्त ध्यान दिया था।

(iv) निदेशकों ने सतत सरोकारों के आधार पर वार्षिक लेखाओं को तैयार किया था और

(v) निदेशकों ने सभी अनुप्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्यप्रणालियां तैयार की थीं और वे प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभारी रूप से कार्यशील थीं।

20- vkrfjd fu;=.k ç.kkyh rFkk mudh i;kIrrk %&

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विस्थाापित की है। व्यापक आंतरिक लेखा–परीक्षा मैन्युअल के अतिरिक्त आंतरिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आंतरिक लेखा–परीक्षकों को समय–समय पर आवश्यकता के आधार पर नए चेक प्वाइंट्स का भी सुझाव दिया जाता है। निगम की आंतरिक लेखा–परीक्षा निगम के आंतरिक लेखा–परीक्षा दल तथा बाहरी स्वतंत्र सनदी लेखाकारों के द्वारा की जाती है। लेखा–परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार निगम का मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा–परीक्षा आंतरिक लेखा–परीक्षा स्कंध तथा बाहरी सनदी लेखाकारों द्वारा बारी–बारी से प्रत्येक वर्ष की जाती है। लेखा–परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण तथा लेखा–परीक्षा प्रणालियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है तथा सतत सुधार के लिए आवश्यंकता अनुसार सुधारात्मकता उपाय किए जा रहे हैं।

21- lrdZrk %

निगम के सतर्कता विभाग की अध्यंक्षता सतर्कता अधिकारी द्वारा की जाती है जो निगम के प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। सतर्कता विभाग केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों का अनुसरण करता है। निगम निवारक सतर्कता को अपना रहा है।

कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यकरण में सुरक्षापूर्वक व्यापार करने के संबंध में शिक्षित करने के लिए प्रति वर्ष सतर्कता सप्तोह का आयोजन किया जाता है। उक्त वर्ष के दौरान दिनांक 26–31 अक्टूबर, 2015 के बीच 'सुशासन के उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता' नामक विषय के साथ 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत निगम के सतर्कता अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को प्रतिज्ञा (सतर्कता) दिलाने के साथ हुई थी। इस सप्ताह के दौरान सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न कर्मचारियों ने भाग लिया था। निगम के मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

22- y[kk&ijh{kd dh fVIif.k;k d mÙkj %

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) एवं 143(6) के अंतर्गत सीऐंडएजी की टिप्पणियों के साथ सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में रखी गई है। सांविधिक लेखा–परीक्षकों एवं सीऐंडएजी की टिप्पणियों के उत्तर, यदि कोई हों, को निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए अनुलग्नक में रखा गया है।

(iii) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(iv) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis and

(v) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

20. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of the corporation is conducted by the internal audit team of the corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

21. VIGILANCE:

The vigilance department of the corporation is headed by the Vigilance Officer, who reports to the Managing Director of the corporation. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Preventive Vigilance as a tool of Good Governance" was observed from 26th – 31st Oct., 2015. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the corporation. During the week, essay writing competition and debate competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. Vigilance week was observed at head office as well as at all regional offices of the corporation.

22. REPLY TO AUDITOR'S COMMENTS:

The report of Statutory Auditors' alongwith comments of C&AG U/s 143(5) & 143(6) of Companies Act, 2013 is placed in the Annual report. The reply to the comments, if any, of the Statutory Auditors and C&AG is placed as annexure to the Directors' Report.

23- lfpokyh; y[kk&ijh{kd fjikV rFkk lfpokyh; y[kk&ijh{kdk dh fVIif.k;k d mÙkj%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अंतर्गत सचिवालीय लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवालीय लेखा–परीक्षकों की टिप्पपणियों के उत्तर, यदि कोई हों, को निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए अनुलग्नक में रखा गया है।

24- y[kkvk ij dh xbl fVIif.k;k e fuxe }kjk fjikV dh xbl èkk[kk&èkMh %

कोई धोखा–धड़ी रिपोर्ट नहीं की गई।

25- vkdfLed ifjl ifÙk;k %

विधिक कार्यवाहियों के अंतर्गत पक्षकारों से प्राप्ति किया जाने वाला ब्याज 23.93 लाख रु. (पूर्व वर्ष – 65.23 लाख रु.) है।

26- _.k ,o xkjVh %

निगम ने कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी है, इसलिए यह लागू नहीं है।

27- i{kdkj lcèkh yu&nu %

निगम का पक्षकार संबंधी कोई लेन–देन नहीं है।

28- foÙkh; fooj.kk dh rkjh[k d i'pkr fo"k;&oLr e ifjorlu rFkk çfrc)rk,a %

रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

29- Åtk lj{k.k] çkS|kfxdh lekos'ku] fons'kh eqæk vtu ,o [kp %

निगम कोई विनिर्माणकारी कार्यकलाप नहीं कर रहा है। तदनुसार प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित मुद्दा निगम पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार, निगम का विदेशी मुद्रा से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार के आयात/निर्यात से संबंधित कार्यकलाप नहीं कर रहा है। उक्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की कोई लेन–देन नहीं हुई है।

30- tkf[ke çcèku uhfr %

निगम विदेशी मुद्रा से कोई सरोकार नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष निधियां, यदि कोई हों, का बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में निवेश किया जाता है। इस प्रकार कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

23. SECRETARIAL AUDIT REPORT AND REPLY TO THE COMMENTS OF SECRETARIAL AUDITORS:

The report of Secretarial Auditors' U/s 204(1) of Companies Act, 2013 and reply to the comments, if any, of the Secretarial Auditors is placed as annexure to the Directors' Report.

24. FRAUDS REPORTED BY THE CORPORATION IN NOTES ON ACCOUNTS:

None to report.

25. CONTINGENT ASSETS:

Interest receivable from the parties under legal proceedings is Rs. 23.93 lac (Previous year - Rs. 65.23 lac).

26. LOANS & GUARANTEES:

Corporation has not given any loan or guarantee, hence not applicable.

27. RELATED PARTY TRANSACTIONS:

Corporation has no related party transaction.

28. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS AFTER DATE OF FINANCIAL STATEMENTS:

None to report.

29. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation. Similarly, corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity. During the year, there is no foreign exchange transaction.

30. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the banks, which include mainly public sector banks. Thus, there is no financial risk.

31- dkjiksjsV lkekftd mÙkjnkf;Ro ¼lh,lvkj½%

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों तथा संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। संशोधित नीति 'एनएचडीसी–सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन प्रदान किए जाने के पश्चात निगम की वेबसाइड पर अपलोड कर दिया गया है।

lh,lvkj lfefr %

सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों में यथा प्रस्तावित सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय सीएसआर समिति द्वारा दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित उसकी पहली बैठक में नोट कर लिया गया था। सीएसआर समिति का संघटन तथा उससे संबंधित सूचना नीचे दी गई है:–

uke@Js.kh	lh,lvkj lfefr esa in	mifLFkfr dh lHkk cSBdksa dh la[;k
श्री आलोक कुमार सरकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2015 से)	अध्यक्ष	2/2
श्री आर.वी.एस. मणि सरकारी निदेशक (दिनांक 02 सितंबर, 2014 से)	सदस्य	2/2
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास कार्यकारी निदेशक (दिनांक 01 मई, 2013 से)	सदस्य	2/2

वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर समिति की दो बैठकों (17 जुलाई, 2015 एवं 21 दिसंबर, 2015) का आयोजन किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अंतर्गत औसत निवल लाभ तथा सीएसआर व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

Ø-l-	fooj.k	;wfuV	2015&16	2014&15
1	पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार)	लाख रु. में	2243.92	1095.22
2	सीएसआर व्यय	लाख रु. में	73.96	74.20
3	पिछले तीन वर्षों के लिए औसत निवल लाभ का प्रतिशत के रूप में किया गया सीएसआर व्यय	प्रतिशतता	3.30%	6.77%
4	विनिर्धारित सीएसआर व्यय	प्रतिशतता	2%	2%

31. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th Nov., 2014.

CSR COMMITTEE:

The terms of reference of the CSR Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the CSR Committee in its 1st meeting held on 24th Nov., 2014. The composition of CSR Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in CSR Committee	No. of meetings with attendance
Shri Alok Kumar Government Director (w.e.f. 01st May, 2015)	Chairman	2/2
Shri R V S Mani Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014)	Member	2/2
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	2/2

The CSR Committee met 2 times during the year 2015-16 (17th July, 2015 & 21st Dec., 2015).

The details of average net profit u/s 198 of the Companies Act 2013 and CSR expenditure is placed herein below:-

S.No.	Particulars	UOM	2015-16	2014-15
1.	Average net profit (as per Section 198 of Companies Act, 2013) for the last 3 years.	Rs. in lac	2243.92	1095.22
2.	CSR expenditure incurred	Rs. in lac	73.96	74.20
3.	CSR expenditure incurred as %age of average net profit for the last 3 years	%age	3.30%	6.77%
4.	Prescribed CSR expenditure	%age	2%	2%

foÙk o"kZ dk nkSjku [kpZ dh xbZ jkf'k dk foLr`r C;kSjk uhps fn;k x;k gS&

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½
Ø- la-	lh,lvkj ifj;kstuk vFkok vfHkKkr dk;Zdyki	og {ks= ftlesa ifj;kstuk dks 'kkfey fd;k x;k gS A	ifj;kstuk,a vFkok dk;ZØe ¼1½ LFkkuh; {ks= vFkok vU; ¼2½ ml jkT; rFkk ftys dk mYys[k djsa tgka ifj;kstuk,a vFkok dk;ZØe 'kq: fd, x, FksA	ifjO;; jkf'k ¼cteV½ ifj;kstuk vFkok dk;ZØe&okj ¼yk[k #- esa½	ifj;kstukvksa vFkok dk;ZØeksa ij [kpZ dh xbZ jkf'k mi&'kh"kZ% ¼1½ ifj;kstukvksa vFkok dk;ZØeksa ij çR;{k O;; ¼2½ Åijh O;; ¼yk[k #- esa½	fjiksfVZax vof/k rd lap;h O;; [kpZ dh xbZ jkf'k%	çR;{k vFkok dk;kZUo;u ,tsalh ds tfj, ¼yk[k #- esa½ *
1	बैटरी लिंक्ड' इन्वीटर्स तथा लाइटिंग यूनिट्स (बीएलआईएलयू) का बीपीएल बुनकरों में वितरण	हथकरघा क्षेत्र	यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्रों: त्रिपुरा राज्या में अगरतला में शुरू की गई	18.90	18.90 (प्रत्यक्ष व्यय)	18.90	18.90 (प्रत्यक्ष व्यय)
2	सुलकुची, असम में जल निकास तथा गांव की सड़क के निर्माण एवं विकास का कार्य	हथकरघा क्षेत्र	असम राज्य में सुलकुची	23.55	23.55 (प्रत्यक्ष व्यय)	42.45	23.55 (प्रत्यक्ष व्यय)
3	विभिन्नत हथकरघा केंद्रों में स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण	हथकरघा क्षेत्र	त्रिपुरा राज्य में अगरतला तथा मेघालय राज्य में री–भोई तथा असम राज्यज में सुलकुची	32.55	31.51 (प्रत्यक्ष व्यय)	73.96	31.51 (प्रत्यक्ष व्यय)
	dqy			75-00	73-96		73-96

निगम ने वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर कार्यकलाप को जारी रखा था तथा त्रिपुरा में बीपीएल बुनकरों को बैटरी लिंक्डर इन्वरट्र्स तथा लाइटिंग यूनिट्स (बीएलआईएलयू) मुहैया कराया था, असम के एक गांव (पूर्व सुलकुची) में विकासपरक कार्य शुरू किया था तथा असम (सुलकुची), त्रिपुरा तथा मेघालय में स्कीलों में शौचालयों का निर्माण कार्य किया था।

उक्त वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलाप, जिसमें बीपीएल बुनकरों को बैटरी लिंक्ड इन्वाट्र्स तथा लाइटिंग यूनिट्स (बीएलआईएलयू) मुहैया कराना शामिल था, के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 135 है तथा शौचालयों का निर्माण किए जाने वाले स्कूलों की संख्या 07 थी।

Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below.

(1) S. No	(2) CSR project or activity identified	(3) Sector in which the Project is covered	(4) Projects or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and district where projects or programs was undertaken	(5) Amount outlay (budget) project or programs wise (Rs. In Lac)	(6) Amount spent on the projects or programs Sub – heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads (Rs. In Lac)	(7) Cumulative expenditure upto to the reporting period (Rs. In Lac)	(8) Amount spent: Direct or through implementing agency* (Rs. In Lac)
1.	Distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units(BLILU) to BPL weavers	Handloom Sector	Project was undertaken in North Eastern areas: Agartala in the state of Tripura	18.90	18.90 (Direct expenditure)	18.90	18.90 (Direct expenditure)
2.	Construction and Development work of Drainage & Village road at Sualkuchi, Assam	Handloom Sector	Sualkuchi in the state of Assam	23.55	23.55 (Direct expenditure)	42.45	23.55 (Direct expenditure)
3.	Construction of toilets for girls in school in various handloom centers	Handloom Sector	Agartala in the state of Tripura and Ri-Bhoi in the state of Meghalaya and Sualkuchi in the state of Assam	32.55	31.51 (Direct expenditure)	73.96	31.51 (Direct expenditure)
	TOTAL			75.00	73.96		73.96

The corporation continued the CSR activity during the year 2015-16 and provided Battery Linked Inverter and Lighting Units (BLILUs) to BPL weavers in Tripura, undertaken the developmental work in a village in Assam (East Sualkuchi) and constructed toilets & urinals in schools in Assam (Sualkuchi), Tripura and Meghalaya.

The number of beneficiaries covered during the year under the CSR activity involving distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILU) to the BPL weavers is 135 and no of schools in which toilets were constructed is 7.

32- vkuq"kafxd@lgk;d@la;qä miØe okyh daiuh dk uke %

निगम की कोई आनुषंगिक/सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनी नहीं है।

33- lesfdr foÙkh; fooj.k %

निगम की कोई अनुषंगिक कंपनी नहीं है, इसलिए निगम के लिए समेकित वित्तीय विवरण लागू नहीं होते हैं।

34- tek %

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय – V के अंतर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

35- ekStwnk ljksdkj dh fLFkfr %

निगम के मौजूदा सरोकार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

36- foHksnd vf/kdkj] m|e bfDoVh] deZpkjh LV,d fodYi ds lkFk 'ks;jksa dk tkjh fd;k tkuk %

निगम ने उक्त वर्ष के दौरान विभेदक अधिकार, उद्यम इक्विमटी एवं कर्मचारी स्टॉक विकल्पे के साथ कोई शेयर जारी नहीं किया है, इसलिए यह लागू नहीं है।

37- vfHkoLohÑfr

आपका बोर्ड निगम के कार्यकलापों और संचालनों में कपड़ा मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्तों का कार्यालय, भारत सरकार तथा केंद्र एवं राज्य् सरकारों में अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा दिए गए उनके सहयोग एवं दिशानिर्देशों के लिए उनका आभारी है।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा–परीक्षक, लेखा–परीक्षा के बोर्ड के सदस्यों, सांविधिक एवं शाखा लेखा–परीक्षकों तथा बैंकरों का उनके द्वारा दी गई सहायता, सहयोग एवं दिशा–निर्देश के लिए उनके आभारी हैं।

आपका बोर्ड विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसिंयों द्वारा संगठन में उनके सहयोग एवं विश्वास व्यक्त करने के लिए उनका आभारी है और भविष्य में आपसी सहयोगी संबंध के आधार पर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पत है।

आपके निदेशक सभी कताई मीलों तथा रंग एवं रसायन तथा कपड़ा विनिर्मिताओं से प्रत्यक्ष तथा साथ ही उनके संगठनों के जरिए प्राप्त सतत सहयोग के लिए स्पष्ट रूप से उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं। आपका बोर्ड एनएचडीसी परिवार का भी उनके उत्साह, समर्पित कार्य एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता है तथा उनकी लगातार सहभागिता के लिए आशान्वित है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

fnukad% 29 flrEcj] 2016 ¼vkyksd dqekj½
LFkku% ubZ fnYyh vè;{k

32. NAME OF COMPANY BECOMING/ CEASING TO BE SUBSIDIARY/ ASSOCIATE/ JOINT VENTURE:

Corporation has no subsidiary/ Associate/ Joint venture company.

33. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT:

Corporation has no subsidiary, hence, the consolidated financial statements are not applicable to the corporation.

34. DEPOSITS:

Corporation has not accepted any deposit from public under Chapter-V of the Companies Act, 2013.

35. GOING CONCERN STATUS:

There is no change in going concern status of the corporation.

36. ISSUE OF SHARES WITH DIFFERENTIAL RIGHT, SWEAT EQUITY, EMPLOYEE STOCK OPTION:

Corporation has not issued any share with differential right, sweat equity, employee stock option during the year, hence, not applicable.

37. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit Board, Statutory and Branch Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance.

Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organised set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

Dated: 29 September, 2016 **(Alok Kumar)**
Place: New Delhi. **Chairman.**

funs'kdksa dh fjiksVZ dk vuqyXud

okf"kZd fooj.kh dk lkj & QkeZ la- ,e thVh&9

I. iathdj.k rFkk vU; fooj.k %

i) सीआईएन	यू17299यूपी1983जीओआई005974
ii) पंजीकरण की तारीख	22 फरवरी, 1983
iii) कंपनी का नाम	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
iv) कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी
v) पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	10वां एवं 11वां तल, विकास दीप, 22– स्टेशन रोड, लखनऊ–226001, दूरभाषः 0522–2635133
vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है, हां / नहीं	नहीं
vii) पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं

II. daiuh ds çeq[k 0;kolkf;d dk;Zdyki ¼os lHkh 0;kolkf;d dk;Zdyki] ftuls daiuh ds dqy dkjksckj dk 10% vFkok mlls vf/kd dk ;ksxnku nsrs gSa] dk mYys[k fd;k tk,xk½ %

Ø- la-	eq[; mRiknksa@lsokvksa dk uke ,oa fooj.k	mRikn@lsok dk ,uvkbZlh dksM	daiuh ds dqy dkjksckj dh çfr'krrk
1	सूत	1311	98.14%

III. gksfYMax] vuq"kafxd ,oa lgk;d daifu;ksa dk fooj.k

Ø-la-	daiuh dk uke ,oa irk	lhvkbZ,u@th,y,u	gksfYMax@vuq"kafxd@lgk;d	èkkfjr 'ks;jksa dh çfr'krrk	vuqç;ksT; èkkjk
–	–	–	–	–	–

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

EXTRACT OF ANNUAL RETURN- FORM NO.MGT-9

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN:-	U17299UP1983GOI005974
ii.) Registration Date	22nd Feb., 1983
iii.) Name of the Company	National Handloom Development Corporation Ltd.
iv) Category / Sub-Category of the Company	Public Company
v) Address of the Registered office and contact details	10th & 11th Floors, 'Vikas Deep', 22-Station Road, Lucknow – 226001 Phone – 0522-2635133
vi) Whether listed company Yes / No	No
vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	N.A. -

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY (All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated):-

Sl. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover of the company
1.	Yarn	1311	98.14%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –

S. No.	Name and address of the company	CIN/ GLN	Holding/ subsidiary/ associate	% of shares held	Applicable Section
-	-	-	-	-	-

IV. vi'k&èkkfjrk iSVuZ ¼dqy bfDoVh dh çfr'krrk ds :i esa bfDoVh 'ks;j dh iwath dk C;kSjk½

i) Js.kh&okj vi'k&èkkfjrk

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन की प्रतिशतता
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
क. संवर्धक									
(1) भारतीय केंद्र सरकार									
उप–कुल (क) (1):–	–	1900000	1900000	100%	–	1900000	1900000	100%	–
(2) विदेश									
(क) एनआरआई–वैयक्तिक									
(ख) अन्य – वैयक्तिसक									
(ग) निगम के निकाय									
(घ) बैंक/विदेशी निवेश									
(ड) कोई अन्य									
उप कुल									
(क) (2):–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
संवर्धक की कुल अंश–धारिता									
(क) =									
(क) (1) + (क) (2)	–	1900000	1900000	100%	–	1900000	1900000	100%	–
ख. लोक अंशधारिता									
1. संस्थाशन									
क) म्यूथच्ल फंड्स ख) बैंक/ विदेशी निवेश ग) केंद्र सरकार घ) राज्यी सरकार (रें) ड) उपक्रम पूंजीगत फंड च) बीमा कंपनियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ज) विदेशी संस्थागत निवेश									
झ) विदेशी उपक्रम पूंजीगत निधियां									
ञ) अन्य (उल्लेख करें)									
उप–कुल									
(ख) (1)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. गैर संस्थानगत निकाय निगम									
1) भारतीय									
2) अप्रवासी									
ख) वैयक्तिक									
i) एक लाख रु. तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले वैयक्तिक शेयर होल्डर									

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters (1) Indian Central Govt Sub-total (A) (1):-	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
(2) Foreign a) NRIs - Individuals b) Other – Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other…. Sub -total (A) (2): -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-
B. Public Shareholding 1. Institutions a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total (B)(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Non Institutions a) Bodies Corp. b) i) Indian c) ii) Overseas d) b) Individuals e) i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh									

ii) एक लाख रु. से अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले वैयक्तिक शेयर होल्डर									
ग) अन्य (उल्लेख करें)									
उप–कुल									
(ख) (2) :–									
कुल सार्वजनिक अंश–धारिता									
(ख) =	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) (1) + (ख) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग									
(क+ख+ग)	–	1900000	1900000	100%	–	1900000	1900000	100%	–

(ii) l oèkkdk dh v'kèkkfjrk

Ø- l-	v'kèkkjd dk uke	o"k d çkjHk e v'kèkkfjrk			o"k d vr e v'kèkkfjrk			
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk	dy 'k;jk dh rqyuk e çfrHkr@ Hkkfjr 'k;jk dh çfr'krrk	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk	dy 'k;jk dh rqyuk e çfrHkr@ Hkkfjr 'k;jk dh çfr'krrk	o"k d nkjku v'kèkkfjrk e ifjorlu dh çfr'krrk
1.	केंद्र सरकार	1900000	100%	–	1900000	100%	–	
	कुल	1900000	100%	–	1900000	100%		

(iii) l oèkkdk dh v'kèkkfjrk e ifjorlu ¼;fn dkbl ifjorlu gk rk –i;k mYy[k dj½

Ø- l-		o"k d çkjHk e v'kèkkfjrk		o"k d nkjku lp;h v'kèkkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk
	वर्ष के प्रारंभ में	1900000	100%	1900000	100%
	वर्ष के दौरान वृद्धि/ह्रास का उल्लेकख करते हुए संवधकों की अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि/ह्रास (जैसे आबंटन/अंतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

f) ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh g) c) Others (specify) h) Sub-total (B)(2):- i) Total Public Shareholding	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(B)=(B)(1)+ (B)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (A+B+C)	-	1900000	1900000	100%	-	1900000	1900000	100%	-

(ii) Shareholding of Promoters

Sl . No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged/ encumbered to total shares	% change in share holding during the year
1.	Central Govt.	1900000	100%	-	1900000	100%	-	
	Total	1900000	100%	-	1900000	100%	-	

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):	-	-	-	-
	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

(iv) 'kh"k d n l v'kèkkjdk ¼thMhvkj o ,Mhvkj d funs'kdk] loèkdk ,o èkkjdk dk NkMdj½ dk v'kèkkfjrk iVu

dæ ljdkj

Ø-l-		o"k d çkjHk e v'kèkkfjrk		o"k d nkjku lp;h v'kèkkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk	'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk
	वर्ष के प्रारंभ में	1900000	100%	1900000	100%
	वर्ष के दौरान संवर्धकों की अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि / ह्रास	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	1900000	100%	1900000	100%

(v) funs'kdk rFkk e[; çcèkdh; dkfeZdk dh v'kèkkfjrk

Ø-l-	çR;d funs'kd rFkk e[; çcèkdh; dkfeZd d fy,	o"k d çkjHk e èkkfjr 'k;jk dh l[;k		o"k d nkjku lp;h v'kèkkfjrk	
		'k;jk dh l[;k	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk	'k;jk dh l[;kr	diuh d dy 'k;jk dh çfr'krrk
1.	श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष एवं निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	–	–	–	–
	वर्ष के दौरान 21 मई, 2015 को अर्जित शेयर	02	0.0001%	02	0.0001%
	वर्ष के अंत में	02	0.0001%	02	0.0001%
2.	श्री आर.वी.एस. मणि, निदेशक				
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	02	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि / ह्रास	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%
3.	श्री सर्वपल्लीं श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक	–	–	–	–
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	01	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि / ह्रास	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%
4.	श्री जय गोपाल महाजन, के.एम.पी	–	–	–	–
	वर्ष के प्रारंभ में	01	0.00005%	01	0.00005%
	वर्ष के दौरान अंशधारिता में आंकड़ा–वार वृद्धि / ह्रास	–	–	–	–
	वर्ष के अंत में	01	0.00005%	01	0.00005%

(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

Central Govt.

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	1900000	100%	1900000	100%
	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year.	-	-	-	-
	At the End of the year	1900000	100%	1900000	100%

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

Sl. No.	For Each of the Directors and KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
1.	Shri Alok Kumar, Chairman & Director				
	At the beginning of the year	-	-	-	-
	Shares acquired on 21st May' 2015 during the year	02	0.0001%	02	0.0001%
	At the End of the year	02	0.0001%	02	0.0001%
2.	Shri R V S Mani, Director				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
3.	Shri Sarvepalli Srinivas, Managing Director				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
4.	Shri Jai Gopal Mahajan, KMP				
	At the beginning of the year	01	0.00005%	01	0.00005%
	Date wise Increase/ Decrease in Share holding during the year	-	-	-	-
	At the End of the year	01	0.00005%	01	0.00005%

V nunkjh

बकाया ब्याज/प्रोद्भूत परंतु भुगतान के लिए अनदेय राशि सहित कंपनी की देनदारी

(लाख रु. में)

	tek jkf'k;ksa dks NksMdj lqjf{kr _.k	vlqjf{kr _.k	tek	dqy nunkjh
वित्ते वर्ष के प्रारंभ में देनदारी (i) मूल राशि (ii) देय परंतु नहीं किया गया ब्याज (iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु अनदेय	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्त वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन				
–वृद्धि				
–कमी		–	–	–
निवल परिवर्तन	–	–	–	–
वित्त वर्ष के अंत में देनदारी (i) मूल राशि (ii) देय परंतु नहीं किया गया ब्याज (iii) प्रोद्भूत ब्याज परंतु अनदेय	–	–	–	–
कुल (i+ii+iii)	–	–	–	–

VI funs'kdksa rFkk eq[; çca/kdh; dkfeZdksa dk ikfjJfed

d- çca/k funs'kd dks fn;k tkus okyk ikfjJfed %

(लाख रु. में)

Ø-la-	ikfjJfed dk fooj.k	çca/k funs'kd dk uke&Jh loZiYyh Jhfuokl	dqy jkf'k
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	23.58	23.58
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्य	0.56	0.56
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–
3.	उद्यम इक्विटी	–	–
4.	लाभ – अन्य की प्रतिशतता के रूप में कमीशन का उल्लेख करें	–	–
5.	कृपया अन्य का उल्लेख करें	–	–
	कुल (क) अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा	24.14	24.14

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

(Rs. in lac)

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
Change in Indebtedness during the financial year · Addition · Reduction	-	-	-	-
Net Change	-	-	-	-
Indebtedness at the end of the financial year i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
Total (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. REMUNERATION TO MANAGING DIRECTOR:

(Rs. in lac)

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Name of MD - Shri Sarvepalli Srinivas	Total Amount
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	23.58	23.58
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	0.56	0.56
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	-	-
2.	Stock Option	-	-
3.	Sweat Equity	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-
5.	Others, please specify	-	-
	Total (A) Ceiling as per the Act	24.14	24.14

¼[k½ çcèk funs'kd@çcèkd@MC;wdh VhMh ds vykok e[; çcèkdh; dkfeZdksa dks fn;k tkus okyk ikfjJfed ½

(लाख रु. में)

Ø- l-	ikfjJfed dk fooj.k	e[; çcèkdh; dkfeZd			dqy
		lhbZvks	lh,Qvks	Mhth,e ¼fo-y-½ ,oa daiuh lfpo	
1.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	6.93	14.99	21.92
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलब्धियों का मूल्यर	–	0.05	0.12	0.17
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
	स्टॉक विकल्प)	–	–	–	–
	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
	लाभ – अन्य की प्रतिशतता के रूप में कमीशन का उल्लेख करें	–	–	–	–
	कृपया अन्य का उल्लेख करें	–	–	–	–
	dqy ¼[k½	&	6-98	15-11	22-09

ईडी (वित्त), जिन्हें सीएफओ के रूप में पदनामित किया गया है, ने दिनांक 19.10.2015 को निगम में कार्यभार ग्रहण किया है।

VII. daiuh vfèkfu;e] 2013 ds varxZr 'kkfLr;k@ltk@lek;kstu vijkèk

çdkj	daiuh vfèkfu;e dh èkkjk	laf{kIr fooj.k	'kkfLr;i@ltk@ vfèkjkfir lefdr 'kqYd	çkfèkdj.k ¼vkjMh@ ,ulh,yVh@ U;k;ky;½	dh xbZ vihy] ;fn dksbZ gks ¼—i;k oj.k nsa½
क. कंपनी					
शास्तिप	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
संयोजन	–	–	–	–	–
ख. निदेशक					
शास्तिप	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
संयोजन	–	–	–	–	–
ग. चूककर्ता अन्यय अधिकारी					
शास्ति	–	–	–	–	–
सजा	–	–	–	–	–
संयोजन	–	–	–	–	–

¼t; xksiky egktu½
mi egkçcèkd ¼fo-@y-½@ daiuh lfpo

¼loiYyh Jhfuokl½
çcèk funs'kd

¼vkyksd dqekj½
vè;{k

B. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/ MANAGER/ WTD.

(Rs. In lac)

Sl. no.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	CFO	DGM (F&A) and Company Secretary	Total
1.	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	-	6.93	14.99	21.92
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	-	0.05	0.12	0.17
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-
4.	Commission - as % of profit - others, specify…	-	-	-	-
5.	Others, please specify	-	-	-	-
	Total (B)	-	6.98	15.11	22.09

ED (Finance), who is designated as CFO, has joined the corporation w.e.f.19.10.2015.

VII. PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES UNDER COMPANIES ACT' 2013:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
B. DIRECTORS					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Penalty	-	-	-	-	-
Punishment	-	-	-	-	-
Compounding	-	-	-	-	-

(Jai Gopal Mahajan)
DGM (F&A)/ Company Secretary

(Sarvepalli Srinivas)
Managing Director

(Alok Kumar)
Chairman

fun'kdksa dh fjiksVZ dk vuqyXud

d,jiksjsV vfHk'kklu ij fjiksVZ

d- d,iksjsV vfHk'kklu ij dEiuh dk n'kZu%

कॉरपोरेट अभिशासन पर एनएचडीसी के दर्शन में नीतिपरक व्यवसाय आचरण और संचालन के सभी पहलुओं व शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित अपने सभी हितधारकों के साथ परस्पर क्रियाओं में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, जवाबदेही व इक्विटी की प्राप्ति की परिकल्पना की गयी है। निगम हितधारकों के दीर्घकालिक मूल्यों में अभिवृद्धि करने और कॉरपोरेट अभिशासन के अच्छे मानकों को बनाए रखने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम स्तर के मानकों की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास कर रहा है। व्यावसायिकता और जवाबदेही प्रदान करने के लिए निगम का सुस्थापित, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासनिक तंत्र है।

[k- fun'kd eMy%

निगम का बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय से बोर्ड में उन्हें शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है, को छोड़कर सुसंरचित है। इस समय इसमें तीन सदस्य हैं जिनमें से (अध्यक्ष सहित) दो भारत सरकार द्वारा नामित हैं और एक कार्यात्मक निदेशक (अर्थात प्रबंध निदेशक) हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्तिक भारत सरकार द्वारा निगम के संस्था गत अतंर्नियमों के अनुच्छेद 94 की शर्तों के अनुसार की जाती है।

निदेशक मंडल का गठन और संबंधित जानकारी निम्नलिखित हैः

fun'kd dk uke o Js.kh	fiNyh okf"kd lkekU; cSBd ds i'pkr mifLFkfr lfgr cksMZ dh cSBdksa dh la[;k	fiNyh okf"kd lkekU; cSBd esa mifLFkfr	31 ekpZ 2016 dh fLFkfr ds vuqlkj ckgj ds fun'kdksa dh la[;k	31 ekpZ 2016 dh fLFkr;fr ds vuqlkj cká ckMZ lfefr lnL;rk @ vè;{krk dh la[;k
ljdkjh fun'kd%				
क) श्री आलोक कुमार, अध्यक्ष–एनएचडीसी डीसी (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय डीआईएन सं. 06517942 (01 मई, 2015 से।)	4/4	हाँ	–	–
ljdkjh fun'kd%				
ख) श्री आर वी एस मणि, उप–सचिव एकीकृत वित्त स्कंध, कपड़ा मंत्रालय डीआईएन सं.06982441 (02 सितम्बर, 2014 से)	4/4	नहीं – सीसीआईसी – बीआईसी	0 2	
dk;kZRed fun'kd%				
ग) श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास प्रबंध निदेशक डीआईएन सं. 02292051 (01 मई, 2013 से)	4/4	हाँ	–	–

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

a. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavours to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

b. BOARD OF DIRECTORS:

The Board of the corporation is well structured except the appointment of independent directors, for which, request has been made to the Administrative Ministry for their induction on the Board. Presently, it consists of 3 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman) and one is the Functional Director (i.e. Managing Director). The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information is placed herein below:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance since last AGM	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31st March, 2016	No. of outside board committee membership/ chairmanship as on 31st March, 2016
Government Director:				
a) Shri Alok Kumar, Chairman-NHDC DC (Handlooms), Ministry of Textiles, DIN No. 06517942 **(From 01st May., 2015)**	4/4	Yes	-	-
Government Director:				
b)Shri R V S Mani, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing Ministry of Textiles, DIN No.06982441 **(From 02nd Sept., 2014)**	4/4	No	02 - CCIC - BIC	-
Functional Director:				
c) Shri Sarvepalli Srinivas Managing Director DIN No. 02292051 **(From 01st May, 2013)**	4/4	Yes	-	-

निगम के बोर्ड की बैठक वर्ष 2015–16 के दौरान नियमित अंतराल (दिनांक 17 जुलाई, 2015, 17 सितम्ब र, 2015, 21 दिसम्बर, 2015 और 16 मार्च, 2016) पर 04 बार हुई और डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी अपेक्षित जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी गई।

ckM d fun'kdk dk lf{kIr fooj.k

(i) Jh vkykd dqekj ¼52 o"k½, उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिनांक 01 मई, 2015 से कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार में हथकरघा विकास आयुक्त के पद पर और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप कार्य ग्रहण किया उन्हों ने सिविल इंजीनियरिंग की स्नातक और वित्त में एमबीए की डिग्री हासिल की है।

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। उन्होंने उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, आवास निर्माण, औद्योगिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के सचिव–उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव – केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक/संयुक्त सचिव सहित केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

(ii) Jh vkj oh ,l ef.k ¼56 o"k½] कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार की एकीकृत वित्त, विंग में उप सचिव हैं। उन्होंने 02 सितंबर, 2014 को निगम में मनोनीत निदेशक के पद पर कार्य ग्रहण किया उन्हें मानव संसाधन विकास में स्नातकोत्तर, एलएलबी, वैकल्पिक विवाद समाधान में पीजी डिप्लोमा हासिल है। वे जुलाई, 1986 में केंद्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हुए हैं। सितम्बर, 2014 में कपड़ा मंत्रालय मे उप–सचिव पद पर कार्य ग्रहण करने से पहले उन्होंने लोक सभा सचिवालय, भारी उद्योग/औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड, शहरी विकास मंत्रालय में कार्य किया है। उन्होंने अधिकतर कानूनी और वित्त मामलों पर कार्य किया है। वर्तमान में, वह कपड़ा मंत्रालय की एकीकृत वित्त विंग का कार्यसंभाल रहे हैं।

वह बीआईसी लिमिटेड के बोर्ड, सीसीआईसी के मनोनीत निदेशक भी हैं और वैकल्पिक विवाद समाधान अंतरराष्ट्रीय केंद्र की शासी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं।

(iii) Jh loiYyh Jhfuokl ¼54 o"k½, ने दिनांक 01 मई, 2013 को निगम में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया है। वे वाणिज्य में स्नातक हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली से विज्ञापन और जन संपर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया है।

दो दशकों की विस्तृत अवधि के कॅरियर में उन्हें बिजली के उपकरण, रसद, रसायन, संकट संचार और बैंकिंग, कॉर्पोरेट संचार, ब्रांड निर्माण, कॉर्पोरेट मामलों का समाधान करने और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने के संबंध में अग्रणीय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अनुभव है। वह एनएचडीसी में शामिल होने से पहले भारतीय निर्यात–आयात बैंक, मुंबई के महाप्रबंधक थे।

x- y[kk ijh{kk lfefr

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में यथा–प्रस्तावित लेखा परीक्षा समिति की निबंधन और शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 को आयोजित उसकी 23वीं बैठक में नोट किए गए थे। लेखा परीक्षा समिति की संरचना और संबंधित सूचना निम्नलिखित हैः

The Board of the corporation met 04 times during the year 2015-16 at regular intervals (17th July, 2015, 17th Sept., 2015, 21st Dec., 2015 & 16th March 2016) and all the information required in accordance with DPE guidelines were placed before the Board.

Brief resume of the directors on the Board:

(i) **Shri Alok Kumar (52 years)**, is an IAS Officer of 1988 batch of Uttar Pradesh cadre. He joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 01st May, 2015. He holds a bachelor degree in Civil Engineering and MBA in Finance.

He has wide experience in various sectors. He has served in various important positions in the Central and State Government of Uttar Pradesh including CMD of UP Power Generation Company, UP Power Transmission Company, Managing Director of UP State Road Transport Corporation, Secretary – Government of UP in Housing, Industries, Vocational Education Departments, Secretary – Central Electricity Regulatory Commission, Director General of Employment & Training/ Joint Secretary in the Ministry of Labour & Employment. .

(ii) **Shri R V S Mani (56 years),** is Deputy Secretary, Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles, Government of India. He joined the corporation as a nominee Director on 02nd Sept., 2014. He has a Masters in HRD, L.L.B., PG Diploma in Alternative Dispute Resolution. He joined Central Secretariat Service in July, 1986. Before joining in Ministry of Textiles as Deputy Secretary in Sept., 2014, he has worked in Lok Sabha Secretariat, Department of Heavy Industry/ Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Home Affairs, Central Board of Film Certification, Ministry of Urban Development. He has mostly dealt in legal and finance matters. Presently, he is handling Integrated Finance Wing of the Ministry of Textiles.

He is also a nominee Director on the Board of BIC Ltd., CCIC and Special Invitee to Governing Council of International Centre for Alternative Dispute Resolution.

(iii) **Shri Sarvepalli Srinivas: (54 years),** joined the corporation as Managing Director on 01st May, 2013. He is a graduate in Commerce and holds a Post Graduate Diploma in Advertising & Public Relations from the Indian Institute of Mass Communications, New Delhi.

In a career spanning over two decades, he has experience in leading public and private sectors in power equipment, logistics, chemicals, crisis communication and banking, handling corporate communications, brand building, corporate affairs and fostering international linkages. He was General Manager, Export – Import Bank of India, Mumbai prior to joining NHDC.

c. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs was noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

uke@J.kh	y[kk ijh{kk lfefr e LFkku	o"k d nkjku mifLFkfr lfgr cBdk dh l[;k
श्री आलोक कुमार, सरकारी निदेशक (01 मई, 2015 से)	अध्यक्ष	5/5
श्री आर वी एस मणि, सरकारी निदेशक (02 सितम्बर, 2014 से)	सदस्य	5/5
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक (01 मई, 2013 से)	सदस्य	5/5

वर्ष 2015–16 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें नियमित अंतराल (17 जुलाई, 2015, 17 सितम्बार 2015, 20 अक्टूबर, 2015, 21 दिसम्बंर, 2015 और 16 मार्च, 2016) पर की गईं। स्वतंत्र निदेशकों को भविष्य में जब भी मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेखा परीक्षा समिति में शामिल किया जाएगा।

?k- ikfjJfed lfefr%

कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 1/2/2014–सीएलवी, दिनांक 05 जून, 2015 के तहत सरकारी कंपनियों को वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों को छोड़कर पारिश्रमिक समिति संबंधी कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की है।

इसके अलावा, निगम को संगठन के रूप में सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है, जबकि उसके शीर्षों, जिनसे वह अपने कर्मचारियों को कार्य–निष्पादन संबंधित भुगतान (पीआरपी) करने में सक्षम नहीं है, को सिर्फ अत्यंत अल्प–अंशदान से पूरा करता है। इस प्रकार, पारिश्रमिक समिति के संबंध में कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते। इसके अलावा, निगम में कर्मचारियों की संख्या भी कम है (अर्थात 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 215 है)।

उपर्युक्त के मद्देनजर, अलग पारिश्रमिक समिति की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामले, यदि होते हैं, निदेशक मंडल को सीधे प्रस्तुत किए जाते हैं।

M- vke lHkk dh cBd %

विगत 03 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईः

okf"kd vke lHkk dh cBd dk foÙk o"k	okf"kd vke lHkk dh cBd dh rkjh[k vkj le;	okf"kd vke lHkk dh cBd dk LFkku
2014–15	24 नवंबर, 2015/ 12.00 मध्याह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ
2013–14	30 सितम्बबर, 2014/ 12.00 मध्याह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ
2012–13	27 सितम्बर 2013/ 11.00 पूर्वाह्न	पंजीकृत कार्यालय, लखनऊ

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Alok Kumar Government Director (w.e.f. 01st May, 2015)	Chairman	5/5
Shri R V S Mani, Government Director (w.e.f. 02nd Sept., 2014	Member	5/5
Shri Sarvepalli Srinivas Functional Director (w.e.f. 01st May, 2013)	Member	5/5

The Audit Committee met 5 times during the year 2015-16 at regular intervals (17th July, 2015, 17th Sept., 2015, 20th Oct., 2015, 21st Dec., 2015 and 16th March, 2016). The Independent Directors, as and when appointed by the Ministry in future, will be inducted in the Audit Committee.

d. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

Further, the corporation is an organisation with social objectives having very thin contribution margin just sufficient to meet its overheads, it is not able to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Thus, the provisions of DPE guidelines on Corporate Governance in respect of Remuneration Committee do not apply to the corporation. Besides, the number of employees in the corporation is also small (i.e. 215 as on 31st March, 2016).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

e. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

AGM for the FY	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2014-15	24th Nov., 2015/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow
2013-14	30th Sept., 2014/ 12.00 Noon	Registered Office, Lucknow
2012-13	27th Sept., 2013/ 11.00 A.M.	Registered Office, Lucknow

च. प्रकटन

(i) कार्यकारी निदेशकों को किए गए पारिश्रमिक भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

कार्यकारी निदेशक	कुल वेतन	अनुलब्धियां	योग
श्री सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक	23.58	0.56	24.14

(ii) वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष का कोई लेन–देन नहीं हुआ।

(iii) इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी भी सांविधिक निकाय ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है।

(iv) निगम के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक विसिल ब्लोअर नीति है जिसे निगम के सभी कर्मचारियों के लिए परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट पर www.nhdcltd.co.in पर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इसकी भी पुष्टि की जाती है कि किसी भी कार्मिक को लेखा–परीक्षा समिति के समक्ष जाने से रोका नहीं गया है।

(v) निगम सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यसक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, को छोड़कर सीपीएसई हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा–निर्देशों की सभी आवश्यसकताओं का अनुपालन कर रहा है। पारिश्रमिक समिति के संबंध में भी वही स्पष्टीकरण दिया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है।

(vi) भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों का इस वर्ष और पिछले 3 वर्षों के दौरान निगम द्वारा अनुपालन किया गया है।

(vii) वर्ष के दौरान, ऐसा कोई व्यय खाता–बही में नहीं डाला गया है जोकि व्यवसाय के प्रयोजनार्थ नहीं है।

(viii) वर्ष के दौरान, निजी प्रकृति का कोई व्यंय निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन पर नहीं किया गया है।

(ix) वर्ष के दौरान, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले साल के 20.51% की तुलना में कुल व्यय का 19.55% है। इसके अलावा, चूंकि निगम एक ऋण मुक्त कंपनी है, वित्तीय व्यय नगण्य हैं।

छ. संचार का साधन

निगम की पूरी भुगतान की गयी शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक खातों सहित उसकी वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती हैं और निगम की वेबसाइट www.nhdcltd.co.in पर भी दी जाती है। वार्षिक खातों को कॉरपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रस्तुवत किया जाता है।

ज. लेखा परीक्षा की शर्तें

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां कंपनी अधिनियम,

f. DISCLOSURES:

(i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:

(Rs. in lac)

Name of Functional Director	Gross salary	Perquisites	Total
Shri Sarvepalli Srinivas Managing Director	23.58	0.56	24.14

(ii) During the year, there was no related party transaction.

(iii) It is reaffirmed that no penalty has been imposed by any of the statutory body.

(iv) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdcltd.co.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.

(v) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.

(vi) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.

(vii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.

(viii) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.

(ix) Administrative and Office Expenses during the year is 19.55% of the total expenses as against 20.51% last year. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

g. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdcltd.co.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

h. AUDIT QUALIFICATIONS:

The comments on accounts for the year ended 31st March, 2016 by the Comptroller & Auditors General

2016 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाती हैं।

>- fun'kd eMy dk çf'k{k.k%

निगम निदेशकों के बोर्ड में शामिल होने पर उन्हें फोल्डर के रूप में दस्ता्वेज़ों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कार्यकारण व कार्य–निष्पांदन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यसवसाय संचालन संबंधी संहिता व नीतिशास्त्र, कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देश आदि के बारे में महत्व पूर्ण जानकारियां होती हैं।

¥- fofly Cykvj uhfr%

निगम ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित विसिल ब्लोअर नीति निर्धारित की है। इस नीति को निगम के सभी कर्मचारियों के लिए परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdcltd.co.in पर दिया गया है।

V- vkpkj lafgrk%

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यइवसाय संबंधी नीति–शास्त्र निर्धारित किया है। संहिता की एक प्रतिलिपि निगम की वेबसाइट www.nhdcltd.co.in पर दी गयी है। बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है। इस आशय की घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

B- vuqikyu çek.k&i=%

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों की आवश्य कताओं को विधिवत पूरा करती है और दिशा–निर्देशों के अनुलग्न–क–VII में वर्णित सभी सुझायी गयी मदों को शामिल करती है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की आवश्याकताओं को पूरा करने संबंधी तिमाही/वार्षिक रिपोर्टें नियमित रूप से/समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भी भेजी जाती हैं। सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशा–निर्देशों की शर्तों को पूरा करने के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से लिया गया प्रमाण–पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्नर है।

¼t ; xkiky egktu½ mi egkçca/kd ¼fo-@y-½@ daiuh lfpo	¼loiYyh Jhfuokl½ çca/k funs'kd	¼vkyksd dqekj½ v/;{k

of India under section 143(6) of the Companies Act 2013 are placed in the Annual report.

i. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

j. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdcltd.co.in of the corporation.

k. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdcltd.co.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

l. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly/ timely. The certificate obtained from the Practicing Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

(Jai Gopal Mahajan) **DGM (F&A)/ Company Secretary**	**(Sarvepalli Srinivas)** **Managing Director**	**(Alok Kumar)** **Chairman**

çxfr x|Irk

dk;jr diuh lfpo

ch&12 c lesV] ejyh Hkou] 10&,] v'kkd ekx] y[kuÅ&226001

njHkk"k% 0522&4024033] ekckby% 9415400617

bl&ey% pragatics@gmail.com

d,jikjV vfHk'kklu çek.k&i=

lok e]
सदस्य,
राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
10वां तल, विकास दीप, 22 स्टेशन रोड, लखनऊ – 226001

हमने 31, मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 2010 के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (इसके पश्चारत ''निगम'' के रूप में उल्लिेखित) के कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाए गई क्रियाविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा–परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर विचारों का स्पष्टीकरण है।

हमारे मत में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि संबंधित मंत्रालय द्वारा अपर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त न किए जाने तथा जोखिम प्रबंधन योजना के कारण बोर्ड के गठन, लेखा–परीक्षा समिति एवं नामिकायन तथा पारिश्रमिक समिति से संबंधी प्रावधान को छोड़कर निगम ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में यथाउल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह उल्ल्ेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो निगम की भावी व्यावहार्यता और न ही निगम की प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के कार्यों का संचालन किया है।

g-@&
çxfr x|Irk
dk;jr diuh lfpo
सी.पी. सं. 7878
दिनांक : 22.09.2016
स्थान : लखनऊ

PRAGATI GUPTA
Practicing Company Secretary

B-12,Basement,"MurliBhawan", 10A Ashok Marg,Lucknow-226 001
Phone : 0522 – 4024033, Mobile : 9415400617
E-mail:pragatics@gmail.com

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
10TH Floor, Vikas Deep, 22-Station Road, Lucknow-226001

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance of National Handloom Development Corporation Limited, (hereinafter referred to as "Corporation") for the year ended on 31st March, 2016 as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries &Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned thereunder (hereinafter referred to as 'Guidelines')

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination is limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance to the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines.It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines except the provision regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination &Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent directors by the concerned Ministry& risk management plan.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

Sd/-
Pragati Gupta
Company Secretary in Practice
C.P.No.7878
Date:September22, 2016
Place:Lucknow

çxfr xqIrk

dk;jr dEiuh lfpo

ch&12 cqlleV] eqjyh Hkou] 10&,] v'kksd ekxZ] y[kuÅ&226001

nwjHkk"k% 0522&4024033] eksckby% 9415400617

bZ&esy% **pragatics@gmail.com**

QkeZ lañ ,evkj-3
fnukad 31 ekpZ] 2016 dks lekIr foÙkh; o"kZ ds fy,
lfpoky;h ys[kkijh{kk fjiksVZ

dEiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 204 ¼1½ rFkk dEiuh ¼dkfeZdksa dh fu;qfä ,oa ikfjJfed½ fu;ekoyh] 2014 ds fu;e lañ 9 ds vuqlj.k esa

सेवा में,

सदस्य,

jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVsM]

¼lhvkbZ,u & ;w17299;wih1983thvksvkbZ005974½

10&11 oka ry] fodkl nhi 22 LVs'ku jksM] y[kuÅ] mÙkj çns'k ¼Hkkjr½ & 226001

हमने मैसर्स राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (इसके पश्चात ''कंपनी'' के रूप में उल्लिखित) द्वारा अनुप्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा उनके द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट कार्यप्रणाली के अनुपालन की सचिवालीय लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई थी कि जिससे हमें कॉर्पोरेट कार्यप्रणालियों/सांविधिक अनुपालनों तथा उन पर मेरी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्तं बहियों, प्रपत्रों तथा दायर की गई विवरणिका एवं कंपनी द्वारा रखे जा रहे अन्य रिकार्डों तथा साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटो एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान मुहैया कराई गई सूचना के संबंध में हमारे सत्यानपन के आधार पर,

हम एतद्द्वारा यह टिप्पाणी करते हैं कि हमारी राय में:–

i कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपानल किया है तथा साथ ही

ii कंपनी के पास उचित व्यापक प्रक्रियाओं का प्रावधान है तथा साथ ही उनके अनुपालन के संबंध में कार्यतंत्र भी विद्यमान है जो इसके पश्चात की गई टिप्पणी के अध्योधीन हैः–

PRAGATI GUPTA
Practicing Company Secretary
B-12 Basement, Murli Bhawan, 10-A, Ashok Marg, Lucknow – 226 001
Phone : 0522 – 4024033, Mobile : 9415400617
E-mail:pragatics@gmail.com

FORM NO. MR.3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

National Handloom Development Corporation Limited,

(CIN - U17299UP1983GOI005974)

10 -11 Floors Vikas deep 22 Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh India - 226001

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s National Handloom Development Corporation Limited (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit,

We hereby report that in our opinion

i. The company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2016 complied with the statutory provisions listed hereunder and also

ii. That the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

çxfr x|Irk
dk;jr dEiuh lfpo

हमने दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्तन वित्तव वर्ष के लिए कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दायर की गई विवरणियों की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार जांच की हैः–

i कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

ii प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम – जो अनुप्रयोज्यद नहीं हैं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;

iii निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम व उप–विधि – जो अनुप्रयोज्य् नहीं हैं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;

iv विदेशी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम जो विदेशी प्रत्य्क्ष निवेश, अप्रवासी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारियों के संदर्भ में बनाए गए थे – अनुप्रयोज्यय नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया है।

v भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निम्नालिखित विनियम एवं दिशानिर्देंश निर्धारित किए गए हैंः–

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिपापण एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 – जो अनुप्रयोज्य नहीं है क्योंमकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं तथा साथ ही कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण नहीं किया है;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 – जो अनुप्रयोज्यत नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन एवं प्रकटीकरण आवश्य्कताएं) विनियम, 2009 – जो अनुप्रयोज्यी नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों की किसी प्रकार की सार्वजनिक पेशकश नहीं की है;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम तथा कर्मचारी स्टॉक खरीद स्कीम) दिशानिर्देश, 1999 / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (दिनांक 28 अक्तूबर, 2014 को प्रभावी) – जो अनुप्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई विकल्प नहीं दिए हैं;

ड. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना तथा उन्हे सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008 – जो अनुप्रयोज्य नहीं है क्यो्कि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी प्रकार की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां जारी नहीं की थीं;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निगर्मन एवं शेयर अंतरण एजेंट संबंधी पंजीयक) विनियम, 1993 जो कंपनी अधिनियम के संबंध में है तथा जिसका संबंध ग्राहकों से है – अनुप्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान निर्गमन तथा शेयर अंतर एजेंट की नियुक्ति के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत नहीं है। किसी प्रकार की सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां जारी नहीं की थीं;

PRAGATI GUPTA
Practising Company Secretary

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2016 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under **- not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under **- not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings **- Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 **- not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review and also the Company has not acquired shares of any Listed Company during the period under review;**

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 **- not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009**- not applicable as the Company has not made any public offer of securities during the period under review;**

d. The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999/Securities And Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (effective 28th October 2014) - **Not applicable as the Company has not granted any options during the financial year under review;**

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008 - **not applicable as the Company has not issued any listed debt securities during the period under review;**

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client - **Not Applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

çxfr xIrk
dk;jr diuh lfpo

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 – अनुप्रयोज्यत नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान किसी भी स्टॉक एक्स्चेंज से अपने इक्विवटी शेयरों को डीलिस्टव नहीं किया है/न ही डीलिस्ट करने का कोई प्रस्ताव है;

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 – अनुप्रयोज्यत नहीं है क्योंमकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान अपनी किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों को न तो वापस खरीदा है/न ही वापस खरीदने का प्रस्तााव है।

vi अन्य नियम जो विशेषकर कंपनी के लिए अनुप्रयोज्यप हों : शून्य

हमने निम्नलिखित अनुप्रयोज्य खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:–

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सचिवालीय मानक; और

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सथचेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार (अनुप्रयोज्य नहीं हैं क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां सूचीबद्ध नहीं थीं)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नालिखित टिप्पाणियों के अध्यधीन उपर्युक्तय अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

1. जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति, एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) एवं 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वह कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करे परंतु कंपनी उक्त का अनुपालन नहीं कर पाई। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी ने आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।

2. जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वह दिनांक 31 मार्च, 2015 तक हर हाल में कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करे परंतु कंपनी उक्त का अनुपालन नहीं कर पाई। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी ने आवश्यक नियुक्तियां करने के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।

3. जबकि कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यअक था कि वह बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे। कंपनी ने तीन निदेशकों को शामिल करते हुए बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। तथापि, लेखा परीक्षा समिति में अधिनियम की आवश्यकता के

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 – **Not applicable as the Company has not delisted/propose to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review;**

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998 - **Not applicable as the Company has not bought back/propose to buyback any of its securities during the financial year under review.**

vi. The other laws as may be applicable specifically to the company: NIL

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India; and

(ii) Listing Agreements entered into by the Company with Stock Exchanges **(not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review)**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above, subject to the following observations:

1. *Where as in terms of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company, the Company could not comply with the same. However as informed by management the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointments.*
2. *Where as in terms of the provisions of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 3 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least one Women Director on the Board of the Company latest by 31st March, 2015, the Company could not comply with the same. However as informed by management the Company being a Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment.*
3. *Whereas in terms of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meetings of Board and Its Powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board. The*

çxfr xIrk
dk;jr dEiuh lfpo

अनुसार उपर्युक्त पैरा 1 संख्या में उल्लिखित कारण की वजह से स्वतंत्र निदेशकों को शामिल नहीं किया जाता है।

4. जबकि कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यपक था कि वह बोर्ड की एक नामिकायन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करे, तथापि, समिति ने उक्त समिति का गठन नहीं किया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी को वरिष्ठि प्रबंधन एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर अपने बोर्ड में निदेशकों की तैनाती एवं पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप–धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। प्रबंधन ने आगे यह सूचित किया है कि निगम में कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम (215) है, तदनुसार, निगम को एक पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यभकता महसूस नहीं हुई है और वरिष्ठक प्रबंधन एवं अन्यि कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित मामला, यदि कोई हो, तो उसे सीधे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

5. जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना आवश्याक था, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति अंगीकृत नहीं की है। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय पूरे कर लिए हैं।

6. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्युक था कि एक मुख्य्‍ प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में उसके पास सीएफओ हो। कंपनी ने दिनांक 21.12.2015 को उसकी तैनाती की है।

7. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी पंजीयक, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, कानपुर के पास विलंब से कुछ प्रपत्र दायर किए हैं।

ge vkxs ;g fVIi.kh djrs gSa fd%&

- कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत रूप से गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। तथापि, कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक एवं महिला निदेशक नहीं है जबकि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति् एवं अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 एवं 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (5) एवं 149 (1) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक था कि वह दिनांक 31 मार्च, 2015 तक हर हाल में कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों एवं एक महिला निदेशक की नियुक्ति करे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघठन में हुए परिवर्तन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

Company has constituted the Audit Committee of the Board consisting of three directors. However, the Audit Committee does not include independent directors as per the requirement of the Act for the reason mentioned at Para-1 above.

4. *Whereas in terms of the provisions of Section 178(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meetings of Board and Its Powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute a Nomination & Remuneration Committee of the Board, however the Company has not constituted the same. As informed by the management, the company being government company is exempted from the provisions of sub section (2), (3) & (4) of Section 178 of Companies Act 2013 with regard to appointment and remuneration of Directors on its Board except the appointment of senior management and other employees. The management has further informed that the number of employees in the corporation is also small (215), accordingly, no need has been felt by the corporation to have a remuneration committee and the matter relating to remuneration of senior management and other employees, if any, are placed directly to the Board of Directors.*
5. *Whereas in terms of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013, the Company was required to have a Risk Management Policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by management the Company has adopted all necessary measures for management of the risk.*
6. *Whereas in terms of the provisions of Section 203 of the Companies Act, 2013, the Company was required to have CFO as a Key Managerial Personnel. The Company made appointment w.e.f. 21.12.2015.*
7. *The Company has filed with delay few forms with the Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs, Kanpur under the provisions of the Companies Act, 2013.*

We further report that:

- The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors. *However the Board of Company has no Independent Directors & Women Director,* where as in terms of the provisions of Section 149(4), 149(5) & 149(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 & 3 of the Companies (Appointment And Qualification Of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors & a women director on the Board of the Company latest by 31st March, 2015. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

çxfr xqIrk
dk;Zjr daiuh lfpo

- ➢ सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों का आयोजन करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियों को केवल एक मामले को छोड़कर अग्रिम रूप से कम से कम सात दिन पहले भेज दिया गया था और बैठक से पूर्व एवं बैठक में सार्थक भूमिका निभाने के लिए आगे की सूचना प्राप्तक करने एवं कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु एक कार्यतंत्र मौजूद है।

- ➢ बहुमत के निर्णय को वरीयता दी जाती है जबकि असहमत सदस्यों के मत, यदि कोई हों, तो उन पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में रिकॉर्ड कर लिया जाता है।

हम आगे यह टिप्पणी करते हैं कि अनुप्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की मॉनीटरिंग करने तथा उनके अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार तथा उसके कार्यकरण के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त व्यवस्थापएं एवं प्रक्रियाएं मौजूद हैं। तथापि, कंपनी के आकार और उसके कार्यकरण पर विचार करते हुए उसकी व्ययवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को आगे और सुदृढ करने हेतु कंपनी द्वारा अतिरिक्त सुधारों पर विचार किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, हम यह टिप्णी करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी में ऐसी कोई प्रमुख घटना नहीं हुई जिसके संबंध में टिप्पणी करना अपेक्षित हो।

प्रगति गुप्ता
कार्यरत कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए19302
सी.पी. सं. 7878
दिनांक : 22.09.2016
स्थांन : लखनऊ

नोट : इस रिपोर्ट को सचिवालीय लेखापरीक्षकों के समसंख्यिक तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

- Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, except in one case, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

- Majority decision is carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. However considering the size and operations, further improvements may be considered by the Company to further strengthen the systems and process.

We further report that during the audit period there was no major event in the company, requiring reporting.

Pragati Gupta

Company Secretary in Practice

Membership No. : A19302

C.P. No. 7878

Date: 22.09.2016

Place: Lucknow

Note: This report should be read with the letter of even date by the Secretarial Auditors.

çxfr xqIrk
dk;Zjr dEiuh lfpo

सेवा में

सदस्य

jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVsM

¼lhvkbZ,u & ;w17299;wih1983thvkbZvkbZ005974½

10&11oka ry] fodklnhi 22 LVs'ku jksM] y[kuÅ] mÙkj çns'k ¼Hkkjr½ % 226001

हमारी इस समसंख्यक रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. सचिवालीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालीय रिकॉर्डों पर हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर अपने राय व्यक्त करने की है।

2. हमने सचिवालीय रिकॉर्डों की विषय–वस्तु की शुद्धता के संबंध में युक्तियुक्ति आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा संबंधी यथोचित कार्य–पद्धति एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सत्योपन परीक्षण आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिशुद्ध तथ्य सचिवालीय रिकॉडों में प्रतिबंबित हों। हमारा यह विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं एवं कार्यपद्धतियां हमारे मत का युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत करती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों एवं खाता बहियों की परिशुद्धता एवं उपयुक्तातुत की जांच नहीं की है।

4. जहां कहीं आवश्यक प्रतीत हुआ वहां हमने विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाक्रमों के समयानुक्रम आदि के संबंध में प्रबंधन की राय प्राप्त की है।

5. कारपोरेट तथा अन्य अनुप्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर क्रियाविधि की जांच तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही उसकी प्रभाविकता अथवा प्रभावशीलता के संबंध में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

प्रगति गुप्ता
कार्यरत कंपनी सचिव
सदस्यता सं. : ए19302
सी.पी. सं. 7878
दिनांक : 22.09.2016
स्थान : लखनऊ

PRAGATI GUPTA
Practising Company Secretary

To,

The Members,

National Handloom Development Corporation Limited,

(CIN - U17299UP1983GOI005974)

10 -11 Floors Vikas deep 22 Station Road, Lucknow, Uttar Pradesh India - 226001

Our Report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and process as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Pragati Gupta

Company Secretary in Practice

Membership No. : A19302

C.P. No. 7878

Date: 22.09.2016

Place: Lucknow

çcèk funs'kd }kjk foÙk o"kZ 2015&16 ds nkSjku cksMZ ds lnL;ksa vkSj ofj"B çcèku }kjk vkpkj lafgrk dk vuqikyu djus ds lacèk esa ?kks"k.kk

मैं, सर्वपल्ली श्रीनिवास, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, एतद्‌वारा घोषणा करता हूं कि वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन दल के सभी सदस्यों ने निगम की व्यवसाय आचार संहिता और नीति–शास्त्र का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

ह./ –

LFkku% y[kuÅ
fnukad% 13 tqykbZ 2016

¼lozZiYyh Jhfuokl½
çcèk funs'kd

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2015-16.

I, Sarvepalli Srinivas, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the corporation have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2015-16.

Place: Lucknow
Dated: 13 July, 2016

Sd/-
(Sarvepalli Srinivas)
Managing Director.

fun'kdk dh fjikVl dk vuyXuyd

çcèku ppk vkj fo'y"k.k fjikVl

1- gFkdj?kk ifj–';%

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़े असंगठित आर्थिक क्रिया–कलापों में से एक है और ग्रामीण व अर्ध–ग्रामीण आजीविका के अभिन्न अंग का गठन करता है, जोकि 43 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।

हथकरघा क्षेत्र के समग्र और सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार 12वीं योजना के दौरान निम्नलिखित स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वायन कर रही है:

¼1½ jk"Vh; gFkdj?kk fodkl dk;Øe% एनएचडीपी को हथकरघा के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं: –

¼d½ gFkdj?kk {k= d fy, iqu%)kj] lekkj vkj iquxBu ¼vkjvkjvkj½ iSdst% आरआरआर पैकेज में 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋण की माफी के लिए 100% मूल और ब्याज का 25% माफ करना और पात्र शीर्ष व प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों एवं व्यक्ति–विशेष बुनकर को पुनर्पूंजीकरण सहायता प्रदान करना और 3 साल के लिए क्रेडिट गारंटी के साथ–साथ 6% ब्याज दर पर नया ऋण प्रदान करना भी शामिल है।

आरआरआर पैकेज को कार्यान्वयन हेतु 28 फरवरी, 2014 तक अनुमोदित किया गया था। रियायती आवधिक ऋण के लिए पहुँच प्रदान करने और साथ ही, ऋण माफी पैकेज के तहत कवर नहीं किए गए हथकरघा बुनकरों को कार्यशील पूंजी उपलब्धक कराने के लिए सरकार ने रियायती ऋण घटक अनुमोदित कर दिया है। बुनकरों को 6% ब्याज पर ऋण मंजूर किया जाता है और भारत सरकार की ब्याबज संबंधी आर्थिक सहायता अधिकतम 7% है, और सरकार ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रति बुनकर 10,000/–रु. मार्जिन राशि सहायता तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट निधि (सीजीटीएमएसई) के जरिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।

¼[k½ 0;kid gFkdj?kk fodkl Ldhe ¼lh,pMh,l½ 11वीं योजना के दौरान कार्यान्विएत एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम (आईएचडीएस), विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम (एमईपीएस), विविध और हथकरघा विकास स्कीम (डीएचडीएस) के घटकों को मिलाकर तैयार की गई है। सीएचडीएस के उप–घटक इस प्रकार हैं:

(क) समूह विकास कार्यक्रम
(ख) हथकरघा विपणन सहायता
(ग) हथकरघा संस्थाननों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण
(घ) हथकरघा जनगणना
(ड.) अभिनव विचारों का कार्यान्वायन
(च) स्कीम का प्रचार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन

ANNEXURE TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities after agriculture and constitutes an integral part of the rural and semi- rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 43 lac weavers and allied workers.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes during 12th Plan:

(1.) **National Handloom Development Programme**: NHDP is being implemented as a centrally sponsored programme for development of handlooms. The scheme is having following components:-

(a) **Revival, Reform and Restructuring (RRR) Package for handloom sector**: RRR package covers waiver of overdue loan involving 100% principal and 25% of interest as on 31st March, 2010 and recapitalization assistance to the eligible apex and primary weavers cooperative societies & individual weavers and also provides fresh loan at 6% interest rate alongwith credit guarantee for 3 years.

The RRR Package was approved for implementation upto 28th Feb., 2014. For providing access to subsidized term loan as well as working capital loan to handloom weavers not covered under loan waiver package, Government has approved Concessional Credit Component. The loan is sanctioned to weavers at 6% interest and Government of India interest subvention is maximum 7% and to leverage the loan, Government provides margin money assistance upto Rs.10,000/- per weaver and credit guarantee through Credit Guarantee Trust Fund for Micro and Small Enterprises (CGTMSE).

(b) **Comprehensive Handlooms Development Scheme (CHDS)** has been formulated by merging the components of Integrated Handloom Development Scheme (IHDS), Marketing & Export Promotion Scheme (MEPS), Diversified & Handloom Development Scheme (DHDS), implemented during the 11th Plan. Sub-components of the CHDS are as follows:-

(a) Cluster development programme
(b) Handloom marketing assistance
(c) Development and strengthening of the handloom institutions
(d) Handloom census
(e) Implementing innovative ideas
(f) Publicity, advertisement, monitoring, training and evaluation of the scheme

¼2½ lwr vkiwfrZ Ldhe ¼okbZ,l,l½

यह स्कीम पात्र हथकरघा एजेंसियों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार का सूत उपलब्ध कराती है और डिपो परिचालन व्यय और परिवहन व्यय की भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, पावरलूम और मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए हथकरघा बुनकरों को रियायती सूत उपलब्ध कराने के लिए कपास लच्छी के धागों, घरेलू रेशम के धागों और ऊनी धागों पर 10% मूल्य सब्सिडी का एक नया घटक भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

¼3½ gFkdj?kk cqudj 0;kid dY;k.k Ldhe%

इस स्कीम के 2 घटक अर्थात् स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) हैं। पहले एचआईएस देश भर में हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किए जाने के लिए डीसी (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा लागू की गयी थी, अब यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) जिसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, का हिस्सा है, जिसमें पांच सदस्यों के परिवार को शामिल किया जाता है। एमजीबीबीवाई स्कीसम प्राकृतिक/दुर्घटनावश मृत्यु और दुर्घटना के कारण पूरी या आंशिक विकलांगता के मामलों में हथकरघा बुनकरों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। इस स्कीम के तहत 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों् को 300/– प्रति तिमाही प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृत्ति भी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

¼4½ gFkdj?kk ¼fjtoZs'ku v,Q vkfVZdYlo Q,j çkMD'kju½ vf/kfu;e] 1985 ¼;kstusrj Ldhge½

भारत सरकार ने देश के हथकरघा बुनकरों के हितों और जीविका को सुरक्षा प्रदान करने के मद्देनजर हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्सर फॉर प्रोडक्शजन) अधिनियम, 1985, दिनांकित 29 मार्च, 1985 की घोषण की। इस अधिनियम के तहत, कुछेक कपड़ा मदों को केवल हथकरघा से ही निर्मित करने के लिए आरक्षित करके हथकरघा क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गयी। परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों पर अधिसूचना सं 2160 (ई), दिनांक 03 सितम्बर, 2008 के तहत 11 मदों को आरक्षित किया गया।

हथकरघा (रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल्सक फॉर प्रोडक्शपन) अधिनियम, 1985, को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए, वार्षिक कार्रवाई योजना के अंतर्गत बिजली–करघा निरीक्षणों के लक्ष्यर डीसी (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और अनुपालन हेतु सभी कार्यान्वेयन ऐजेंसियों को परिचालित किए जाते हैं। जहां कहीं भी इसका उल्लंघन पाया जाता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत यथोचित कार्रवाई की जाती है।

2- lkeFbZ ,oa nqcZyrk,a

निगम का 6 क्षेत्रीय कार्यालयों, 2 अंचल कार्यालयों और 33 शाखा कार्यालयों के जरिए 29 राज्यों/ संघ राज्य् क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। हथकरघा क्षेत्र में किसी अन्य निकाय की देश में इस प्रकार की व्यारपक उपस्थित नहीं है। निगम की उपस्थिति बाजार में हस्तक्षेप करने के प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि सूत की दर को उचित स्तर के भीतर रखने के लिए निजी व्यापारियों के एकाधिकार को प्रतिबंधित किया जा सके। निगम उस असंगठित क्षेत्र, जिसमें गरीब कारीगर/ हथकरघा बुनकर उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति की पारंपरिक मूल्य की वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करके सामाजिक दायित्व निभाने का नेक कार्य करता है।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस रिक्तता, जोकि विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने से हो सकती है, को भरने के लिए निगम ने न केवल मध्य स्तर के कार्यपालकों को उच्चतर दायित्व निभाने

(2.) Yarn Supply Scheme (YSS):

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies and the depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with powerloom and mill sector, a new component of 10% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn and woolen yarn has also been added under this scheme.

(3) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme:

This scheme has 2 components namely Health Insurance Scheme (HIS) and Mahatma Gandhi Bunkar Bima Yojana (MGBBY). The HIS was earlier implemented by the Office of DC(Handlooms) for providing the health care facilities to the handloom weavers across the country, now it is part of the Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) which is being implemented by the Ministry of Health & Family Welfare which covers a family of five members. The MGBBY provides life insurance cover to handloom weavers in the case of natural/ accidental death and total or partial disability due to accident. Under this scheme a scholarship of Rs.300/- per quarter per child subject to two children studying in standard IX to XII is also provided by Govt. of India.

(4) Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 (Non-Plan Scheme):

Government of India promulgated the Handloom (Reservation of Articles for Production), Act 1985 dated 29th March, 1985, with a view to protect the interests and livelihood of the handloom weavers in the country. Under the Act, protection to the handlooms sector was extended by way of reserving certain textile articles for exclusive production by handlooms. On the recommendation of the Advisory Committee, 11 articles were reserved vide Notification No.2160(E) dated 03rd Sept., 2008.

In order to implement the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985 effectively, targets of powerloom inspections under annual action plan are fixed by the O/o the DC (Handlooms) and circulated to all the implementing agencies for compliance. Wherever any violation is detected suitable action under the provisions of the Act is initiated.

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/ Union Territories through 6 Regional Offices, 2 Zonal Offices and 33 Branch Offices. No other body in the handloom sector has such a wide presence in the country. The presence of the corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganised sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned not only to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities but also making fresh recruitment at the induction level as well as senior levels depending upon the requirements. During

के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने/कार्य में तेजी लाने की योजना बनायी है, अपितु प्रारंभिक स्तर, और साथ ही वरिष्ठ स्तरों पर पर नयी भर्तियां कर रहा है जोकि भर्ती की आवश्यकता होने पर निर्भर करता है। वर्ष 2010–11 से पहले, पिछले 10 वर्षों के दौरान नए कर्मचारियों की भर्ती नगण्य है। यह आशा की जाती है कि निगम नई भर्ती से संगठनात्मक अनुभव रखने वाले पुराने कर्मचारी और बाहरी अनुभव रखने वाले नए कर्मचारियों के बेहतर मिश्रण से नए उत्साह को आत्मसात करेगा। इसके अलावा, निगम को राज्य के शीर्ष निकायों से अनिश्चिलत मांग और भुगतान में देरी का सामना करना पड़ रहा है।

3- volj vkj [krj%

इस समय निगम हथकरघा क्षेत्र के लिए कुल लच्छी सूत (हैंक यार्न) उत्पादन की 21% (लगभग) आवश्यकता को पूरा कर रहा है और कुल हैंक यार्न उत्पादन का 79% खपत करने वाले अप्रयुक्त हथकरघा क्षेत्र में पंहुच बनाकर इस व्यवसाय का विस्तारर करने के लिए बहुत अवसर हैं। इस संबंध में, नई एजेंसियों तक पहुँच बनाकर कवरेज बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

सूत (यार्न) बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों, जो पहले ही सुस्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं, के साथ प्रतियोगिता है। उनसे मुकाबला करने के लिए, निगम हथकरघा बुनकरों को प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर धागा उपलब्ध कराने के लिए थोक मात्रा में छूट के लिए केंद्रीय रूप से सूत प्राप्त कर रहा है और सूत की दरों पर बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकरों, एजेंसियों की पंहुच के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर भी दिया जाता है, जिसके परिणामस्वारूप बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

4- –f"V dk.k

निगम को विश्वास है कि वह अपने विकास मंच पर साल–दर–साल नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना जारी रहेगा। निगम अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए अपनी शक्तियों और दुर्बलताओं का पुनःआकलन करता रहेगा और तदनुसार अपने व्यवसाय की योजना तैयार करता रहेगा जिससे निगम नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम बनेगा।

5- [kM&okj vkj mRikn&okj fu"iknu%

धागा, जोकि हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल है, निगम के कारोबार का उच्चतम योगदान बना हुआ है। इसके योगदान में वर्ष 2014–15 के दौरान निगम के कुल कारोबार के 97.76% से वर्ष 2015–16 के दौरान 98.14% होकर मामूली वृद्धि हुई है। रंगों व रसायनों (डाइज एंड केमिकल्स) की प्रतिशत हिस्सेदारी वर्ष 2014 –15 के दौरान 2.23% से घटकर वर्ष 2015–16 के दौरान 1.86% हो गयी है। निगम के संचालनों का खंड–वार विश्लेषण नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रु. में)

Ø-l-	[kM@mRikn	2015&16		2014&15	
		dkjkckj	çfr'krrk	dkjkckj	çfr'krrk
1	सूत (धागा)	2,361.20	98.14%	2,167.30	97.76%
2	रंग व रसायन (डाइज एंड केमिकल्स)	44.84	1.86%	49.48	2.23%
3	कपड़ा	–	–	0.18	0.01%
	कुल	2,406.04	100.00%	2,216.96	100.00%

6- vkrfjd fu;=.k ç.kkyh vkj mldh i;kIrrk%

निगम ने अपने आकार के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण संबंधी एक प्रणाली विकसित की है। आंतरिक नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, आवश्यकतानुसार आंतरिक लेखा परीक्षिकों को नए जांच बिंदु भी सुझाए जाते हैं। निगम की आंतरिक

the last 10 years prior to the year 2010-11, the recruitment of fresh employees is negligible. It is hoped that the fresh recruitment will imbibe new blood in the corporation with a better mix of existing employees having organisational experience and new employees with outside experience. Besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

Presently, the corporation is catering to 21% (approximately) of the total hank yarn production to the handloom sector and there is a large scope to expand the business by reaching the untapped handloom sector consuming 79% of the total hank yarn production. In this regard the efforts are being made to increase the coverage by accessing new agencies.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates centrally for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has increased marginally from 97.76% of the total turnover of the corporation during the year 2014-15 to 98.14% during the year 2015-16. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 2.23% during the year 2014-15 to 1.86% during the year 2015-16. The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S.No.	Segment/ product	2015-16		2014-15	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1.	Yarn	2361.20	98.14%	2167.30	97.76%
2.	Dyes & chemicals	44.84	1.86%	49.48	2.23%
3.	Fabric	-	-	0.18	0.01%
	Total	**2406.04**	**100.00%**	**2216.96**	**100.00%**

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has evolved a system of internal control commensurate with the size of the corporation. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive internal audit manual, the new

लेखा–परीक्षा निगम के आंतरिक लेखा–परीक्षक दल और साथ ही बाह्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, प्रधान कार्यालय और निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा–परीक्षा प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से आंतरिक लेखा–परीक्षा विंग और बाह्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणाली की लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

7- ifjpkyu fu"iknu dk lkjka{k foÙkh; fu"iknu ppkZ%

निगम के कारोबार में पिछले वर्ष से 9% की वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2014–15 में 2216.96 करोड़ रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 2015–16 में 2406.04 करोड़ रु. हो गया है।

कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2014–15 में 38.60 करोड़ रु. से 4% घटकर वित्त वर्ष 2015–16 में 36.97 करोड़ रु. हो गया है और शीर्षों में वृद्धि के कारण निवल लाभ 2014–15 में 25.40 करोड़ रु. से 5% घटकर वित्त वर्ष 2015–16 में 24.08 करोड़ रु. हो गया है। निगम का निवल मूल्य 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार 67.88 करोड़ रु. था जो बढ़कर 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 82.30 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 100/– रु. प्रति शेयर मूल्य. के 19 लाख इक्विटी शेयरों में विभाजित निगम की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही। निगम ने कर के पश्चात 30.36% लाभ होने और 38.47% इक्विअटी पूंजी के कारण 7.31 करोड़ रु. का लाभांश देने की सिफारिश की है।

निगम के निष्पादन को लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2014 –15 के लिए ^mR—"V* दर्जा दिया गया है। निगम का निष्पादन वर्ष 2015–16 समझौता ज्ञापन (एमओयू) मापन मानदंडों के आधार पर ^mR—"V* रेटिंग की अर्हता प्राप्त करता है।

यह अत्यंत संतोषजनक है कि निगम एक कर–मुक्त संस्था है और अपनी संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा करने में सक्षम हो रहा है।

8- lok&fu;ktu 0;fä;ka dh l{[;k lfgr ekuo lalk/ku fodkl%

निगम ने कर्मचारी दक्षता पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है। निगम के कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु तकनीकी, प्रबंधकीय और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2015–16 के दौरान कुल 77 कर्मचारियों (पिछले वर्ष–121 कर्मचारी) को विभिन्न के प्रशिक्षणों/सेमिनारों के लिए नामित किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 215 (पिछले वर्ष– 208) है। वर्ष के दौरान कर्मचारी के परस्पर संबंध समरस और सौहार्दपूर्ण बने रहे।

9- d,kWjiksjsV lkekftd nkf;Ro ¼lh,lvkj½%

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति में संशोधन किया है। निदेशक मंडल द्वारा उसकी दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदन के पश्चात इस संशोधित नीति को 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' नाम दिया गया है और निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. The internal audit of the corporation is conducted by the internal audit team of the corporation as well as outside independent Chartered Accountants. As per the decision of the Audit Committee, the head office and regional offices of the corporation are audited by the internal audit wing and outside Chartered Accountants alternatively every year. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation has gone up by 9% over the previous year from Rs. 2216.96 crore in the FY 2014-15 to Rs. 2406.04 crore in the FY 2015-16.

The profit before tax has come down by 4% from Rs. 38.60 crore in the FY 2014-15 to Rs. 36.97 crore in the FY 2015-16 and the net profit after tax has come down by 5% from Rs. 25.40 crore in the FY 2014-15 to Rs. 24.08 crore in the FY 2015-16 on account of increase in overheads. The net worth of the corporation has gone up from Rs. 67.88 crore as on 31st March, 2014 to Rs. 82.30 crore as on 31st March, 2016.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid up capital of Rs.19 crore divided into 19 lac equity share of Rs.100/- each in the FY 2015-16. The corporation has recommended a dividend of Rs. 7.31 crore being 30.36% of post tax profits and 38.47% of equity capital.

The performance of the Corporation has been rated as **'Excellent'** by the Department of Public Enterprise (DPE) for the year 2014-15. The performance of the corporation qualifies **'Excellent'** rating based on the Memorandum of Understanding (MOU) measurement criteria, for the year 2015-16.

It is a matter of great satisfaction that the corporation is a debt free corporation and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation. Total 77 employees (Previous year - 121 employees) have been nominated for different types of trainings/ seminars during the year 2015-16.

Total no. of employees of the corporation as on 31st March, 2016 is 215 (Previous year – 208 nos.). Employees' relation during the year remained harmonious and cordial.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th Nov., 2014.

निगम ने सीएसआर समिति का गठन किया है जिसकी 2015 –16 के दौरान 2 बार (17 जुलाई, 2015 और 21 दिसंबर, 2015 को) बैठक हुई है।

निगम वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर कार्यकलापों को करता रहा है और उसने त्रिपुरा में गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों को बैटरी संचालित इनवर्टर व लाइट यूनेट्स दी हैं, असम (पूर्वी सौलकुची) में गांवों में विकास कार्य शुरू किए हैं तथा असम (सौलकुची), त्रिपुरा और मेघालय में स्कूलों मे शौचालयों व मूत्रालयों को निर्माण कराया है। निगम ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष के दौरान 73.96 लाख (पिछले वर्ष 74.20 लाख) रु. की राशि खर्च की है जोकि गत 3 वर्षों के लिए 2% की आवश्यकता की तुलना में (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार) निवल लाभ का 3.30% (पिछले वर्ष के लिए– 6.77%) होता है।

सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों, जिन्हें बैटरी लिंक्ड इनवर्टर और प्रकाश इकाइयों (बीआईएलएलयू) वितरित किए गए थे, बीपीएल बुनकरों की संख्या 135 है और जिन स्कूलों में शौचालयों का निर्माण कराया गया था, उनकी संख्या 7 है।

10- l tx oä0;%

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तगव्य, जोकि निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और उम्मीदों का उल्लेवख करता है, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'दूरंदेशी वक्तमव्य' हो सकता है। तथापि, वास्तविक परिणाम अभिव्यनक्तय अथवा निहित अर्थों से मूल रूप में या काफी हद तक भिन्न हो सकता है। वे महत्वपूर्ण घटनाएं जोकि निगम के संचालनों को प्रभावित कर सकती हैं, में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में वे महत्व्पूर्ण बदलाव हैं जिनमें देश में हथकरघा कार्यकलाप और मुकदमें शामिल हैं।

¼t; xkikY egktu½	¼lolYyh Jhfuokl½	¼vkykd dekj½
mi egkçcëkd ¼fo-@y-½@ diuh lfpo	çcëk funs'kd	vè;{k

Corporation has constituted the CSR Committee, which met 2 times during the year 2015-16 (17th July, 2015 and 21st Dec., 2015).

The corporation continued the CSR activity during the year 2015-16 and provided Battery Linked Inverter and Lighting Units (BLILUs) to BPL weavers in Tripura, undertaken the developmental work in a village in Assam (East Sualkuchi) and constructed toilets & urinals in schools in Assam (Sualkuchi), Tripura and Meghalaya. Corporation has spent an amount of Rs.73.96 lac (Previous year – Rs.74.20 lac) for this purpose during the year, which comes to 3.30% (Previous year – 6.77%) of the average Net Profit (as per section 198 of Companies Act 2013) for the last 3 years as against the requirement of 2%.

The number of beneficiaries covered under the CSR activity involving distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILU) to the BPL weavers is 135 and no of schools in which toilets were constructed is 7.

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

(Jai Gopal Mahajan) **DGM (F&A)/ Company Secretary**	**(Sarvepalli Srinivas)** **Managing Director**	**(Alok Kumar)** **Chairman**

fun'kdks dh fjiksVZ dk vuqyXu d

foÙk o"kZ 2015&16 ds fy, lfpoky; ys[kk&ijh{kdksa dh fVIif.k;ksa ij fun'kd eMy dk mÙkj

Øe- l-	lfpoky; ys[kk ijh{kdksa dh fVIif.k;ka	fun'kd eMy dk mÙkj
1.	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति	एक सरकारी कंपनी होने के नाते निगम ने निगम के बोर्ड में स्वसतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।
2.	महिला निदेशक की नियुक्ति	एक सरकारी कंपनी होने के नाते निगम ने निगम के बोर्ड में एक महिला निदेशक की नियुक्तिम के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।
3.	स्वतंत्र निदेशकों वाली लेखा परीक्षा समिति का गठन	निगम ने तीन निदेशकों को शामिल करते हुए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया है।
4.	नामिकायन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन	एक सरकारी कंपनी होने के नाते निगम को वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को छोड़कर उसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप धारा (2), (3) एवं (4) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त निगम में कर्मचारियों की संख्यास भी बहुत कम अर्थात 215 है। तदनुसार, निगम को नामिकायन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं अन्यआ कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित मामला, यदि कोई हो, तो उसे सीधे निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
5.	जोखिम प्रबंधन समिति	हालांकि निगम ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है तथापि, उसने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय पूरे कर लिए हैं।
6.	नए प्रपत्रों को दायर करने में विलंब	दो प्रपत्र अंजाने में छूट गए थे जिन्हें कंपनी पंजीयक के पास दिनांक 21 सितबंर 2016 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

fun'kd eMy ds fy, rFkk mudh vkj ls

g@&

¼vkyksd dqekj½
vè;{k

fnukad % 29 flrEcj] 2016
LFkku % ubZ fnYyh

ANNEXURE TO THE DIRECTORS' REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2015-16

S. No.	Observations of Secretarial Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	Appointment of independent directors	Corporation, being a government company, has requested the Administrative Ministry for appointment of independent Directors on the Board of the corporation.
2.	Appointment of a woman director.	Corporation, being a government company, has requested the Administrative Ministry for appointment of a woman Directors on the Board of the corporation.
3.	Constitution of Audit Committee consisting of independent directors.	The corporation has constituted the Audit Committee of the board consisting of three directors. For appointment of independent directors, corporation has submitted a request to the Administrative Ministry.
4.	Constitution of Nomination & Remuneration committee	Corporation, being a government company, is exempted from the provisions of sub section (2), (3) & (4) of Section 178 of Companies Act 2013 with regard to the appointment and remuneration of directors on its Board except the appointment of senior management and other employees. Further, the number of employees in the corporation is also small i.e. 215. Accordingly, no need has been felt by the corporation to have a Nomination & Remuneration committee and the matter relating to remuneration of senior management and other employees, if any, are placed directly to the Board of Directors.
5.	Risk Management Policy.	Although, the corporation has not adopted any formal Risk Management Policy, yet, it has adopted all necessary measures for management of risk.
6.	Delay in filing few forms.	Two Forms were skipped inadvertently, the same have been filed with Registrar of Companies on 21st Sept., 2016.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(Alok Kumar)
Chairman.

Dated: 29th Sept., 2016.
Place: New Delhi.

fun'kdk dh fjikV dk vuyXud

foÙk o"k 2015&16 d fy, y[kkvk ij lkfofèkd y[kk&ijh{kdk dh fVIif.k;k ij fun'kd eMy dk mÙkj

Ø- l-	lkfofèkd y[kk&ijh{kdk dh fVIif.k;k	fun'kd eMy dk mÙkj
1.	मैसर्स सिक्का एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स फॉर ट्रेड फेसिलिटेशन सेंटर (टीएफसी), वाराणसी द्वारा सेवा कर जमा किया जाना पैरा V(1.1),	निगम ने सेवा कर विधि के प्रावधान के अनुसार आर्किटेक्टव (वास्तुविद) को सेवा कर का भुगतान किया है। सरकार के खाते में सेवा कर को जमा किया जाना सेवा प्रदाता (वास्तुविद), जिसमें सेवा कर संग्रहित किया है, की जिम्मेदारी है। तथापि, लेखा परीक्षा की सलाह के अनुसार सेवा कर के चालान भुगतान की प्रतियां पक्षकार से प्राप्तम की जा रही हैं।
2.	व्या.पार सुविधा केंद्र (टीएफसी) के लेखा परीक्षित खाते पैरा V(2.1)	मंत्रालय के निदेशों तथा उसके परिणामस्वकरूप निगम एवं मैसर्स एनबीसीसी के बीच हस्ताणक्षिरत समझौता ज्ञापन (एमओए) के अनुसार निगम वाराणसी में टीएफसी की स्थीपना करने के लिए डीसी (हथकरघा), कपड़ा मंत्रालय के कार्यालय की ओर से कार्यान्वियन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। मैसर्स एनबीसीसी कार्य के निष्पा दन एवं उसकी मॉनीटरिंग, संविदा प्रबंधन, बिलों के प्रमाणन, कार्य के समापन, कार्य समापन संबंधी प्रमाण–पत्र आदि के लिए परियोजना प्रबंधन सेवा (पीएमएस) के रूप में कार्य करेगा।
		निगम ने एक टीएफसी न्यास संबंधित खाता (टीआरए) खोला है। भारत सरकार से प्राप्त निधियों को टीएफसी (टीआरए) खाते में जमा किया जाता है। टीएफसी (टीआरए) खाते में मौजूद धनराशि को निगम द्वारा एस्क्रोर खाते (मैसर्स एनबीसीसी द्वारा संचालित) में मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अंतरित किया जाता है। मैसर्स एनबीसीसी निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को कार्य की प्रगति के आधार पर एस्क्रो खाते से भुगतान करती है। एस्क्रोक खाते का लेखाकरण एवं निर्माण कार्य मैसर्स एनबीसीसी द्वारा देखा जाता है। मैसर्स एनबीसीसी परियोजना पूरा होने पर व्यय का संपूर्ण ब्यौरा सरकार के समक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुणत करने के लिए निगम को प्रस्तुत करेगा।
		'मैसर्स एनबीसीसी द्वारा एस्क्रो खाते के लेखाकरण' के संबंध में प्रकटीकरण निगम द्वारा खाता संबंधियों टिप्पणियों में टिप्पणी सं. 14 में किया गया है।

ANNEXURE TO THE DIRECTORS' REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2015-16

S.No.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	Deposit of Service tax by M/s Sikka Associates Architects for Trade Facilitation Center (TFC), Varanasi. [Para V(1.1)]	Corporation has paid the service tax to the architect (based on details of expenditure submitted by him) as per provision of service tax law. Deposit of service tax in the account of Government is the responsibility of the service provider (Architect), who has collected the service tax. However, as per advise of the audit, copies of payment challan of the service tax are being obtained from the party.
2.	Audited Accounts of Trade Facilitation Center (TFC). [Para V(2.1)]	As per directions of the Ministry and consequent Memorandum of Agreement (MOA) between the corporation and M/s NBCC, corporation shall be acting as implementing agency on behalf of office of DC (Handlooms), Ministry of Textiles to establish TFC at Varanasi. M/s NBCC shall be acting as Project Management Service (PMS) Agency for execution and monitoring of work, contract management, certification of bills, completion of work, obtaining completion certificate etc. Corporation has opened a TFC Trust Related Account (TRA). The funds received from Govt. of India is deposited in TFC (TRA) Account. The amount from TFC (TRA) Account is transferred by the corporation to the Escrow account (operated by M/s NBCC) as per directions of the Ministry. M/s NBCC makes payment to the construction agency/ contractor from the escrow account based on the progress of work. The accounting of Escrow account and construction work is undertaken by M/s NBCC. On completion of the project, M/s NBCC will submit the complete details of expenditure to the corporation for onward submission of utilisation certificate to the Govt. The disclosure about 'accounting of Escrow account by M/s NBCC' has been made by the corporation in the Notes on Account at note no. 14.

3.	सामग्री का विक्रेता से एनएचडीसी तथा एनएचडीसी से क्रेता तक किसी प्रकार का वास्तीविक संचालन नहीं हुआ। पैरा V(3.1),	भारत सरकार की सूत आपूर्ति स्कीम (वाईएसएस) के अनुसार पात्र एजेंसियां एनएचडीसी को सूत की आपूर्ति के लिए अपने मांग–पत्र प्रस्तुत करेंगी और एनएचडीसी सूत आपूर्तिकर्ताओं से इस संबंध में संपर्क स्थातपित करेगा। तदनुसार, एजेंसी से मांग पत्र प्राप्ति होने पर निगम हथकरघा एजेंसी के स्थांन से सीधे विनिर्दिष्टि सूत की आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ता मील को मांग–पत्र भेजता है। आपूर्तिकर्ता एनएचडीसी के नाम से बीजक तैयार करता है और उसे निगम को भेज देता है तथा सामग्री को उक्त हथकरघा एजेंसी को प्रेषित कर देता है। दस्ता वेज प्राप्तर करने के पश्चात निगम हथकरघा एजेंसी के नाम से बीजक तैयार करता है। इस प्रकार निगम सीधे हथकरधा एजेंसी को की गई सूत की आपूर्ति के संबंध में सामग्री का रखरखाव नहीं करता है। तथापि, एनएचडीसी डिपो के जरिए सूत की आपूर्ति के मामले में निगम वास्तविक रूप से अपने डिपो में सूत प्राप्त करता है और तत्पश्चात उसे वहां से हथकरघा एजेंसी को भेज देता है।
4.	विविध देनदारों/लेनदारों से वसूली की जाने वाली राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ोतरी हो रही और 3 वर्षों से अधिक समय से एक बड़ी धनराशि बकाया है। पैरा V(4.1),	देनदारों/लेनदारों की संख्या में वृद्धि कारोबार में वृद्धि के कारण हुई है। दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति के अनुसार 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया 537 लाख रु. में 185 लाख रु. वस्त्र आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित है जिसमें लेनदारों से वसूल की जाने वाली निगम की संगत बकाया राशि शामिल है जिसका भुगतान उन लेनदारों के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। 237 लाख रु. सूत देनदारों से संबंधित है जिसमें 166 लाख रु. क्ल स्टर समग्र निधि से संबंधित है और शेष धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 115 लाख रु. डाई एवं रसायन देनदारों से संबंधित है जिसमें 71 लाख रु. के लिए न्यायालीय मुकदमा दायर किया गया है और शेष धनराशि की वसूली के लिए प्रयास किए जा रहे है। आगे यह सूचित करना है कि निगम ने 3 वर्ष से अधिक की अवधि पार करने वाले संदेहास्पद देनदारों के लिए 371 लाख रु. की वसूली हेतु प्रावधान किया है।
5.	निर्धारण वर्ष 2015–16 के दौरान लाभ के प्राक्कणलन में अंतर के कारण आय कर अधिनियम की धारा 234ग के अंतर्गत शास्तिक ब्याज का पैरा V(5.1),	वर्ष के दौरान अनुमानि लाभों के आधार पर अग्रिम आय कर का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2014–15 (निर्धारण वर्ष 2015–16) के दौरान भारत सरकार से सूत आपूर्ति स्कीम (वाईएसएस) के अंतर्गत समय से अनुदान प्राप्त न किए जाने के कारण बिक्री में कमी होने की संभावना थी। लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए निगम वाईएसएस के अंतर्गत 10 प्रतिशत का निशान लागत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी निधियों का उपयोग किया था। उपर्युक्त् कारण से वित्ति वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमानित बिक्री/कारोबार कम रहा जिससे कम अनुमानित लाभ प्राप्तर हुआ जिसके फलस्वरूप अग्रिम कर कि किश्त के भुगतान में मामूली से कमी आई और परिणामस्वमरूप आय कर अधिनियम 234ग के अंतर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ा। तथापि, वित्त वर्ष 2014–15 के अंत तक निगम ने अग्रिम कर का भुगतान कर दिया था जोकि उस वर्ष के लिए 90% के मानक के बदले उसकी कुल कर देयता का 95% था। इस प्रकार, धारा 234ख के अंतर्गत कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। यह प्रशंसनीय है कि हालांकि निगम ने धारा 234ग के अंतर्गत 12% वार्षिक की दर से कुछ ब्याज का भुगतान किया है तथापि, उसने इसके बदले बैंक जमा राशि पर 9% (लगभग) वार्षिक की दर से ब्याज अर्जित किया है।

3.	No physical movement of material from seller to NHDC and NHDC to purchaser. [Para V(3.1)].	As per Yarn Supply Scheme (YSS) of Government of India, the eligible agencies will place their indents for yarn supply on NHDC, which will tie up the supplies from the yarn suppliers. Accordingly, on receipt of indent from agency, corporation places order on the supplier mill for supply of specified yarn with direct delivery at the place of handloom agency. The supplier raises the invoice in the name of NHDC and sends it to the corporation and despatches the material to the said handloom agency. On receipt of documents corporation raises invoice in the name of handloom agency. Thus, the corporation does not handle the material in respect of yarn supply made directly to the handloom agency. However in case of supply of yarn through NHDC depot, corporation receive the yarn physically at its depot and then supply it therefrom to the handloom agency.
4.	The amount against Sundry Debtors/ Creditors is increasing every year and substantial amount is outstanding for more than 3 years. [Para V(4.1)]	Increase in the debtors/ creditors is on account of increase in turnover. Out of Rs. 537 lac outstanding for more than 3 years as on 31.03.2016, Rs. 185 lac pertains to Fabric supplies, wherein corporation is having corresponding dues to the creditors payable only after realisation as per terms of agreement with them. Rs. 237 lac pertains to yarn debtors wherein Rs. 166 lac pertains to cluster corpus funds and for the remaining amount, efforts are being made for recovery. Rs. 115 lac pertains to Dyes & Chemicals debtors wherein court cases have been filed for Rs. 71 lac and for remaining amount efforts are being made for recovery. Further to inform that corporation has made a provision for doubtful debtors exceeding 3 years for Rs. 371 lac.
5.	Payment of penal interest during AY 2015-16 u/s 234C of Income Tax Act due to variation in estimation of profits. [Para V(5.1)]	The advance income tax is deposited based on the estimated profits during the year. During the FY 2014-15 (AY 2015-16), the sale was expected to the lower on account of non- receipt of timely grant under Yarn Supply Scheme (YSS) from Govt. of India. For keeping the supplies continued, corporation used its own funds for reimbursement of 10% price subsidy under YSS. For the reason mentioned above , the estimated sales/ turnover during the FY 2014-15 was lower leading to lower estimates of profit which is turn resulted in slightly lower payment of advance tax instalment and consequently the payment of interest u/s 234C of Income Tax Act. However, by the end of FY 2014-15, corporation had paid the advance tax which comes to 95% of total tax liability for the year, as against the norm of 90%. Thus, there was no interest payment u/s 234B. This is to apprise that although the corporation has paid some interest u/s 234C @ 12% per annum, yet it has earned interest on bank deposits against the same @ 9% (approx.) per annum.

6.	निगम के पास एजेंसियों/सहकारी सोसाइटियों आदि के नवीकरण की स्थिति के संबंध में जाचं करने हेतु कोई कार्यतंत्र नहीं है। पैरा V(6.1),	हथकरघा एजेंसियों को डिपो आबंटित करते समय एजेंसी/सहकारी सोसाटियों के उपयुक्त प्राधिकरणों में पंजीकरण सहित उनका संपूर्ण ब्यौरा उनसे प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी के कार्यस्थल पर अधिष्ठापित हथकरघों की वास्तजविक रूप से जांच भी की जाती है। इसके अलावा, निगम के शाखा कार्यालयों के क्षेत्रीय कर्मचारी मांग–पत्र, भुगतान आदि प्राप्ती करने के लिए आवधिक रूप से हथकरघा एजेंसियों का दौरा करते रहते हैं।
7.	राजस्व व्यय समिति पैरा VI(1.1),	राजस्व व्यय के संबंध में वित्तीय मानक का अवलोकन करने तथा उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुात करने के लिए राजस्व व्यय समिति का गठन किया गया है।
8.	तृतीय पक्षकार को भुगतान के लिए त्रिचरणीय व्यीवस्था पैरा VI(2.1),	कुछ मामलों में निगम कार्य के समुचित निष्पा्दन हेतु बाहरी एजेंसियों की सहायता लेता है जैसे हवाई टिकट, रेल टिकट आदि की बुकिंग के लिए निगम यात्रा एजेंट की सेवाएं लेता है। ऐसे मामलों में ट्रेवल एजेंट को न कि एयरलाइंस/रेलवे को भुगतान किया जाता है।
9.	निगम के कर्मचारियों को लाभ/सुविधाएं पैरा VI(3.1),	निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन के साथ लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को सभी लाभ सुविधाएं प्रदान की जाती है/मुहैया कराई जाती है।
10.	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता भवन का हस्तांतरण विलेख अनुलग्नक क का पैरा (i) (ग),	क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता भवन के संबंध में हस्तांतरण विलेख संपत्ति का एक पंजीकृत दस्तावेज है। यह विलेख 400210/–रु. के संपूर्ण स्टांप शुल्क के भुगतान संबंधी प्रमाण–पत्र को भी दर्शाता है।

fun'kd eMy d fy, rFkk mudh vkj l

g@&
¼vkykd dekj½ vè;{k

fnukd % 29 flrEcj] 2016
LFkku % ub fnYyh

6.	Corporation has no system to verify about the status of renewal of incorporation of agencies/ cooperative societies etc. [Para V(6.1)]	At the time of allotting the depot to the handloom agencies, the complete details of agency/ cooperative society including its registration with the appropriate authorities, is obtained from them. Besides, the physical verification of handlooms installed at the agency's place is also undertaken. Further, the field staff at branch offices of the corporation keep on visiting the handloom agencies periodically for collection on indents, payments etc.
7.	Revenue Expenditure Committee. [Para VI(1.1)]	The revenue expenditure committee has been constituted to observe the financial norm in respect of the revenue expenditure and recommend it for approval of the competent authority.
8.	Three tier system for payment to third party. [Para VI(2.1)]	In some cases, corporation takes the help of outside agency for proper execution of work e.g. for booking air ticket, train ticket etc. corporation takes the services of a travel agent. In such cases, the payment is released to the travel agent and not to the Airlines/ Railways.
9	Benefits/ facilities to the employees of the corporation. [Para VI(3.1)]	All the benefit/ facilities are paid/ provided to the employees of the corporation as per guidelines of Department of Public Enterprises (DPE) with due approval of the Board of Directors.
10	Conveyance deed of RO Kolkata building. [Para (i)(c) of **Annexure A**]	The deed of conveyance in respect of Regional Office Kolkata building is the registered document of the property. The deed also indicates the certificate of payment of full stamp duty amounting to Rs. 400210/- on face of it

FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

Sd/-
(Alok Kumar)
Chairman.

Dated: 29th Sept., 2016.
Place: New Delhi.

,- JhokLro ,.M dEiuh
pkVMZ ,dkmUVsV~l

fu"i{k ys[kkijh{kdksa dh fjiksVZ

jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy,

¼1½ jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVsM ds lnL;ksa ds fy, LVSUMvyksu foÙkh; fooj.kksa ij fjiksVZ

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (निगम) के स्टैन्डअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2016 तक का तुलन–पत्र, लाभ–हानि संबंधी विवरण, रोकड़ प्रवाह संबंधी विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सार तथा तत्कालीन समाप्तिस वर्ष की अन्य व्यावख्यात्मक सूचना शामिल है जिसमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड – केरल, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद एवं कोयम्बटूर के निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित उस तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणी अंतर्विष्ट है। क्षेत्रीय कार्यालयों और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

Ø- l-	{ks=h; dk;kZy; dk uke	'kk[kk ds lkafof/kd ys[kkijh{kdksa dk uke ,oa mudk irk
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कन्नूर, केरल	मैसर्स जेकब ऐंड जॉर्ज, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, बी.बी. कॉम्पसलेक्सर, साउथ बाजार, कन्नूर–670002
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिाम बंगाल	मिश्रा ऐंड मिश्रा, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, 1/1 सी गोवा बगान गली, पहल तल, कोलकाता – 700006
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स कृष्णा् अनुराग ऐंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, सी–27/273–सी–14, पहला तल, भारतीय प्रैस कॉलोनी, मलदहिया, वाराणसी–221002
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स जे.के. वर्मा ऐंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, 191, पहला तल, हुडा, सै. –1–12, फेज–प्प, पानीपत (हरियाणा) – 132103
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	मैसर्स डी.के. राव ऐंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, 402, प्रशांत टॉवर, प्लॉट सं. 8, श्रीनिवास नगर (पश्चिम), हैदराबाद–500038
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स जीजीए ऐंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउटेंट्स, सं. 62, कोन्डामसमी लेआउट, कालीदास रोड, राम नगर, कोयम्बटूर–641009

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

INDEPENDENT AUDITOR'S' REPORT

TO THE MEMBERS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(I) Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Corporation"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2016, the Statement of Profit and Loss, the Cash Flow Statement, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information for the year then ended, in which are incorporated the Returns for the year ended on that date audited by the auditors of the Corporation's Regional Offices at National Handloom Development Corporation Limited- Kerala, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad and Coimbatore. The detail of Regional Offices and the respective Statutory Auditors have been indicated as under-

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Statutory Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Kannur, Kerala	M/s. Jacob & George, Chartered Accountants, B.B. Complex, South Bazar, Kannur- 670002
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	Mishra & Mishra, Chartered Accountants, 1/1C Goa Bagan Street 1st Floor, Kolkata-700006
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi, Uttar Pradesh	M/s. Krishna Anurag & Co. Chartered Accountants, C-27/273-C-14,Ist Floor, Indian Press colony, Maldahiya, Varanasi-221002
4	National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s. J.K. Verma & Co. Chartered Accountants 191,FF,HUDA, Sector-1-12, Phase-II, Panipat (Hariyana)-132103
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Andhra Pradesh	M/s. D.K. Rao & Associates, Chartered Accountants, 402, Prashanth Towers, Plot No.8, Srinivasa Nagar(W) Hyderabad-500038
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. GGA & Associates, Chartered Accountants No.62, Kondasamy Layout, Kalidas Road, Ram Nagar, Coimbatore-641009

(II) LVSMvyksu foÙkh; fooj.kksa dk fy, çcaèku dh ftEenkjh

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिबखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियमावली, 20;14 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों सहित भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा रोकड़ अंतःप्रवाह का एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी को कंपनी की परिसंपत्तिनयों की सुरक्षा करने, धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिततताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने, उपयुक्ति लेखाकरण नीतियों का चयन तथा उनका अनुप्रयोग करने; युक्ति– युक्त व विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कालन करने; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्ती्य नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन व उनका रख–रखाव करने जो लेखाकरण रिकॉर्ड की यथार्थता व संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्यशील थे, वित्तीय विवरण जो एक सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुगत करते हैं तथा जिनमें किसी प्रकार का अयथार्थ विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण, नहीं होता है, के लिए अधिनियम को तैयार किए जाने के अनुरूप पर्याप्तक लेखाकरण रिकॉर्डों का रखरखाव शामिल है जिनका उपयोग स्टैंडअलोन वित्तीणय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु किया गया है।

(III) ys[kkijh{kdk dh ftEenkjh

हमारी जिम्मेदारी इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा मानकों व मामलों को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्टय लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और वित्तीय विवरणों की यथार्थता के बारे में युक्तिपयुक्तन आश्वासन प्राप्ति करने के लिए योजना तैयार करें एवं लेखापरीक्षा करें।

लेखापरीक्षा में धनराशि के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने तथा वित्तीय विवरणों के प्रकटन के लिए कार्य–निष्पासदन की क्रियाविधियां भी शामिल होती हैं। चयनित क्रियाविधियां धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की विषय–वस्तु संबंधी अयथार्थता के जोखिमों का मूल्यांाकन सहित लेखापरीक्षा के निर्णय पर आधारित होती हैं। इन जोखिमों का निर्धारण करते समय लेखापरीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करने के क्रम में संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा की क्रियाविधियों की अभिकल्पना करने के उद्देश्यय से सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रस्तुत करता है, परंतु जो इस बात पर विचार व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं होता है कि कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीजय नियंत्रण प्रणाली स्थापिित की है या नहीं एवं कंपनी ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी रूप से कार्यान्वलयन कर रही है या नहीं। लेखापरीक्षा में प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की यथार्थता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेश मंडल द्वारा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलन की उपुयक्तकता एवं साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांाकन भी शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्यन तथा अन्या लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

(IV) er

हमारे विचार में तथा हमारी सूचना के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को यथाअपेक्षित रूप में मुहैया कराते हैं और 31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार निगम

(II) Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the preparation of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial control, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting record, relevant to preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material mis-statements, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Standalone financial statements.

(III) Auditor's' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Standalone Financial Statements based on our audit. While conducting the audit, we have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit also involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial control system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by other auditors in terms of their reports, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Standalone financial statements.

(IV) Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the

के कार्यकलापों के संबंध में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पयक्ष अवलोकन प्रस्तुत करते हैं तथा उस तारीख को समाप्ति वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं उसके रोकड़ अंत:प्रवाह को दर्शाते हैं।

(V) ekeyk ij tkj

1.1 वित्तीय रिकॉर्डों के जांच के दौरान यह पाया गया है कि वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान आंशिक भुगतान के रूप में व्याार सुविधा केंद्र (टीएफसी), वाराणसी के लिए मैसर्स सिक्का एसोसिएट्स आर्किटेक्ट्स को कुल 1,36,15,996.00/–रु. (आयकर के कारण 10% टीडीएस पृथक रूप से) का भुगतान किया गया था। इसे दिनांक 31.03.2016 के एनएचडीसी की ओर से तैयार किए गए नोट में मद सं. 4 (ग) एवं (ङ) के तहत प्रकट किया गया है जहां इस भुगतान को शामिल किया गया है। वास्तुविद के साथ दिनांक 29.06.2015 को कार्यान्विवत किए गए करार के अनुसार करार की सामान्य शर्तों के पैरा 13 के अंतर्गत वास्ताविक निर्माण लागत का 1.38% (टीएफसी की 200 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत के आधार पर 2.76 करोड़ रु. का अनुमानित भुगतान) निर्धारित किया गया है। हम केवल उक्त फर्म को किए गए भुगतान की ही जांच कर सके थे। पक्षकार का चयन भारत सरकार द्वारा उनकी फा.सं. 3/10/2014/डीसीएच/पीऐंडई/ टीएफसीऐंडसीएम/(6)/1, दिनांकित 29.06.2015 तथा संबंधित जी.ओ. द्वारा किया गया था। 1,36,15,996.00 रु. के भुगतान में 22,25,760.00 रु. का सेवा कर शामिल है। निगम द्वारा वास्तुविद को अदा किए गए सेवा कर के भुगतान को वास्तुविद द्वारा राजस्व कर प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। सेवा कर के भुगतान संबंधी चालान की प्रतियों को पक्षकारों से प्राप्त किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चिात किया जा सके कि उक्त सेवा कर की राशि सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

2.1 अन्य संबंधित जी.ओ. तथा भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्तग का कार्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 29 जून, 2015 की अपनी फा.सं. 3/10/2014/डीसीएच/पीऐंडई/टीएफसीऐंडसीएम/(6)/1 के तहत 200 करोड़ रु. की कुल अनुमानित परियोजना लागत के बदले बड़ा लालपुर, वाराणसी में व्यापार सुविधा केंद्र (टीएफसी) एवं हस्तकला संग्रहालय की स्थाापना करने के लिए 3,11,46,400.00 रु. का सहायता अनुदान संस्वीकृत किया था। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान उपर्युक्तब परियोजना के लिए 78.10 करोड़ रु. संदर्भ नोट सं. 4(ग) (क), की निधियां प्राप्त की गई थीं। यह पाया गया है कि निगम ने वाराणसी एवं तदनंतर नई दिल्ली, में एक एस्क्रो खाता खोला है। इस संबंध में निधियां एनएचडीसी के न्यालस संबंधित खाते में वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त की जाती है। बाद में निधियों को निगम द्वारा एस्क्रों बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है। निगम ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान वाराणसी में चल रही परियोजना के लिए विभिन्नि भुगतान करने हेतु एनएचडीसी के एस्क्रो बैंक खाते में अंतरित किए गए 75.08 करोड़ रु. को एनबीसीसी बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया है। हमें उपर्युक्तं निधियों के अंतरण के लिए टीएफसी के विधिवत रूप से लेखापरीक्षित खाते मुहैया नहीं कराए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 29.06.2016 के सरकारी आदेश तथा एनएचडीसी एवं एनबीसीसी के बीच हस्ता क्षरित समझौता ज्ञापन में कई ऐसी शर्तों का उल्लेएख है जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यतक है जिसमें सीपीडब्यू् डी/सीबीसी के दिशा–निर्देशों के आधार पर ठेकेदारों का चयन, अनुपूरक रिकॉर्डों को बनाए रखना, आंतरिक लेखापरीक्षा, सनदी लेखाकार द्वारा व संबंधी प्रमाण–पत्र तथा टीएफसी परियोजना की सीऐंडएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (यदि कोई हो) आदि शामिल हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने सिक्काा एसोसिएट्स (वास्तुविद) को छोड़कर परियोजना के संबंध में चल रहे कार्यान्व्यिन में संलग्नण विभिन्न एजेंसियों को किए गए भुगतान के लिए एनएचडीसी के रिकॉर्ड में एक भी दस्ताावेजी प्रमाण नहीं पाया था। हमने यह पाया था कि प्रश्नाधीन जी.ओ. की उपर्युक्त शर्तों का एनएचडीसी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है इसलिए, हम टीएफसी की कार्यान्वदयन एजेंसी एनबीसीसी द्वारा इन निधियों का कैसे उपयोग किया गया है, के संबंध में निधियों के उपर्युक्त अंतरण पर कोई टीका–टिप्पतणी नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य् के अभाव में हम एनएचडीसी लखनऊ से एसक्रो बैंक खाते तथा उससे

aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Corporation as at 31st March, 2016, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

(V) Emphasis of matters:

1.1 During course of examination of the financial records, it has been observed that a total payment of Rs.1,36,15,996.00 (TDS on account of income tax 10% separately) to M/s Sikka Associates Architects for Trade Facilitation Center (TFC) at Varanasi, was made during FY 2015-16 as part payment. This has been disclosed in note on account of NHDC as on 31-03-2016 vide item no 4 (C) & (e) where this payment has been included. As per agreement with the Architect which was executed on 29.06.2015, under para 13 of the General Condition of the Agreement, fee of 1.38% (estimated payment Rs.2.76 crores based on Rs.200 crores as estimated project cost of TFC) of the actual construction cost is depicted. We could only verify the payment made to the said firm. The selection of the party was made by Government of India vide their File No. 3/10/2014/DCH/P&E/TFC&CM/(6)/1 of dated 29/06/2015 and other connected G.O. The payment of Rs.1,36,15,996.00 includes service tax of Rs.22,25,760.00. The payment of service tax paid by the Corporation to Architect is required to be deposited by the Architect in the account of Revenue Tax Authority. The copies of the payment challan of the service tax may be obtained from the party to ensure that the above amount of service tax has been paid in the account of Government.

2.1 The Government of India Ministry of Textiles, office of Development Commissioner for Handloom, New Delhi vide its File No. 3/10/2014/DCH/P&E/TFC&CM/(6)/1 dated 29 June 2015 and other connected G.O., sanctioned grant-in-aid Rs 3,11,46,400.00 for setting up of Trade Facilitation Center (TFC) and Crafts Museum at Bada Lalpur, Varanasi against the total estimated cost of project Rs. 200 Crore. During F.Y.2015-16 funds received for theabove project Rs. 78.10 crores [Refer note no. 4 (C)(a)]. It has been noticed that Corporation has opened an ESCROW account at Varanasi and subsequently New Delhi. Funds are received from Ministry of Textile in Trust Related Account of NHDC. Later on funds are transferred to ESCROW Bank Account by Corporation. The Corporation has transferred Rs.75.08 Crores to the Escrow-bank account of NHDC to NBCC bank account for making the various payments for the Project which is going on at Varanasi during F.Y. 2015-16. We have not been provided duly audited accounts of TFC for the above transfer of fund. There are several conditions, enumerated in the Government Order dated 29/06/2015 issued by the Government of India and MOU between NHDC & NBCC, which are required to be complied with including selection of contractors based on CPWD/ CVC Guidelines, keeping of subsidiary records, internal audit, certification of expenditure by Chartered Accountant and C&AG Audit report (if any) of TFC Project etc. . During our audit, we did not find even single documentary evidence in record of NHDC for the payment to various agencies involved in execution of work on the project except Sikka Associates (Architect). We had observed that the above conditions of the G.O. in question have not been complied by the NHDC. Therefore, we cannot make any comments on the above transfer of fund as to how these funds have been utilized by NBCC which is implementing agency of the TFC. In the absence of any documentary evidence, we are unable to make any comment on the working of

एनबीसीसी बैंक खाते में निधियों के अंतरण को छोड़कर उपर्युक्तत परियोजना के कार्यकरण पर किसी भी प्रकार की टिका–टिप्पपणी करने में असमर्थ हैं।

3.1 वित्तीय विवरणों के अनुसार निगम ने कार्य संचालन (बिक्री) से 2406.04 करोड़ रु. तथा व्यापार वाले स्टॉक की खरीद से 2495.76 करोड़ रु. का कुल राजस्व दर्शाया है। इन खरीददारियों तथा बिक्री को दस्ताकवेजी साक्ष्य के जरिए वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है जो क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्धक हैं। हमने एनएचडीसी के शाखा कार्यालय, लखनऊ/क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में इन लेनदेनों से संबंधित दस्तोवेजों की परीक्षण आधार पर जांच की थी और यह पाया था कि एनएचडीसी लखनऊ/वाराणसी कार्यालय में समानों का किसी भी प्रकार का वास्तविक लेनदेन नहीं हुआ था। विक्रेता से एनएचडीसी तथा एनएचडीसी से क्रेता तक समानों का कोई वास्तविक लेन–देन नहीं हुआ है (वास्तव में विक्रेता से क्रय की गई सामग्री एनएचडीसी के अधिकारियों की संलग्नता के बिना सीधे विक्रेता से क्रेता (एजेंसी) तक पहुंच रही है)।

4.1 नोट सं. 16–मौजूदा परिसंपत्तियां (व्यापार प्राप्य) तथा नोट सं. 7 वर्तमान देयताएं (व्यापार देय) के तहत एनएचडीसी के विविध देनदारों तथा लेनदार की सूची की संवीक्षा करने पर यह पाया गया है कि दिनांक 31.03.2016 के तुलन–पत्र में विविध देनदारों के पास 223.67 करोड़ रु. तथा विविध लेनदारों के पास 259.42 करोड़ रु. की राशि बताया है। विविध देनदारों/लेनदारों के पास बकाया राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है और तीन वर्षों से अधिक समय से यह राशि बकाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि निगम पुरानी देनदारों/लेनदारों से वसूली करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। उदाहरणस्वरूप मैसर्स एसीएएसएच के मामले में 92.85 लाख रु. तथा मैसर्स जे.के. एजुकेशन – विभाग के मामले में 50.60 लाख रु. की राशि क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी में पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया है। हमारा यह विचार है कि निगम को देनदारों/लेनदारों तथ्यांत्मक स्थिाति का पता लगाने के लिए तीन वर्षों से अधिक समय से एनएचडीसी के बही खाते में मौजूद वास्तलविक देनदारों/लेनदारों की जांच करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की नियुक्ति करनी चाहिए।

5.1 निगम ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 (ग) के अंतर्गत मूल्यांकन वर्ष 2015–16 के दौरान शास्तिक ब्याज का भुगतान किया है। यह भुगतान निगम के लाभ प्राक्कलन में अंतर के कारण किया गया है।

6.1 भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी भारत सरकार के आदेश सं. 6/1/2012–डीसीएच/पीऐंडएस, दिनांकित 17.01.2014 के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सूत आपूर्ति स्कीम के कार्यान्विदयन के लिए दिशा–निर्देशों जारी किए गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत एनएचडीसी ने परिवहन/डिपो प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए सब्सिडी तथा एजेंसियों को सूत की आपूर्ति पर 10% सब्सिडी का दावा किया है।

लेखापरीक्षा दल ने इन दिशा–निर्देशों की समीक्षा की थी और यह पाया कि पैरा 4; उप पैरा 4.3 के अंतर्गत ''प्रयोक्ता एजेंसियों को हथकरघा पर कपड़े के सीमित उत्पादन के लिए अथवा उनके अंतर्गत सीधे पंजीकृत उनकी सदस्य् सोसाइटियों/बुनकरों को पूर्णतरू स्कीम का लाभ प्रदान करते हुए सूत की आपूर्ति करने के लिए स्कीम के अंतर्गत सूत का उपयोग करना चाहिए।'' प्रत्येक प्रयोक्ति एजेंसी एनएचडीसी को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक–I में निर्धारित प्रारूप में इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगी। हमने यह पाया है कि एनएचडीसी ने उपर्युक्त अनुलग्नक–I के अनुसार वचनबंध प्राप्त– करने के पश्चात प्रयोक्त एजेंसियों के स्तर पर सब्सिडी के उपयोग के आखिरी पड़ाव के लिए इस स्कीम का कार्यान्वयन किया है। यह उल्लेख किया जाता है कि निगम के पास एजेंसियों/सहकारी सोसायटियों आदि के निगमन के नवीकरण के स्तर की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं हैं।

above project except the transfer of funds from NHDC Lucknow to ESCROW Bank Account to NBCC Bank Account.

3.1 The Corporation has shown total revenue from operation (sales) Rs. 2406.04 crores and purchase of stock in trade Rs. 2495.76 crores as per financial statements. These purchases and sales have been shown in the financial statements through documentary evidences which are available at Regional Offices. We visited and inspected the documents on test basis relating to these transactions at Branch Office, Lucknow/Regional Office, Varanasi of NHDC and found that there is no physical movement of material at the NHDC Lucknow/Varanasi Office. There is no physical movement of materials from seller to NHDC and NHDC to purchaser (actually Purchased material from seller is moving from seller to purchaser (agency) directly without involvement of NHDC Offices).

4.1 While scrutinizing the list of sundry debtors and creditors of NHDC vide note no.16 - Current Assets- (Trade Receivables) and note no. 7 Current Liabilities (Trade Payables) , it has been observed that the outstanding balance against the sundry debtors is Rs. 223.67 crores and sundry creditors is Rs. 259.42 crore in the balance sheet as at 31/03/2016. The amounts against sundry debtors/creditors are increasing every year and substantial amount is outstanding for more than three years. It seems that the Corporation has not been making any recovery efforts of old debtors/creditors. For example, Rs. 92.85 lacs is outstanding in case of M/s ACASH and Rs. 50.60 lacs in case of M/s J.K. Education-Department- Fabric for more than five years in case of Regional Office, Varanasi. We are of the view that the Corporation should appoint an independent agency for verification of actual debtors/creditors which are existing in the books of account in NHDC for more than three year to ascertain the factual position of the debtors/creditors.

5.1 The Corporation has made the payment of penal interest during assessment year 2015-16 under Section 234c of Income Tax Act 1961. This was due to variation in the estimation of profit of the Corporation.

6.1 As per the GOI order No.6/1/2012- DCH/P&S of Dated 17/01/2014 issued from the Ministry of Textiles of Government of India in length in connection to Guidelines of Yarn supply scheme for implementation during the remaining period of 12thfive year plan. Under this scheme, NHDC has claimed subsidy for reimbursement of transportation/depot charges and 10% subsidy on yarn supply to the agencies.

The audit team reviewed this Guidelines and found that under para 4; sub para 4.3, “the user agencies should use the yarn under the scheme for captive production of cloth on handloom or for supply to their member societies/ weavers directly enrolled under them by passing on the benefits of the scheme to them in full.” Each user agency will furnish to NHDC an undertaking to this effect in the format prescribed at ANNEXURE-1 of the scheme guidelines. We have found that NHDC has implemented this scheme for end use of subsidy at the level of user agencies after getting undertaking as per Annexure-1 enumerated as above. It is pointed out that the Corporation has no system to verify about the status of renewal of incorporation of the agencies / co-operative societies etc.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

(VI) vU; ekeyk

1.1 निगम ने दिनांक 28 अक्तूनबर, 2014 के आदेश द्वारा 'राजस्व व्यय समिति' के रूप में राजस्वि व्यय जारी करने से पूर्व वित्तीय मानकों के अनुपालन से संबंधी एक समिति का गठन किया है। वित्तय वर्ष 2015–16 के संबंध में परीक्षण आधार पर भुगतान वाउचरों की जांच के दौरान अधिकांश मामलों में यह पाया गया है कि समिति के सदस्योंा की सिफारिशें प्राप्ति करने हेतु संबंधित भुगतान से जुड़े मामले प्रस्तुयत किए जाने के समय वे या तो छुट्टी पर थे या दौरे पर थे। अंततः, व्यय संबंधी अनुमोदन के लिए फाइल को प्रबंध निदेशक को भेजा गया था और तदनंतर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चाात भुगतान किया गया था।

2.1 ऐसी एजेंसियों जिनकी निगम ने सेवाएं ली थीं/जिनसे निगम को समानों की आपूर्ति की गई थी, को सीधे भुगतान करने के बजाय निगम ने तृतीय पक्षकार को भुगतान करने के लिए त्रिचरणीय प्रणालीगत पद्धति अपना कर भुगतान किया था।

3.1 निगम ने रोगी और सेवानिवृत्तण कर्मचारियों सहित निगम के कर्मचारियों तक विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया है। विभिन्न सुविधाओं का ब्यौरा संलग्निक–क में दिया गया है। हमारे मत में, इन सुविधाओं को समेकित रूप में बोर्ड के नोट में पेश करते हुए इन पर पुनः अनुमोदन लिया जा सकता है ताकि बोर्ड कर्मचारियों तक विस्तारित वित्तीय लाभों के बारे में जान सके।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय आशोधित नहीं है।

(VII) vU; fofèkd ,o fofu;ked vko';drkvk ij fjikV%

1) अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी तथा कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा यथापेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुलग्नरक–क के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

2) अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा यथापेक्षानुसार हम अनुलग्नक – ख में भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निदेशों एवं उपनिदेशों पर एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

3) अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षानुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु यथावश्यकतानुसार हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वापस के अनुरूप सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं तथा उसके संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया है।

ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथावश्यकतानुसार कंपनी को बही खातों का सही प्रकार से रख–रखाव करना चाहिए जैसा कि इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से यह तथ्य उभर कर सामने आया है।

ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की रिपोर्टें हमें भेज दी गई हैं और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उन रिपोर्टों का बारीकी से अवलोकन किया है।

Our opinion is not modified in respect of these matters.

(VI) Other Matter

1.1 The Corporation has constituted a Committee relating to observance of financial norms before releasing the revenue expenditure as 'Revenue Expenditure Committee' by order dated 28th October, 2014. During course of examination of payment vouchers on test basis pertaining to financial year 2015-16, in most of the cases, it has been observed that the Members of the Committee were either on leave/on tour when the concerned payment case was put up for their recommendation. Ultimately, the file was sent to the Managing Director for approval of the expenditure and the payments were released subsequently after obtaining the approval of the competent authority.

2.1 The Corporation has made the payments by adopting a method of three tier system for payment to third party, instead of making the payments directly to the agencies with whom, the Corporation has availed the services/supplies.

3.1 The Corporation has extended various facilities to the employees of the Corporation including the diseased and retired employees. Details of various facilities are provided in Enclosure-A. In our view, these facilities may be got approved again by putting Board Note in a consolidated form so the Board may aware about the financial benefits extended to employees.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

(VII) Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1) As required by the companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of section 143(11) of the Act, we give in the Annexure-A, a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the order.

2) As required by Section 143(5) of the Act, we give in Annexure-B, a statement on the Directions and Sub-directions issued by the Comptroller & Auditors General of India.

3) As required by the Section 143(3) of the Act, we report that

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

   b) In Our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

   c) The reports on the account of the Regional Offices of the Corporation, audited under Section 143 (8) of the Act by Regional Offices auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing our report.

घ) तुलन पत्र, लाभ और हानि संबंधी विवरण एवं रोकड़ अंतरूप्रवाह संबंधी विवरण, जिसका इस रिपोर्ट में हमने अवलोकन किया है, हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बही खातों तथा प्राप्त रिटर्न्स के अनुरूप है।

ड) हमारी राय में पूर्वोक्ती स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियमावली, 2014 के नियम 7 के पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।

च) अधिसूचना सं. जी.एस.आर.463(ड), दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

छ) निगम की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीनय नियंत्रणों की पर्याप्तनता तथा ऐसे नियंत्रणों की कार्यशील प्रभाविकता के संबंध में अनुलग्नक–ग में अलग से प्रस्तुीत की गई हमारी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्यव मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तिम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीमकरणों के अनुसारः

  i) निगम ने उसके वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव का खुलासा किया है– देनदारों के लिए 16 (ii) में संदर्भ नोट, 18 (iii) पाद टिप्पणी, 18 (vii) में संदर्भ नोट, वित्तीय विवरण के 31(1)(क) में संदर्भ नोट।

  ii) निगम के पास गौण संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं हैं इसलिए, यह अनुप्रयोज्यओ नहीं है।

  iii) यह पाया गया है कि अंतरित धनराशि, जिसे निगम द्वारा निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में हस्तांतिरित किया जाना था, में विलंब से संबंधित खंड अनुप्रयोज्य नहीं है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2016

ए. श्रीवास्तव ऐड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफ.आर.एन. 11001सी)

ह./–
(सीए अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
(सदस्यता सं. 089673)

d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Cash Flows Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account and with the returns received from the Regional Offices not visited by us.

e) In our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Company (Accounts) Rules, 2014.

f) As per notification no G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from the provisions of section 164(2) of the Act.

g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Corporation and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in “Annexure- C”.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor’s Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

   i) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note on account in 16(ii) for debtors, Refer Note on account in 18(iii) foot note, 18(vii) foot note, Refer Note on account in 31(1)(A) to the financial statements.

   ii) The Corporation does not have any long term contracts including derivative contracts, hence, not applicable.

   iii) It is found that clause relating to delay in transferring amount, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation is not applicable.

For A.SRIVASTAVA & CO.
Chartered Accountants
(F.R.N. 11001C)

Place: New Delhi.
Date: 16th September 2016

Sd/-
(CA Akhilesh Kumar Srivastava)
(Membership No. 089673)

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe] y[kuÅ dh foÙk o"k 2015&16 d fy, Lor= y[kkijh{kk fjikV dk layXud

संलग्नसक–क अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने लाभों (प्रति माह वेतन को छोड़कर) का ब्यौरा –

Ø-l-	ykHk dk uke	ykHk çnku dju dk vkèkkj
1	मौजूदा कर्मचारियों, पति/पत्नीं एवं आश्रित को चिकित्सा/ प्रतिपूर्ति	एक माह का मूल वेतन + मंहगाई भत्ता रु अधिकतम 25000/–रु. प्रतिमाह
2	यात्रा प्रतिपूर्ति	प्रबंधक तथा उससे ऊपर के पद के लिए चौपहिया वाहन हेतु 3000/–रु. प्रतिमाह, अधीक्षक तथा उससे ऊपर के पद के लिए दुपहिया वाहन हेतु 600/– रु. प्रतिमाह, कनिष्ठ सहायक एवं उससे नीचे के पद के लिए दुपहिया वाहन हेतु 600/– रु. प्रतिमाह।
3	बच्चों की शिक्षा	अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति बच्चे के हिसाब से शिक्षण शुल्क हेतु 125/–रु. प्रतिमाह + स्कूल यात्रा हेतु 50/–रु. प्रतिमाह। मेधावी छात्रों (60% तथा उससे अधिक अंक प्राप्तक करने वाले) के लिए 600/–रु. प्रतिमाह की छात्रवृत्ति। बाहर पढ़ने वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार द्वितीय श्रेणी का आने जाने का किराया।
4	पुस्तक एवं आवधिक्यिा	150/–रु. प्रतिमाहः प्रबंधक तथा उससे ऊपर के पद के लिए।
5	अनुग्रहपूर्वक भुगतान	(मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) का 15% दिनांक 31 मार्च (वर्ष की समाप्ति) पर मूल वेतन + मंहगाई भत्ता अर्थात 31 मार्च ' 15: ' 12 को मूल वेतन + मंहगाई भत्ता
6	ग्रेच्युटी	सरकारी नियमों के अनुसार
7	एलटीसी	(i) चार वर्ष के ब्लॉ'क में दो बार होम टाउन एलटीसी अथवा (ii) चार वर्ष के ब्लॉक में एक बार ऑल इंडिया तथा एक बार होम टाउन
8	छुट्टी नकदीकरण	(मूल वेतन + डीए) ' नकदीकरण की गई छुट्टियों की संख्या/30
9	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा निधि कोष	पात्रता के अनुसार 3000/–रु., 7000/–रु. एवं 10000/–रु.

ENCLSOURE OF INDEPENDENT AUDIT REPORT FOR FINANCIAL YEAR 2015-16 OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION, LUCKNOW

ENCLOSURE-A DETAIL OF BENEFITS (EXCLUDING SALARY PER MONTH) TO OFFICERS AND STAFF-

Sr. No.	NAME OF BENEFITS	BASIS OF GRANTING BENEFITS
1	Medical Reimbursement to including current employees, spouse and dependent	Basic+ D.A. of 1 month: Maximum upto Rs. 25000/- p.a.
2	Conveyance Reimbursement	Rs. 3000/- p.m. for 4 Wheeler Manager & above Rs. 1100/- pm for 2 Wheeler to Superintendent & above, Rs. 600/- p.m. for 2 wheeler upto Jr. Assistant & below.
3	Education of Children	Rs. 125/-pm for tuition fee + Rs. 50 pm for school conveyance per child subject to maximum of 2 children. Scholarship Rs. 600 p.a. for meritorious students (60%& above). 2nd class return fare once in a year for children studying outstation.
4	Books & Periodicals	Rs. 150/-pm: Manager & above
5	Ex- gratia	15% of (basic+ DA). Basic+ DA is considered as on 31st March (year ended), i.e., (Basic + DA) as on 31st March *15%*12
6	Gratuity	As per Government Rules.
7	LTC	(i) Home Town LTC Twice in block of four years OR (ii) Once all India and one Home Town in a block of 4 years
8	Leave Encashment	(Basic +DA) * No. of Leaves encashed/30
9	Medical Corpus Fund for retired employees	Rs. 3000, Rs. 7000 and Rs. 10000 as per eligibility.

vuqyXud&d

foÙkh; o"kZ 2015&16 ds fy, jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVsM dh y[kk ijh{kdks dh fjiksVZ dk vuqyXud ^d*

Ø-l-	fooj.k	gekjk mÙkj
(i)	(क) क्या. कंपनी नियत परिसंपतियों का मात्रात्मक ब्यौरा तथा उनकी स्थितति सहित संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है।	कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों का मात्रात्मनक ब्यौरा तथा उनकी स्थिति सहित संपूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया है।
	(ख) क्या युक्ति–युक्त अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन पूंजीगत परिसंपत्तियों की वास्तंविक रूप से जांच की गई है, क्या् ऐसी जांच के दौरान कोई वास्तविक अनियमितता को नोटिस किया गया था और यदि हां, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा सभी नियत परिसंपत्तियों की वास्ताविक रूप से जांच की गई है। कोई वास्तविक अनियमितता नहीं पाई गई थी।
	(ग) व्यय अचल संपत्तिदयों के स्वत्व विलेखों को कंपनी के नाम पर रखा जाता है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	2163293.00 रु. की राशि वाली मुंबई स्थित संपत्ति अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरण में उसके पंजीयन के लिए लंबित है। रिकॉर्डों में आर.ओ. कोलकाता भवन का हस्तांतरण विलेख उपलब्ध है परंतु संपत्ति का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
(ii)	क्या प्रबंधन द्वारा युक्ति युक्त् अंतराल पर इन्वेंटरी की वास्तिविक रूप से जांच की गई है और क्या कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो क्या उसे बही खातों में उचित तरीके से दर्शाया गया है।	जैसा कि हमें सूचित किया गया था, इन्वेंटिरी की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा नियमित अंतराल पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की राय में फ्रीक्वेंवसी की जांच युक्तिचयुक्ता है तथापि, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में सूत की खरीद तथा बिक्री आदि के लिए केवल दस्तवेजी रिकॉर्डों का रखरखाव किया जाता है। उपयुक्त सामग्री के आवागमन से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी।
(iii)	क्या कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टार में कवर की गई अन्य कंपनियों, फर्मों, अन्य पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण दिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य कंपनियों, फर्मों, अन्यी पक्षकारों की सीमित देयता वाली साझेदारी फर्मों को सुरक्षित अथवा असुरक्षित किसी भी प्रकार का कोई ऋण नहीं दिया है।
	(क) क्या ऐसे ऋण प्रदान करने से संबंधित निबंधन व शर्तें कंपनी के हित में नहीं हैं।	लागू नहीं।
	(ख) क्या मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याखज के भुगतान की समय–सीमा निर्धारित की गई है तथा पुनर्भुगतान तथा प्राप्तियां नियमित हैं।	लागू नहीं।

ANNEXURE-A

ANNEXURE TO THE AUDITORS' REPORT OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR FINANCIAL YEAR 2015-16

S. No	PARTICULARS	Our Reply
(i)	(a)Whether the company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets.	The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets.
	(b) Whether these fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification and if so, whether the same have been properly dealt with in the books of accounts.	All the Fixed Assets have been physically verified by the Management during the year at regular intervals. No material discrepancies were found.
	(c)Whether the title deeds of immovable properties are held in the name of the company. If not, provide the details thereof.	Property at Mumbai amounting to Rs. 2163293.00 is pending for transfer formality of the property and the registration with appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building is available on records but registered documents of property not found.
(ii)	Whether physical verification of inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and whether any material discrepancies were noticed and if so, whether they have been properly dealt with in the books of account.	As informed to us, physical verification of inventory is conducted by the Management at regular intervals. In the opinion of Statutory Auditors of Regional Offices the frequency of verification is reasonable. However, only the documentary records are maintained for purchase and sale of yarn etc. at the respective R.O. The physical movement of above material could not be shown to audit.
(iii)	Whether the company has granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013, if so.	The company has not granted any loans secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnership of other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013.
	(a)Whether the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest.	Not Applicable
	(b)Whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated and whether the repayments or receipts are regular.	Not Applicable

	(ग) यदि राशि बकाया है तो नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया कुल राशि का उल्लेख करें और क्याब मूलधन एवं ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा युक्ति–युक्त व कदम उठाए गए हैं।	लागू नहीं।
(iv)	क्या ऋण, निवेश, गारंटियों तथा प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है। यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं।
(v)	यदि कंपनी ने जमा राशि स्वीकार की है तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्यग संगत प्रावधानों तथा उक्तर अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों, जो भी अनुप्रयोज्य हों, का अनुपालन किया गया है? यदि नहीं, तो ऐसे उल्लंघनों के स्व रूप का उल्ले ख करें और क्या कंपनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी न्यीायालय अथवा किसी भी अन्य अधिकरण द्वारा इस संबंधमें कोई आदेश पारित किया गया है और क्या उसका अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ?	कंपनी ने किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार नहीं है। इसके मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(vi)	क्याअ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्डों के रखरखाव का निर्धारित किया गया है और क्या ऐसे लेखाओं और रिकॉर्डों को इस प्रकार तैयार किया जाता है और उनका रखरखाव किया जाता है।	निगम से यह अपेक्षित नहीं है कि वह लागत रिकॉर्डों का रखरखाव करे क्योंकि केंद्र केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव का उल्लेख नहीं किया है।
(vii)	(क) क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्यख बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप कर तथा कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कर रही है और यदि नहीं, तो बकाया सांविधिक राशि को उसके देय होने की तारीख से छह माह की अवधि के लिए संबंधित वित्त वर्ष के लिए अंतिम दिन पर बकाया राशि के रूप में उल्लेंख करें।	निगम टीडीएस, भविष्यम निधि एवं आयकर सहित अविवादित सांविधिक बकाया राशि को नियमित रूप से जमा करा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा तथा बिक्र कर को उपयुक्त प्राधिकरणों के पास जमा कराया जाता है। सीमा–शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उप कर निगम के लिए लागू नहीं होते हैं।

	(c)if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than ninety days, and whether reasonable steps have been taken by the company for recovery of the principal and interest.	Not Applicable
(iv)	In respect of loans, investments, guarantees and security whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 have been complied with. If not, provide the details thereof.	Not Applicable
(v)	In case, the company has accepted deposits, whether the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, where applicable ,have been complied with? If not, the nature of such contraventions be stated, if an order has been passed by Company Law Board or National Company Law Tribunal or Reserve Bank of India or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not?	The Company has not accepted any deposits. In view of this the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provision of the Companies Act, 2013 does not apply.
(vi)	Whether maintenance of cost records has been specified by the Central Government under sub section (1) of Section 148 of the Companies Act 20134 and whether such accounts and records have been so made and maintained.	The Corporation is not required to maintain the cost records, as the Central Government has not prescribed to maintain cost records under section 148(1) of the Companies Act, 2013.
(vii)	(a)Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income tax sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax, cess and any other statutory dues to the appropriate authorities and if not, the extent of the arrears of outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for a period of more than six months from the day they became payable, shall be indicated.	The corporation is regular in depositing undisputed statutory dues including provident fund Income Tax including TDS. Employees' state insurance and Sales Tax with the appropriate authorities. The payments of customs duty, excise duty and Cess are not applicable to the Corporation.

	(ख) क्या बकाया राशि अथवा आयकर या बिक्री कर अथवा सेवा कर या सीम–शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है तब ऐसी राशि तथा उस फोरम, जहां विवाद लंबित है, का उल्लेख करें (संबंधित विभाग के समक्ष केवल अभ्यावेदन प्रस्तुत करने को विवाद नहीं माना जाएगा)।	निगम के रिकॉर्डों के अनुसार बिक्री कर, व्यावसायिक कर के संबंध में कोई भी अविवादित देय राशि लंबित नहीं है। निगम को अभी स्व–मूल्यांकन कर 2016–17 का भुगतान करना बाकी है। तथापि निगम के निम्ननलिखित क्षेत्रीय कार्यालयों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सांविधिक बकाया राशि की लंबितता को बिक्री कर के समान दर्शाया है।
		1. क्षेत्रीय कार्यालय, पानीपत
		i बिक्री कर 13642661/–रु. (पूर्व वर्ष 13642661/–रु.) – व्यापार कर विभाग महाराष्ट्र ने सीएसटी अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2006–07 के लिए 11220365/–रु. (5747016/–रु. के ब्याज सहित) की मांग करते हुए डाई एवं रसायन कार्यालय, मुंबई के संबंध में एक आदेश पारित किया है। निगम ने वित्त वर्ष 2006–07 के लिए 1500000/–रु. तथा वित्तप वर्ष 2007–08 के लिए 375000/–रु. के आंशिक भुगतान पर अंतिम निर्णय के लिए दाखिल किए गए इन वित्त वर्षों के खिलाफ अपील दायर की है। निगम ने 1500000/–रु. (वित्त वर्ष 2006–07) तथा 375000/–रु. (वित्त वर्ष 2007–08) की उक्त धन राशि क्रमश 22 अक्तूएब्र0, 2014 तथा 19 जनवरी, 2015 को जमा की है।
		ii वर्ष 2015–16 के दौरान मूल्यांकन वर्ष 2009–10 के संशोधन आदेश के अंतर्गत दिनांक 16.06.2015 के आदेश के तहत एचवीएटी ए/सी 2003 के अंतर्गत 10130377.00 रु. की मांग संबंधी नोटिस दिया गया था जो इस आधार पर था कि परिवहन प्रभारों के कारण क्रय करने वाले व्यापारियों को 148522539.00 रु. के सहायतानुदान की प्रतिपूर्ति की गई थी जिसे सकल कारोबार में जोड़ा जाना चाहिए था इसलिए सहायतानुदान की राशि पर वैट लगाया जाना चाहिए था।
		एनएचडीसी ने उक्त आदेश को चुनौती दी है और उसने हरियाण ाा वैट अधिकरण, चंडीगढ़ में मुकदमा दायर किया है।
		iii वर्ष 2015–16 के दौरान मूल्यांकन वर्ष 2009–10 के संशोधन आदेश के अंतर्गत दिनांक 07.07.2015 के आदेश के तहत एचवीएटी ए/सी 2003 के अंतर्गत 70061.00 रु. की मांग संबंधी नोटिस जारी किया गया था।
		2. क्षेत्रीय कार्यालय, कोयम्बटूर
		वित्त वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए बिक्री कर विभाग ने आर. ओ. कोयम्बटूर द्वारा दावा किए गए कुछ छूट प्राप्त बिक्री राशि को सिरे से अस्वीछकृत कर दिया गया था और 53.88 लाख रु. की मांग की थी। इस आदेश को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मद्रास उच्च न्याायालय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.12.2014 को इस मामले में किसी भी प्रकार की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी तथा बिक्री विभाग को इसके प्रत्युत्तर में जवाब दायर करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया था जिसे लेखापरीक्षा की तारीख तक विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया था।

	(b)Where dues or income tax or sales tax or service tax or duty of customs or duty of excise or value added tax have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where dispute is pending shall be mentioned (A mere representation to the concerned Department shall not be treated as a dispute).	According to the records of the Corporation, no undisputed amounts payable in respect of Sales Tax, Professional Tax is pending. The Corporation is yet to make the payment of Self Assessment Tax 2016-17. However, the Statutory auditors of the under noted Regional Offices of the Corporation have indicated the pendency of the statutory dues like Sales Tax. 1) Regional Office Panipat- i. Sales Tax Rs. 13642661/- (Previous Year Rs. 13642661/-) the Trade Tax Department Maharastra has passed an order in respect of Dyes and Chemical Office Mumbai raising a demand of Rs. 11220365/- (including interest of Rs. 5747016/-) for the financial year 2006-07 U/S 6(2) of CST Act. The Corporation has filed an appeal against these Financial Year, which has been admitted for final hearing on part payment of Rs.1500000/- against the Financial Year2006-07 and Rs. 375000/- against the Financial Year 2007-08. The Corporation has deposited the said amount of Rs. 1500000/- (F.Y. 2006-07) and Rs. 375000/- (F.Y. 2007-08) on 22nd Oct 2014 and 19 Jan 2015 respectively. ii. During the year 2015-16 a notice of demand for Rs. 10130377.00 raised under HVAT A/C 2003 Vide order dated 16.06.2015 under revision order of assessment year 2009-10 on the ground that the grant in aid worth Rs. 148522539.00 reimbursed to the purchasing dealers on account of Transport Charges should be added to the gross turnover hence the Vat should be imposed on the amount of grant in aid. The NHDC has challenged the order and filed the suit in Haryana Vat Tribunal Chandigarh. iii. During the year 2015-16 a notice of demand for Rs. 70061.00 raised under HVAT A/C 2003 Vide order dated 07.07.2015 under revision order of assessment year 2009-10. 2. Regional Office Coimbatore- For the financial year 2011-12 & 2012-13, the Sales Tax Deptt. arbitrarily rejected some of the exempted sales claimed by the R.O. Coimbatore and raised a demand of Rs. 53.88 Lacs. This order has been challenged by the R.O. in the Hon'ble Madras High Court. The High Court granted the stay on any further proceeding in the matter on 11-12-2014 & gave 8 weeks time to Sales Tax Deptt. to file their counter, which they have not filed till the date of audit.

(viii)	क्याअ कंपनी ने ऋण अथवा किसी वित्तीय संस्थोन, बैंक, सरकार से लिए गए ऋण अथवा ऋण–पत्र धारकों के पास बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक की है? यदि हां, तो उक्त अवधि तथा रिपोर्ट की गई चूक की राशि (बैंक, वित्तीय संस्थाकन तथा सरकारी उधार प्रदान करने वाले संस्थीन के संबंध में की गई चूक का ब्यौरा प्रस्तुत करें)।	लागू नहीं।
(ix)	क्या शुरुआती पब्लिक ऑफर अथवा इसके आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण उपकरणों सहित) के जरिए उगाही की गई राशि तथा सावधि ऋण, जिस प्रयोजन हेतु उनकी उगाही की गई थी, का प्रयोग किया गया था। यदि नहीं, तो विलंब और चूक सहित सम्मियलित ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा तदनंतर समाशोधन, यदि कोई हो, जो अनुप्रयोज्यक हो, का उल्लेजख करें।	लागू नहीं।
(x)	क्या वर्ष के दौरान कंपनी अथवा कंपनी के किन्हीं अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी ध्यान में लाई गई है अथवा उसके संबंध में कोई रिपोर्ट की गई है; यदि हां, तो उसकी प्रकृति तथा उसमें निहित राशि का उल्लेख करें।	जैसा कि उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2015–16 के दौरान कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं लाई गई है।
(xi)	क्या कंपनी अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदनों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है अथवा उसका प्रावधान किया गया है? यदि नहीं, तो उक्तव राशि की वसूली सुनिश्चिनत करने के लिए सम्मितलित धनराशि तथा कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेएख करें।	प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान डीपीई द्वारा अनुमोदित आईडीए स्केुल्स के अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट प्रदान की गई है।
(xii)	क्या निधि कंपनी ने देयताओं को पूरा करने के लिए 1रू20 के अनुपात में राशि जामा करने के लिए निवल स्वित्वेमूलक निधियों का अनुपालन किया है और क्या देयताओं को पूरा करने के लिए निधि नियमावली, 2014 में यथा निर्दिष्ट दस प्रतिशत अभारित सावधि जमाओं को पूरा किया जा रहा है।	लागू नहीं।
(xiii)	क्या संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुरूप हैं और क्या वे अनुप्रयोज्य हैं तथा अनुप्रयोज्यक लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीणय विवरणों में उसका ब्यौरा दर्शाया गया है।	निगम द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार पक्षकार संबंधित कोई लेनदेन नहीं है।

(viii)	Whether the company has defaulted in repayment of loans or borrowing to a financial institution, bank, government or dues to debenture holders? If yes, the period and the amount of default to be reported (in case of defaults to banks, financial institutions, and Government lender wise details to be provided).	Not Applicable.
(ix)	Whether moneys raised by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans were applied for the purposes for which those are raised. If not, the details together with delays or default and subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported.	Not Applicable.
(x)	Whether any fraud by the company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the year; if yes, the nature and the amount involved is to be indicated.	As reported, no fraud has been noticed during the year 2015-16.
(xi)	Whether managerial remuneration has been paid or provided in accordance with the requisite approvals mandated by the provisions of section 197 read with Schedule V of the Companies Act? If not, state the amount involved and steps taken by the company for securing refund of the same.	Remuneration to Managing Director has been paid as per IDA Scales approved by DPE. Further, the Corporation is being a Government Company is exempt from Section 197 of the Companies Act,2013.
(xii)	Whether the Nidhi Company has complied with the Net Owned Funds to Deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability and whether ten percent unencumbered term deposits as specified in the Nidhi Rules, 2014 to meet out the liability.	Not Applicable.
(xiii)	Whether all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 where applicable and the details have been disclosed in the Financial Statements etc. as required by the applicable accounting standards.	There is no related parties transaction as reported by the Corporation.

(xiv)	क्या समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई वरीयता प्राप्त आवंटन किया है अथवा शेयरों का निजी रूप से नियोजन किया है या अथवा डिवेंचरों का आंशिक रूप से परिवर्तन किया है और यदि हां, तो क्या् कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आवश्य कता का अनुपालन किया गया है तथा उगाही गई राशि का उस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है जिसके लिए उनकी उगाही की गई थी। यदि नहीं, तो संलग्न। राशि के संबंध में ब्यौरा प्रस्तुत करें तथा गैर–अनुपालना की प्रकृति का भी ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं।
(xv)	क्या कंपनी ने निदेशकों अथवा उसके साथ संबद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन किया है और यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।	जैसा कि रिपोर्ट किया गया है, निगम द्वारा निदेशकों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया गया है।
(xvi)	क्या कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 – 1 (क) के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है और यदि हो, तो क्याि पंजीकरण कराया गया है।	लागू नहीं।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2016

ए. श्रीवास्तव ऐड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफ.आर.एन. 11001सी)

ह./–
(सीए अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
(सदस्यता सं. 089673)

(xiv)	Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review and if so, as to whether the requirement of section 42 of the Companies Act, 2013 have been complied with and the amount raised have been used for the purposes for which the funds were raised. If not, provide the details in respect of the amount involved and nature of non-compliance.	Not Applicable.
(xv)	Whether the company has entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him and if so, whether the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 have been complied with	As reported, there is no non-cash transaction entered by the Corporation with the Directors.
(xvi)	Whether the company is required to be registered under Section 45-1A of the Reserve Bank of India Act, 1934 and if so, whether the registration has been obtained.	Not applicable.

For A. SRIVASTAVA & CO.
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 16th September 2016
Place: New Delhi

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673

,- JhokLro ,M dEiuh
pkVMZ ,dkmUVsaV~l

vuqikyu çek.k&i=

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएेंडएजी द्वारा हमें जारी किए गए निदेशों/उप निदेशों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 16 सितंबर, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप निदेशों का अनुपालन किया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2016

ए. श्रीवास्तव ऐंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफ.आर.एन. 11001सी)

ह./–
(सीए अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
(सदस्यता सं. 089673)

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Corporation Limited for the year ended 31st March, 2016 in accordance with the directions/sub-directions issued to us by the C & AG of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 and we Certify that we have complied with all the directions/sub-directions issued to us by submitting our report dated September 16th, 2016.

For A. SRIVASTAVA & Co.
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 16th September 2016
Place: New Delhi

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673

vuyXud&[k

foÙk o"kZ 2015&16 ds fy, jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe] y[kuÅ] mÙkj çns'k ds ys[kkvksa ds fy, vuqç;ksT;y dEiuh vfèkfu;e] 2013 dh èkkjk 143¼5½ ds vfèkhu tkjh fd, x, funs'kksa dk vuyXud

Ø-l-	ç'ukoyh	ys[kkijh{kd dk mÙkj
1	क्या कंपनी फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड के लिए कंपनी ने शीर्षक/लीस डीड़ को पारित कर दिया है ? यदि नहीं तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्डी भूमि के क्षेत्रफल का उल्ले ख करें जिसके लिए शीर्षक/लीज डीड उपलब्ध नहीं है।	लेखापरीक्षक के दौरान एनएचडीसी के नाम पर पंजीकृत फ्रीहोल्डर तथा लीजहोल्डर भूमि के शीर्षक डीड की जांच की है। भूमि का शीर्षक अविवादित है तथा उपर्युक्त भूमि पर निलाम द्वारा कोई अवरोध उत्पयन्नत नहीं किया गया है। यह उल्लेख किया जाता है कि मुंबई में 221.70 वर्ग मीटर का कार्यालय भवन क्षेत्र जिसका मूल्य. 2163293.00 रु. है। उपयुक्त प्राधिकरण के पास पंजीकरण के लिए लंबित है। क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के 152.35 वर्ग मीटर भवन क्षेत्रफल का हस्तांतरण विलेख रिकॉर्डों में उपलब्ध है परंतु संपत्ति का पंजीकृत दस्ताव्वेज नहीं पाया गया है।
2	क्या उधार/ऋण/ब्याज आदि के अधित्याग/ उन्हें बट्टे खाते में डालने से संबंधित किसी प्रकार के कोई मामले है। यदि हां, तो उनके कारणों तथा संलग्न राशि का उल्लेख करें।	लेखापरीक्षा के दौरान हमने यह पाया कि निगम ने उधार/ऋण/ब्याज आदि के कारण बकाया राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला है। तथापि, निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 3595711.00 रु. के लिए संदेहात्पनद देनदारों के लिए प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों की खाता सं. 28(क) पर उल्लितखित टिप्पीणियों का संदर्भ ले। इसके अतिरिक्त, निगम ने 32414.00 रु. की परिसंपत्तियों की बिक्रीपर होने वाली हानि को भी बट्टे खाते में डाल दिया है। वित्तीय विवरणों के खाता सं. 28(क) पर टिप्पणियों का संदर्भ लें।
3	क्या तृतीय पक्षकारों के साथ उपलब्ध इन्वेंट्रियों के लिए समुचित रिकॉर्डों का रख–रखाव किया जाता है और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से परिसंपत्तियों/उपहार/अनुदान(नों) के रूप में प्राप्त की जाती है।	तृतीय पक्षकार के पास प्रबंध के द्वारा यथा प्रमाणित कोई इन्वेंट्री नहीं है।

ANNEXURE-B

COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 APPLICABLE FOR THE FINANCIAL YEAR 2015-16 ON ACCOUNTS NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION, LUCKNOW, U.P.

Sr. No.	Questionnaire	Reply of the Auditor
1	Whether the company has clear title/lease deeds for free hold and lease hold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available?	During the course of audit, we have verified the title deeds of free hold and lease hold land registered in the name of NHDC. The title of the land is clear and no encumbrance has been created by the Corporation on the above land. It is to be pointed out that the office building area 221.70 sq. meters, at Mumbai amounting to Rs. 2163293.00 is pending for registration with the appropriate authority. Conveyance deed of R.O. Kolkata Building area 152.35 sq. meters is available on records but registered documents of property not found.
2	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/ loans/interest etc. the reasons thereof and the amount involved.	During the audit, we noticed that the Corporation has not written off any amount due of debts/loans/interest etc. However, the Corporation has made the provision for doubtful debtors for Rs. 3595711.00 [refer notes on accounts No. 28(a) of the financial statements] during the year under audit. Further, the Corporation has also written off loss on sale of assets amounting to Rs. 32414.00 [refer note on accounts No. 28(a) of the financial statements].
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/ grant(s) from Government or other authorities.	There is no inventory lying with the third party as certified by the Management.

Ø-l-	ç'ukroyh	ys[kkijh{kd dk mÙkj
4	बीमांक को प्रस्तुतत की गई सूचना अर्थात कर्मचारियों की संख्याअ, औसत वेतन, सेवानिवृत्तिय की उम्र तथा बीमांक द्वारा छूट की दर भावी लागत वृद्धि, मृत्युं दर आदि के संबंध में की गई कल्पकनाओं ताकि सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों अर्थात ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति प्रश्चात चिकित्सा लाभों आदि संबंधी देयताओं के संबंध में किसी प्रकार के आवधारणा का निर्धारण करने के लिए उसकी स्वतंत्र जांच की जा सकती है।	हमने जांच की है और उसे सही पाया है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2016

ए. श्रीवास्तव ऐड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफ.आर.एन. 11001सी)

ह./–
(सीए अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
(सदस्यता सं. 089673)

Sr. No.	Questionnaire	Reply of the Auditor
4	Independent verification may be made of information/inputs furnished to Actuary, viz number of employee, average salary, retirement age and assumptions made by the Actuary regarding discount rate, future cost increase, mortality rate etc. for arriving at the provision for liability of retirement benefits, viz gratuity, leave encashment , post retirement medical benefits etc.	We have verified and found in order

For A. SRIVASTAVA & Co.
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 16th September 2016
Place: New Delhi

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673

,- JhokLro ,M diuh
pkVM ,dkmUViV l

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM d foÙkh; fooj.kk ij lel[;d rkjh[k dh Lor= y[kk ijh{kdk dh fjikV dk ^vuyXud & x**

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (''निगम'') की दिनांक 31 मार्च, 2016 की वित्तीय रिपोर्ट के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय विवरणों की हमारी निष्पपक्ष लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षा की है।

(I) vkrfjd foÙkh; fu;=.kk d fy, çcèku dh ftEenkjh

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थातन द्वारा वित्तीबय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर निगम का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्ग यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, रिकॉर्डों की यथार्थता एवं उनकी संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करना सहित उसके कार्य व्यापार का व्यववस्थियत एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चिसत करने के लिए इन जिम्मेवदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अभिकल्पना, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है।

(II) y[kkijh{kk dh ftEenkjh

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्याक्ति करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में दिशानिर्देश नोट तथा लेखाकरण मानकों (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है जो आंतरिक वित्तीमय नियंत्रणोंकी लेखापरीक्षा की सीमा तक अनुप्रयोज्यअ है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की

A.SRIVASTAVA & CO.
(Chartered Accountants)

"ANNEXURE-C" to the Independent Auditors' Report of even date on the Financial Statements of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

Report on the Internal Financial Control under clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("The Act")

We have audited the internal financial control over financial reporting of NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION Limited, ("The Corporation") as of March 31, 2016 in conjunction with our independent audit report of the financial statements of the Corporation for the year ended on that date.

(I) Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Corporation's management is responsible for establishing and maintaining internal financial control based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

(II) Auditor's Responsibility

Our responsibility is to expression of opinion on the Company's internal financial control over financial reporting based on our audit; we conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Control Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under Section 143 (10) of the Companies Act,

लेखापरीक्षा के लिए लागू है तथा दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थायन द्वारा जारी किया गया था। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्य कताओं तथा योजना का अनुपालन करें और यह आश्वा्सन प्राप्ति करने के लिए की ब्याज वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थाजपि हुआ था और उसे बनाए रखा गया था एवं सभी विषय–वस्तु के मामलों में ऐसे नियंत्रण का प्रभावी रूप से पालन किया गया था, हम लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य् तथा उनकी कार्यकरण के लिए कार्यनिष्पारदन क्रियाविधियां शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिं पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ का जायजा लेना सामग्री की मौजूदा कमजोरी के जोखिम का मूल्यांयकन करना तथा मूल्योंकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की अभिकल्पयना तथा कार्यकरण प्रभाविकता की जांच करना तथा उसकी मूल्यांकन करना शामिल है। इस प्रकार चयनित क्रियाविधि धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की वास्तिविक अयथार्थता के जोखिमों का मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लेखापरीक्षा संबंधी हमारी राय के लिए आधार मुहैया कराने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

(III) foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;=.k dk ijk djuk

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यपतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तियुक्तक आश्वासन मुहैया कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और क्रियाविधियां शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित हैं तथा जो युक्तिधयुक्त ब्याज के रूप में सटीकता एवं निष्पक्षता से कंपनी की परिसंपत्तितयों के लेनदेन तथा उनके स्थातनांतरण को प्रतिबिंबित करती है; (2) यह युक्ति–युक्ति आश्वोसन मुहैया कराती है कि सामान्यणतया स्वीरकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए यथावश्य कतानुसार लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है, और कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों की अनुज्ञा के अनुसार ही कंपनी की प्राप्तियों और व्यपय का रिकॉर्ड रखा जाता है; और (3) कंपनी की परिसंपत्तिपयों का अप्राधिकृत अधिप्रापन, उपयोग अथवा स्थानांतरण का समय से पता लगाने के संबंध में सतर्कता बरते जाने हेतु युक्तिरयुक्तस आश्वासन मुहैया कराती है जिनका वित्तीय विवरणों पर वास्तविक रूप से प्रभाव हो सकता है।

(IV) foÙkh; fjiksfVZx ij vkarfjd foÙkh; fu;=.k dh vrj&fufgr lhek,a

टकराव की संभावना अथवा सुनियोजित प्रबंधन नियंत्रणों का अभाव सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर–निहित सेवाओं के कारण चूक अथवा धोखधड़ी के कारण सामग्री संबंधी अयथार्थ विवरण की संभावना रहती है और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, वित्तीय नियंत्रण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आधी अवधि के लिए किसी प्रकार के मूल्यांणकन का प्राक्कलन इस जोखित के अध्यधधीन है कि शर्तों में परिवर्तन अथवा नीतियों का क्रियाविधियों के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होगा।

(V) er

हमारी राय में, निगम के पास सभी प्रकार की विषय–वस्तु के मामले में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्ती आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्था न द्वारा जारी किए

2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Control and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial control over financial reporting was established and maintained and if such control operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial control system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial control over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the company's internal financial control system over financial reporting.

(III) Meeting of Internal Financial Control over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions and are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles , and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention of timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

(IV) Inherent Limitations of Internal Financial Control over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future period are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

(V) Opinion

In our opinion, the Corporation has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were

गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए निगम इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी स्थारपित मानदंडों के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2016 से प्रभावी रूप से कार्य रहा है।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितंबर, 2016

ए. श्रीवास्तव ऐंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(एफ.आर.एन. 11001सी)

ह./–
(सीए अखिलेश कुमार श्रीवास्तव)
(सदस्यता सं. 089673)

operating effectively as at March 31, 2016, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Corporation considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For A. SRIVASTAVA & Co.
F.R.No. 511001C
(Chartered Accountants)

Date: 16th September 2016
Place: New Delhi

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673

fnukad 31 ekpZ] 2016 dks lekIr o"kZ ds fy, jk"Vªh; gFkdj?kk fodkl fuxe ds foÙkh; fooj.kksa ij dEiuh vfèkfu;e 2013 dh èkkjk 143 ¼6½ ¼[k½ ds varxZr Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh fVIif.k;ka

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया सांविधिक लेखा परीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उल्लेखनीय है कि इसे उनके द्वारा दिनांक 16 सितम्बर, 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत पूरा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से उक्त अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

g@&

¼unuk e`'kh½
okf.kfT;d ys[kkijh{kk egkfuns'kd
,oa insu lnL;] ys[kk ijh{kk cksMZ&II
ubZ fnYyh

LFkku % ubZ fnYyh
fnukad % 29 flrEcj] 2016

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016.

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated September 16, 2016.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31 March 2016 under section 143(6)(a) of the Act.

For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

N. Munshi

(Nandana Munshi)
Director General of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 26.09.2016

egRoiw.kZ ys[kkdj.k uhfr;k¡

ys[kkdj.k ifjikVh%

सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थानि (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए अनुप्रयोज्य लेखाकरण मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत वित्तीय विवरण तैयार किए जाते रहे हैं।

fu;r ifjlaifÙk;k%

अधिप्राप्तप/क्रय की गई परिसंपत्तिपयों को क्रय मूल्य के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।

ifjlaifÙk;ksa dk voewY;u rFkk ºkl%

नियत परिसंपत्तिरयों का अवमूल्यन प्रत्यिक्ष विधि (स्ट्रेधट लाइन मैथड) के आधार पर प्रभारित किया जाता है। अवमूल्ययन का परिगणन परिसंपत्तियों के प्रयोग/उन पर अधिरोपित प्रभारों वाले वर्ष के दौरान की गई सभी वृद्धियों पर आनुपातिक आधार पर किया जाता है जहां व्येक्तिरगत लागत 5000/– रु. से अधिक नहीं होती है। अवमूल्यान का परिगणन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में उल्लिखित परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग के आधार पर किया जाता है।

ह्रास से जुड़े प्रत्येपक तुलन पत्र में परिसंपत्तिपयों की लागत की जांच की जाती है ताकि ह्रास संबंधी हानि, यदि कोई हो, जिसके संबंध में कार्रवाई अपेक्षित हो अथवा पूर्ववर्ती अवधियों में जिसका निर्धारण किया गया हो, की जांच की जा सके।

vuqnku%

सहायता अनुदान के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों पर व्यय किया गया है तथा उन्हें तदनुसार सरकार से प्राप्ते विशिष्ट अनुदानों में समायोजित किया जाता है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्य राशि को उसके समग्र संग्रहण की निश्चिंतता के मद्देनज़र प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित किया जाता है।

bUosaVjh%

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्या पर अथवा निवल वसूली मूल्यं, जो भी न्यूनतर हो, के आधार पर किया जाता है। बिक्री के पश्चात वापस किये गए अथवा अन्यथा वापस किये गये परिवहन सामानों का मूल्य निर्धारण क्रय मूल्य पर किया जाता है।

fcØh%

सूत, डाई एवं रसायन तथा वस्त्र की बिक्री उपभोक्ताओं को प्रेषित सामानों की मूल्य को दर्शाती है।

O;; dk oxhZdj.k%

सभी व्यय एवं आय का लेखाकरण स्वाभाविक खाता शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां कहीं आवश्यक हो, व्यय का आवंटन कार्यात्मीक आधार पर किया गया है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

The financial statements have been prepared under historical cost convention in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles, the provisions of Companies Act' 2013 and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Charted Accountants of India (ICAI).

FIXED ASSETS:

The assets acquired/ purchased are recorded on the basis of purchase value.

DEPRECIATION AND IMPAIRMANET OF ASSETS:

Depreciation on fixed Assets is charged on straight-line method. Depreciation is calculated on pro-rata basis on all additions made during the year in which the assets are put to use/ brought on charges. However, 100% depreciation is charged on the assets acquired during the year where individual cost does not exceed Rs.5000. Depreciation is calculated as per useful life of assets mentioned in Schedule – II of the Companies Act 2013.

The carrying amount of assets is tested at each Balance Sheet date for impairment so as to determine and provide for the impairment loss, if any, required or the reversal, if any, required for impairment loss recognized in previous periods.

GRANTS:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

INVENTORIES:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

SALES:

The sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics represent the value of goods dispatched to customers.

CLASSIFICATION OF EXPENDITURE:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

cdk;k fcyk ij 0;;%

हितधारकों के साथ निर्णित ऋण की शर्तों के अनुसार बकाया बिलों के संबंध में देर से किए गए भुगतानों के लिए ब्या ज का प्रावधान किया गया है। अप्राप्तक बकाया ब्याज को आस्थगगित प्रोद्भूत ब्याशज के रूप में दर्शाया गया है।

foÙk çHkkj

डाई एवं रसायन के उपभोक्तातओं पर लगाए गए वित्त् प्रभार का निर्धारण उसके समग्र संग्रहण की अनिश्चितता के मद्देनज़र प्राप्ति् आधार पर राजस्वर के रूप में किया जाता है।

lokfuofÙk; lcaèkh ykHkk dk y[kkdj.k%

(क) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यां कन के आधार पर ग्रेज्यूटी संबंधी देयता का प्रावधान किया गया है।

(ख) एएस–15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यां कन के आधार पर छुट्टी नकदीकरण देयता संबंधी देयता का प्रावधान किया गया है।

(ग) निगम के नियमों तथा वर्ष विशेष में कर्मचारियों द्वारा लिए गए अवकाश यात्रा रियायत के संबंध में खातों में दर्शायी गई प्रविष्टियों के अनुसार अवकाश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है।

iwoZ vofèk lcaèkh lek;kstu%

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन वे समयोजन हैं जो मूलभूत भूल–चूक का अशुद्धि–शोधन किए जाने से पूर्व अवधियों के लिए अनुप्रयोज्य होते हैं।

fodklkRed dk;Zdykiksa ds fy, fjtoZ%

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से अधिक किए गए व्यय सहित निगम द्वारा विकासात्मरक कार्यकलापों पर उसके अपने संसाधनों से किये गये व्यय को विकासात्मक कार्यकलापों के लिए रिजर्व हेतु प्रभारित किया जाता है जिसका निगम के लाभों में से विनियोजन किया गया है।

[kaM y[kkdj.k uhfr %

खंड लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खंड की रिपोर्टिंग के लिए निम्नेलिखित विशिष्टर लेखाकरण नीतियों का अनुसरण किया गया हैः–

(क) खंड राजस्वग में अंतर–खंड राजस्वक सहित बिक्री तथा सीधे खंडों के साथ अभिज्ञेय/उन्हें आबंटित आय शामिल है। समग्र रूप से निगम से संबंधित तथा खंडों को अनाबंटनीय आय को 'अन्यय अनाबंटनीय आय' में शामिल किया जाता है।

(ख) सीधे खंडों के साथ अभिज्ञेय/उन्हें आबंटित किये गये व्यथय पर खंडों के परिणाम निर्धारित करते समय विचार किया जाता है। समग्र रूप से निगम से संबंधित तथा खंडों को अनाबंटनीय व्यैय को 'अन्य अनाबंटनीय व्यपय' में शामिल किया जाता है।

(ग) खंड परिसंपत्तियों तथा देयताओं में सीधे संबंधित खंडों के साथ अभिज्ञेय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल है। अनाबंटनीय कॉरपोरेट परिसंपत्तियां तथा देयताएं उन परिसंपत्ति यों तथा देयताओं को दर्शाती हैं जो समग्र रूप से निगम से संबंधित हैं तथा जिन्हेंत किसी भी खंड में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

INTEREST ON OVERDUE BILLS:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

FINANCE CHARGE

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

ACCOUNTING OF RETIREMENT BENEFITS:

(a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.

(c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

RESERVE FOR DEVELOPMENTAL ACTIVITIES:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

SEGMENT ACCOUNTING POLICY:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

(a) Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in “Other Un-allocable Income”.

(b) Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under “Other Un-allocable Expenditure”.

(c) Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

vk; ij dj%

मौजूदा अवधि के लिए आय कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार करयोग्य आय तथा कर ऋण के आधार पर किया जाता है तथा जो निर्धारणों/अपीलों के संभावित निष्पादनों पर आधारित होता है।

आस्थधगित कर का निर्धारण वर्ष विशेष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्यत आय के मध्य के अंतर के आधार पर किया जाता है तथा उसका परिकलन कर दरों एवं अधिनियमित विधियों अथवा तुलन–पत्र की तारीख को अधिनियमित विशिष्ट विधियों के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों का निर्धारण तथा उन परिसंपत्तिययों को तुलन–पत्र में उस सीमा तक आगे अग्रेषित किया जाता है जोकि निश्चित रूप से युक्ति–युक्त हों तथा जिससे यह सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों के बदले पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी।

g-@&	g-@&	g-@&	g-@&
t; xkiky egktu	uohu dqekj xqIrk	lqiYyh Jhfuokl	vkyksd dqekj
mi egkçcaèkd ¼fo-y-½@diuh lfpo	vfèk'kklh funs'kd ¼foRr½	çcaèk funs'kd	vè;{k

TAXES ON INCOME:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Deferred tax is recognized on timing difference between the accounting income and the taxable income for the year and quantified using the tax rates and laws enacted or substantively enacted as on the Balance Sheet date.

Deferred tax assets are recognized and carried forward to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

Sd/-	**Sd/-**	**Sd/-**	**Sd/-**
(Jai Gopal Mahajan)	**(Naveen Kumar Gupta)**	**(Sarvepalli Srinivas)**	**(Alok Kumar)**
Dy. Gen. Manager (F&A)/ Company Secretary	**Executive Director (Finance)**	**Managing Director**	**Chairman**

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM
fnukd 31 ekp] 2016 dk rqyu&i= ¼cyl 'khV½

	fooj.k	ukV l-	ek tnk lehf{kkofèk d vr e vkdM ¼#- e½	iwoorhZ lehf{kkofèk d vr e vkdM ¼#- e½
	1	2	3	4
I.	इक्विटी एवं देयता			
1	अंशधारक की निधियां			
क)	शेयर पूंजी	1	190000000	190000000
ख)	रिजवर्स एवं अतिरेक	2	642738731	495207597
2	गैर मौजूदा देयताएं			
क)	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3	–27116587	–21550361
ख)	अन्य दीर्घावधि देयताएं (समग्र)	4	214082615	198052986
ग)	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	–	–
घ)	दीर्घावधि प्रावधान	5	–	–
3	मौजूदा देयताएं			
क)	अल्पावधि उधार	6	–	–
ख)	व्यापार देनदारियां	7	2594192328	2208114340
ग)	अन्य मौजूदा देयताएं	8	546020624	783726722
घ)	अल्पावधि प्रावधान	9	321919128	272829761
	कुल		4481836839	4126381045
II.	परिसंपततियां			
	गैर मौजूदा परिसंपततियां			
1 (क)	नियत परिसंपततियां			
i)	मूर्त परिसंपततियां	10	116829903	118225308
ii)	अमूर्त परिसंपततियां	11	155196	207003
iii)	प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	12	6285800	3194300
ख)	स्दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	396078	359078
ग)	अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (समग्र)	14	214082615	198052986
2	मौजूदा परिसंपत्तियां			
क)	इन्वेंट्रीज	15	14923446	13238103
ख)	प्राप्य व्यापार	16	2236679627	1755917033
ग)	रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	17	1210015502	404783936
घ)	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	18	644889535	1623390958
ड)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	19	37579137	9012340
	कुल		4481836839	4126381045

नोटः 1 से 31 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
जय गोपाल महाजन
उप महाप्रबंधक (वि.ले.)/कंपनी सचिव

ह./–
नवीन कुमार गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
आलोक कुमार
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार

ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2016

	PARTICULARS	NOTE NO.	"Figures as at the end of current reporting period (Rs.)"	"Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)"
	1	2	3	4
I.	**EQUITY AND LIABILITIES**			
1	**Shareholder's funds**			
a)	Share Capital	1	190000000	190000000
b)	Reserves and Surplus	2	642738731	495207597
2	**Non- current liabilities**			
a)	Deferred tax liabilities (Net)	3	-27116587	-21550361
b)	Other long term liabilities (Corpus)	4	214082615	198052986
c)	Other long term liabilities	4	-	-
d)	Long term provisions	5	-	-
3	**Current liabilities**			
a)	Short term borrowings	6	-	-
b)	Trade payables	7	2594192328	2208114340
c)	Other current liabilities	8	546020624	783726722
d)	Short term provisions	9	321919128	272829761
	TOTAL		**4481836839**	**4126381045**
II.	**ASSETS**			
	Non current assets			
1 (a)	Fixed Assets			
i)	Tangible assets	10	116829903	118225308
ii)	Intangible assets	11	155196	207003
iii)	Capital work in progress	12	6285800	3194300
b)	Long term loans and advances	13	396078	359078
c)	Other non current assets(Corpus)	14	214082615	198052986
2	**Current assets**			
a)	Inventories	15	14923446	13238103
b)	Trade receivable	16	2236679627	1755917033
c)	Cash and cash equivalents	17	1210015502	404783936
d)	Short term loans and advances	18	644889535	1623390958
e)	Other current assets	19	37579137	9012340
	TOTAL		**4481836839**	**4126381045**

Note 1 to 31 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Jai Gopal Mahajan	Naveen Kumar Gupta	Sarvepalli Srinivas	Alok Kumar
Dy.Gen.Mgr. (F&A)/ Company Secretary	Executive Director(Finance)	Managing Director	Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 16 September, 2016

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM
fnukd 31 ekp] 2016 dk lekIr o"k d fy, ykHk vkj gkfu lcèkh fooj.k

	fooj.k	ukV l-	ekStnk leh{kkofèk d fy, vkdM ¼#- e½	iwoorÊ leh{kkofèk d fy, vkdM ¼#- e½
I. (क)	कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	20	24060442984	22169630328
(ख)	यॉर्न आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान	20	2221565897	2168976222
II.	अन्य आय	21	67855186	65690521
III.	कुल राजस्व (I+II)		26349864067	24404297071
IV.	व्यय			
	व्यापार में स्टाक की खरीद	22	24957681870	23163502844
	परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	23	765315323	642274775
	व्यापार में इंवेंट्रीज/स्टाक में परिवर्तन	24	−1459443	−4083582
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	25	180684963	151931975
	वित्तीय लागत	26	0	0
	अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	10 − 11	4047596	4897930
	अन्य व्यय	27	63365461	50286819
	कुल व्यय		25969635770	24008810761
V.	आपवादिक एवं असाधारण मदों के संबंध में लाभ एवं कर (III-IV)		380228297	395486310
VI.	आपवादिक मदें	28	3090720	2058838
VII	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	29	7396129	7419789
VIII.	आपवादिक मदों के संबंध में लाभ एवं कर (V-VI-VII)		369741448	386007683
IX	आपवादिक मदें			
X	कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		369741448	386007683
XI	कर व्यय			
1	मौजूदा कर (प्रावधान)	30	134515000	125100000
2	आस्थगित कर	3	−5566226	6907382
XII.	सतत कार्यसंचालन की अवधि के लिए लाभ (हानि) (X - XI)		240792674	254000301
XIII.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि			
XIV.	बंद कार्य संचालनों का कर संबंधी व्यय			
XV.	बंद कार्य संचालनों से लाभ/हानि (कर के भुगतान के पश्चात) (XIII-XIV)		0	0
XVI.	उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		240792674	254000301
XVII. (i)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1)	मूलभूत		126.73	133.68
(2)	डायल्युटेड		126.73	133.68
(ii)	प्रति इक्विटी शेयर से आय (असाधारण मदों के पश्चात)			
(1)	मूलभूत		126.73	133.68
(2)	डायल्युटेड		126.73	133.68

नोटः 1 से 31 तथा मौजूदा समीक्षावधि के अंत में उपलब्ध तुलन–पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि संबंधी विवरण, इक्विटी और मुद्रा के प्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का एक अभिन्न भाग है।

ह./–
जय गोपाल महाजन
उप महाप्रबंधक (वि.ले.)/कंपनी सचिव

ह./–
नवीन कुमार गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
आलोक कुमार
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार

ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

	PARTICULARS	NOTE NO.	"Figures for the current reporting period (Rs.)"	"Figures for the previous reporting period (Rs.)"
I. (a)	Revenue from operations	20	24060442984	22169630328
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme	20	2221565897	2168976222
II.	Other Income	21	67855186	65690521
III.	**Total Revenue (I+II)**		**26349864067**	**24404297071**
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	22	24957681870	23163502844
	Reimbursement of Transportation/depot charges	23	765315323	642274775
	Changes in inventories/stock in trade	24	-1459443	-4083582
	Employee benefits expenses	25	180684963	151931975
	Finance costs	26	0	0
	Depreciation and amortization expenses	10 & 11	4047596	4897930
	Other expenses	27	63365461	50286819
	Total Expenses		**25969635770**	**24008810761**
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		380228297	395486310
VI.	Exceptional items	28	3090720	2058838
VII	Corporate social responsibility (CSR) Expenses	29	7396129	7419789
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		369741448	386007683
IX	Extraordinary Items			
X	Profit before tax (VIII- IX)		369741448	386007683
XI	Tax expense:			
1	Current Tax (Provision)	30	134515000	125100000
2	Deferred Tax	3	-5566226	6907382
XII.	Profit (Loss) for the period from continuing operations (X - XI)		240792674	254000301
XIII.	Profit/loss from discontinuing operations			
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations			
XV.	Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		0	0
XVI.	Profit (Loss) for the period (XII + XV)		240792674	254000301
XVII. (i)	Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		126.73	133.68
(2)	Diluted		126.73	133.68
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		126.73	133.68
(2)	Diluted		126.73	133.68

Note 1 to 31 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/- Jai Gopal Mahajan Dy.Gen.Mgr. (F&A)/ Company Secretary	Sd/- Naveen Kumar Gupta Executive Director(Finance)	Sd/- Sarvepalli Srinivas Managing Director	Sd/- Alok Kumar Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: Lucknow
Date:

y[kkvks ij fVIif.k;k

1 'k;j iwth

		ekStnk lehf{kkofèk dh vr es vkdM+s ¼#-es½		iwoZorh lehf{kkofèk dh vr es vkdM+s ¼#-es½
çkfèk—r				
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 20,00,000 इक्विटी शेयर (पूर्व वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर)		20,00,00,000		20,00,00,000
tkjh] vfHknRr ,oa iznRr eY;				
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद राशि का भुगतान किया गया था तथा जो डीसीएच कार्यालय के जरिए भारत सरकार द्वारा धारित थे (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100 रु. मूल्य वाले 18,98,465 इक्विटी शेयर)	189846500		189846500	
प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1,535 इक्विटी शेयर जिनके लिए नकद भुगतान नहीं किया गया था (कंपनी के निगमीकरण व्यय के बदले भारत के राष्ट्रपति को डीसीएच कार्यालय के जरिए आबंटित किए गए शेयर) (पूर्व वर्ष प्रत्येक 100/–रु. मूल्य वाले 1535 इक्विटी शेयर)	153500	190000000	153500	190000000
dqy		190000000		190000000

2 fjtoZ rFkk vfrjsd

		ekStnk lehf{kkofèk dh vr es vkdM+s ¼#-es½	iwoZorh lehf{kkofèk dh vr es vkdM+s ¼#-es½
(A)	रिजर्व्स		
(I)	तुलन–पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	2499398	2496547
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि		
	लाभ और हानि	4700000	2430000
	कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	4708995	2427149
	कुल (i)	2490403	2499398
(II)	तुलन–पत्र के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा निधि	3908346	2485803
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि	3860000	1839000
	लाभ और हानि	283485	260151
	कमीः वर्ष के दौरान उपयोग	854332	676608
	कुल (ii)	7197499	3908346
	कुल (i+ii)	9687902	6407744
(ख)	अधिशेष		
	तुलन–पत्र के अनुसार	488799853	301686118
	वृद्धिः लाभ और हानि के विवरण से अंतरित की गई धनराशि		
	मौजूदा वर्ष में लाभ	240792674	254000301
	कमी–		
	विकासात्मक कार्यकलाप के लिए रिजर्व हेतु अंतरित किए गए लाभांश की धनराशि पर प्रस्तावित लाभांश कारपोरेट कर	73100000	51100000
		14881698	10402938
		4700000	2430000
	सेवानिवृत्ति के पश्चात अंतरित की गई चिकित्सा निधि	3860000	1839000
	कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को अनुपयोगी परिसंपत्तियों का अवमूल्यन	0	1114628
	अधिशेष(ख)	633050829	488799853
	कुल (क+ख)	642738731	495207597
	प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश	38.47	26.89

i) वित्त वर्ष 2014–15 हेतु 1ः कर पूर्व लाभ (पीबीटी) वाली 3860000/–रु. की धनराशि (पूर्व वर्ष 1839000/–रु.) को वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान 'सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा निधि के लिए रखा गया है। सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा स्कीम के अंतर्गत उक्त चिकित्सा निधि का उपयोग करते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है।

NOTES ON ACCOUNTS

1. SHARE CAPITAL

			Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
	Authorized				
	20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		20,00,00,000		20,00,00,000
	Issued, Subscribed & Paid-up				
	18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year 18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	189846500		189846500	
	1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses, (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	153500	190000000	153500	190000000
	TOTAL		**190000000**		**190000000**

2 RESERVES & SURPLUS

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
(A)	RESERVES:		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	2499398	2496547
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	4700000	2430000
	Less: Utilization during the year	4708995	2427149
	Total(i)	2490403	2499398
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	3908346	2485803
	Add : Amount transferred from Statement of profit & loss account Profit & Loss	3860000	1839000
	Add : Interest Earned during the year	283485	260151
	Less: Utilization during the year	854332	676608
	Total(ii)	7197499	3908346
	Total(i+ii)	9687902	6407744
(B)	SURPLUS		
	As per last Balance sheet	488799853	301686118
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss Current year profit	240792674	254000301
	Less:-		
	Proposed Dividend	73100000	51100000
	Corporate Tax on Dividend	14881698	10402938
	Amount transferred to reserve for developmental activity	4700000	2430000
	Transferred to post retirement medical corpus	3860000	1839000
	Depreciation on Assets not having remaining life as on 31.03.2014 as per Companies Act 2013	0	1114628
	SURPLUS(B)	633050829	488799853
	TOTAL (A+B)	642738731	495207597
	Proposed Dividend per Equity Share	38.47	26.89

i) An amount of Rs. 3860000 (Previous year Rs. 1839000) being 1% of the profit before tax (PBT) for FY 2014-15 has been contributed to the "Post Retirement Medical Corpus" during FY 2015-16. The medical benefit under "Post Retirement Medical Scheme" is allowed to the superannuated employees by utilizing the said medical corpus.

3 vkLFkfxr dj ns;rk ¼fuoy½

ekStnk leh{kkofèk ds var esa fuoy vkLFkfxr dj ns;rk dk C;kjk fuEukuqlkj g\$&

vkLFkfxr dj ifjlaifRr;ksa ds ?kVd rFkk vkLFkfxr dj ns;rk	ekStnk lehf{kkofèk ds var rd dh fLFkfr ds vuqlkj	
	vkLFkfxr dj ifjlaifRr;ka ¼#- esa½	vkLFkfxr dj ns;rk ¼#- esa½
आस्थगित कर देयताएं		
लेखा बहियों के अनुसार अवमूल्यन योग्य परिसंपततियों का बही मूल्य तथा कर अवमूल्यन के अनुसार लिखित मूल्य का अंतर		5622534
समय का अंतर करने के लिए अन्य आस्थगित कर देयता		6206839
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
शंकायुक्त ऋण एवं अग्रिम आदि के लिए प्रावधान	14107342	
छुट्टी संबंधी वेतन के लिए प्रावधान	24439358	
मृतक कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	265913	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपतति (वीआरएस)	133347	
dqy	38945960	11829373
मौजूदा समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		–27116587
पूर्व समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)		–21550361
मौजूदा समीक्षावधि के दौरान लाभ संबंधी विवरण के लिए प्रभारित निवल देयता/(परिसंपत्ति)		–5566226

4 xSj ekStnk ns;rk & vU; nh?kkofèk ns;rk,a

I) vU; nh?kkofèk ns;rk ¼lex½

	ekStnk lehf{kkofèk ds var esa vkadM+s ¼#-esa½		iwoZorhZ lehf{kkofèk ds var esa vkadM+s ¼#-esa½	
(क) समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स)				
क) भारत सरकार से प्राप्ति	82580850		82580850	
ख) कमीः समायोजित/सरकार को वापस की गई धनराशि	48158949		48158949	
ग) सरकार को प्रतिदेय मूल राशि (क–ख)	34421901		34421901	
घ) समयोजनों सहित एजेंसियों से प्राप्त धनराशि	97789704		96929609	
ड.) कमीः एजेंसियों की ओर से कॉम्पलेक्सों के लिए स्थान का अधिप्रापण/अन्य व्यय आदि के लिए अदा की गई राशि	94097380		92485036	
च) एजेंसियों को प्रतिदेय राशि (घ–ड.)	3692324		4444573	
छ) शेष (क–ख+घ–ड.) या (ग+च)		38114225		38866474
ज) अर्जित लाभ में से विविध व्यय को घटाने के बाद राशि		138322216		123713400
कुल (छ+ज)		176436441		162579874
(ख) समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)				
क) भारत सरकार से प्राप्ति	95000000		65000000	
ख) अर्जित लाभ की राशि	30164315		27973112	
ग) कुल (क+ख)		125164315		92973112
घ) कमीःमेगा क्लस्टर में उपयोग हेतु अंतरित राशि		95000000		57500000
शेष (ग–घ)		30164315		35473112
(ग) समग्र निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)				
क) भारत सरकार से प्राप्ति	781012400		0	
ख) अर्जित लाभ की राशि	4352542		0	
ग) कुल (क+ख)		785364942		0
घ) कमीः परियोजना प्रबंधन एजेंसी को अंतरित की गई राशि		750788612		0
ड.) कमी : वास्तुविद् शुल्क एवं अन्य व्यय		27094471		
शेष (ग–घ–ड.)		7481859		0
कुल (क+ख+ग)		214082615		198052986
II) vU; nh?kkofèk ns;rk,a				
प्रतिभूति जमा		–		–
कुल		0		0

i) प्रारंभ में समग्र निधि (विपणन कॉम्पलेक्स) लेखा में जमा करने के पश्चात उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर, और नई दिल्ली में विपणन परिसर की एकमुश्त खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा 82580850/–रु. (पिछले वर्ष 82580850/–रु.) की निधि जारी की गई थी जिसका विपणन परिसरों की खरीद के लिए उपयोग कर लिया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 97789704/–रु. (पिछले वर्ष 96929609/–रु.) की राशि समग्र निधि में जमा कर गई है और विपणन परिसरों की स्थापना पर किए गए 94097380/–रु. (पिछले वर्ष 92485036/–रु.) का व्यय समग्र निधि से प्रभारित किया गया है। विविध व्यय, यदि कोई हो को समायोजित करने के पश्चात अव्ययित समग्र निधि से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 138322216/–रु. (पिछले वर्ष 123,713,400/–रु.) को जमा कर दिया गया है।

ii) सरकारी निदेशों के अनुसार वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद तथा प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति के लिए 95000000/–रु. (पिछले वर्ष 65000000/–रु.) सरकार द्वारा जारी की गई राशि का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को सूत की आपूर्ति करने के लिए किया गया है। सावधि जमाओं पर अर्जित 30164315/–रु. (पिछले वर्ष 27973112/–रु.) के ब्याज को जमा कर दिया गया है।

3 DEFERRED TAX LIABILITY (Net)

The break up of net deferred tax liability as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As at the end of current reporting period	
	Deferred Tax Assets (Rs.)	Deferred Tax Liability (Rs.)
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		5622534
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		6206839
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc.	14107342	
Provision for leave salary	24439358	
Provision for Deceased Employee Scheme	265913	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	133347	
Total	38945960	11829373
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		-27116587
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		-21550361
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		-5566226

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

I) Other Long Term Liability (Corpus)

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)	
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)				
a) Receipt from Govt. of India	82580850		82580850	
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt.	48158949		48158949	
c) Principle amount refundable to Govt. (a-b)	34421901		34421901	
"d) Amount realized from agencies including adjustments"	97789704		96929609	
"e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies"				
f) Refundable to agencies (d-e)	3692324		4444573	
g) Balance (a-b+d-e) or (c+f)		38114225		38866474
"h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure"		138322216		123713400
Total (g+h)		**176436441**		**162579874**
(B) Corpus Fund (Mega Cluster)				
a) Receipt from Govt. of India	95000000		65000000	
b) Amount of Interest earned	30164315		27973112	
c) Total (a+b)		125164315		92973112
"d) Less: Amount transferred for utilization in Mega Cluster"		95000000		57500000
Balance (c-d)		30164315		35473112
(C) Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)				
a) Receipt from Govt. of India	781012400		0	
b) Amount of Interest earned	4352542		0	
c) Total (a+b)		785364942		0
d) Less: Amount transferred to Project Management Agency		750788612		0
e) Less : Architect fee & other expenses		27094471		
Balance (c-d-e)		7481859		0
GRAND TOTAL (A+B+C)		**214082615**		**198052986**
II) Other Long Term Liabilities				
Security Deposit		-		-
Total		0		0

i) Funds released by the Govt. of India amounting to Rs. 82580850 (Previous Year Rs. 82580850) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies, after initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs. 97789704 (Previous Year Rs. 96929609) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs. 94097380 (Previos Year Rs. 92485036) has been charged to the corpus fund. The interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs. 138322216 (Previous Year Rs. 123713400) has been credited thereto.

ii) As per Government directives, the funds released by Govt. of India amounting to Rs. 95000000 (Previous Year Rs. 65000000) for supply of yarn to the Handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. The amount of interest earned on fixed deposits amounting to Rs. 30164315 (Previous Year Rs. 27973112) has been credited thereto.

5 xj ekStnk nsu; rk,i & nh?kkofèk çkoèkku

	ekStnk leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½	iwoZorh leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½
	0	0

6 ekStnk nsu; rk,i & vYikofèk _.k

	ekStnk leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½	iwoZorh leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½
सुरक्षित ऋण		
बही ऋण एवं चल परिसंपत्तियों के मालबंधन के बदले बैंकों से	–	–
क्षेत्रीय कार्यालय पानीपत में सावधि जमा प्रत्याभूति के बदले निगम ने 2000000/–रु. (पिछले वर्ष 2000000/–रु) की ओवरड्राफ्ट सीमा स्वीकार की है ।	0	0

7 ekStnk nsu; rk,i & O;kikj ysunkj;k

	ekStnk leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½	iwoZorh leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½
सनड्राई क्रेडिटर्स (इसमें एस.एस.आई युनिट्स को देय 1232614980/–रु. शामिल है– पिछले वर्ष 1191677841/–रु.	2505358221	2104856439
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम राशि	88834107	103257901
dqy	2594192328	2208114340

i) संतुलन पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के अंत में इस वर्ष के अंत तक की शेष राशि सभी लेनदारों तथा अन्य पक्षकारों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त की गई है:–

fooj.k	dqy		ekStnk leh{kkofèk d: vr e: çkIr iqf"V		ekStnk leh{kkofèk d: vr e: 'ks"k jkf'k dh iqf"V dh çfr'krrk	
ysunkj	,ufV;ksa dh la[;k	cdk;k jkf'k ¼#- e½	,ufV;ksa dh la[;k	cdk;k jkf'k ¼#- e½	,ufV;ksa dh la[;k ¼%½	cdk;k jkf'k ¼%½
बकाया राशि	579	2505358221	306	1698712578	52.85	67.80
ग्राहक/अन्य से प्राप्त अग्रिम.	1421	88834107	410	45866528	28.85	51.63

ऊपर दर्शाए गए पुष्टि प्राप्त शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जिसके लिए किसी प्रकार का विवाद हो परंतु इसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां अंतर / समाधान के कारण की गई प्रविष्टियां दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हों। वह शेष राशि जो पुष्टि के लिए लंबित है, उसकी नियत समय में समीक्षा की जाएगी और उसके संबंध में समाधान निकाला जाएगा तथा इस संबंध में समायोजन यदि कोई हो जिसकी इन मामलों में आवश्यकता हो, तो उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाएगा।

ii) विविध लेनदारों में 414764022/–रु. (पिछले वर्ष 443,293,684/–रु.) की राशि शामिल है जो मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 30 से अधिक दिनों के लिए से बकाया है तथा जो लघु उद्योग को देय है। उपर्युक्त लघु उद्योग वाले लेनदारों को देय राशि को उनके साथ किए गए करार के आधार पर रोक दिया गया है जिसमें उन्हें संबंधित लेनदारों से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात ही आगे का भुगतान किया जाएगा।

iii) इसके अतिरिक्त ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन्हें धनराशि का भुगतान करने संबंधी कंपनी की कोई देनदारी हो और मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में 45 से अधिक दिनों से बकाया हों। यह सूचना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट की जानी अपेक्षित है और यह निगम के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्षकारों को अभिज्ञात करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा व्यक्त किया गया है।

8 ekStnk nsu; rk,i & vU; ekStnk nsu; rk,i

	ekStnk leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½	iwoZorh leh{kkofèk d: vr e: vkdM: ¼#-e½
प्रतिभूति जमा	1607446	936472
सरकारी अनुदान/सहभागिता राशि (कृपया नीचे दिए गए ब्यौरे का अवलोकन करें)	43789244	13195980
अवधारण राशि	341649	341649
अग्रिम राशि	802762	654762
समग्र निधि (क्लस्टर विकास)	157673737	136578237
समग्र निधि (मेगा क्लस्टर)	95000000	57500000
परिवहन एवं डिपो को देय	205382433	542549238
अन्य देयताएं	41423353	31970384
कुल	546020624	783726722

5 NON - CURRENT LIABILITIES - LONG TERM PROVISION

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
	0	0

6 CURRENT LIABILITIES - SHORT TERM BORROWINGS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
Secured Loans		
From banks against hypothecation of book debts and movable assets	-	-
	0	0

Corporation has taken an over-draft limit of Rs. 2000000 (Previous year- Rs.2000000) at Regional Office Panipat against security of Fixed Deposits.

7 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)
Sundry creditors	2505358221	2104856439
From banks against hypothecation of book debts and movable assets (Includes Rs. 1232614980 payable to S.S.I units – Previous year Rs.1191677841)	-	-
Advance from customers/ others	88834107	103257901
Total	2594192328	2208114340

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as at the end of current reporting period		% of Confirmation of balances as at the end of current reporting period	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Creditors	579	2505358221	306	1698712578	52.85	67.80
Advance from customers/others.	1421	88834107	410	45866528	28.85	51.63

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Sundry Creditors includes amount of Rs. 414764022 (Previous year Rs. 443293684) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above has been withheld based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them only after realization of the payment from the corresponding debtors.

iii) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

8 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of the previous reporting period (Rs.)"
Security deposits	1607446	936472
Govt. grants/participation money (See detail below)	43789244	13195980
Retention money	341649	341649
Earnest money	802762	654762
Corpus fund (Cluster development)	157673737	136578237
Corpus fund (Mega Cluster)	95000000	57500000
Transportation and depot payable	205382433	542549238
Other Liabilities	41423353	31970384
Total	**546020624**	**783726722**

i) vunku lcèkh fooj.k
ek t nk leh{kèkhu vofèk d fy, ljdkjh vunku rFkk çfrHkkfx;k dh jkf'k dk C;kjk

(रु. में.)

Ø- l-	fooj.k	çkjfHkd 'k"k fnukd 1-4-2015 dk	o"k d nkjku ljdkj l çkIr	o"k d nkjku çfrHkkfx;k l çkIr	dy	o"k d nkjku yu&nu 0;;	oki lh@ lek;kstu@ vrj.k	dy	fnukd 31-03-2016 dk 'k"k jkf'k
1	2	3	4	5	6 ¼3$4$5½	7	8	9 ¼7$8½	10¼6&9½
1	विपणन प्रदर्शनी व्यय								
a	सिल्क फैब, चंडीगढ़	0	1969964	1689826	3659790	3659790	0	3659790	0
b	सिल्क फैब दिल्ली	0	1975868	4587214	6563082	6563082	0	6563082	0
c	सिल्क फैब, जबलपुर	0	1987770	1764288	3752058	3752058	0	3752058	0
d	सिल्क फैब मुंबई	0	1983315	3499251	5482566	5482566	0	5482566	0
e	सिल्क फैब भोपाल 2015–16	0	0	2190000	2190000	3652055	−1462055	2190000	0
f	सिल्क फैब, अहमदाबाद	0	1981081	2362725	4343806	4343806	0	4343806	0
g	सिल्क फैब, सूरत	0	1982145	1655369	3637514	3637514	0	3637514	0
h	सिल्क फैब लखनऊ	0	1969140	2619285	4588425	4588425	0	4588425	0
i	सिल्क फैब कोलकाता	0	1980527	2348250	4328777	4328777	0	4328777	0
j	सिल्क फैब इंदौर	0	1975523	2049272	4024795	4024795	0	4024795	0
k	सिल्क फैब भुवनेश्वर	0	1984803	1935686	3920489	3920489	0	3920489	0
l	सिल्क फैब बंगलोर	0	1988600	1775277	3763877	3763877	0	3763877	0
m	ऊन फैब भोपाल	0	1935006	659366	2594372	2594372	0	2594372	0
n	ऊन फैब लखनऊ	0	1954440	541631	2496071	2496071	0	2496071	0
o	ऊन फैब जबलपुर	0	0	449554	449554	2416371	−1966817	449554	0
p	सिल्क फैब पटना 2015–16	0	0	2177500	2177500	611300	0	611300	1566200
q	सिल्क फैब एर्नाकुलम	0	1989431	1942195	3931626	3931626	0	3931626	0
r	सिल्क फैब नागपुर	0	0	787850	787850	2642611	−1854761	787850	0
s	सिल्क फैब हैदराबाद	0	0	1925675	1925675	3895544	−1969869	1925675	0
t	सिल्क फैब गुवाहाटी 2015–16	0	0	18000	18000	376296	−358296	18000	0
u	सिल्क फैब कोयम्बटूर	0	1990015	1063871	3053886	3053886	0	3053886	0
v	सिल्क फैब पुणे 2015–16	0	0	1475135	1475135	415610	0	415610	1059525
w	सिल्क फैब पटना 2014–15	1433475	0		1433475	2420159	−986684	1433475	0
x	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी अहमदाबाद 2014–15	0	0	0	0	1827850	−1827850	0	0
y	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी अहमदाबाद 2015–16	0	0	87500	87500	500613	−413113	87500	0
z	राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शनी नई दिल्ली 2014 15	2329458	0	569135	2898593	4116004	−1217411	2898593	0
za	सिल्क फैब चेन्नई	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000
2	(वर्धमान)	288244	1894000	0	2182244	602707	0	602707	1579537
3	प्रशिक्षण कार्यक्रम								
a	वाराणसी एच / एल मेगा क्लस्टर 04 एक्सटेंशन काउंटर	407474		0	407474	120000	0	120000	287474
b	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए अनुदान	6014613		0	6014613	1209207	0	1209207	4805406
c	एच/एल पार्ट्स की आपूर्ति के लिए अनुदान	0	917251	0	917251		0	0	917251
d	2000 बैटरी इन्वर्टर से जुड़ी प्रकाश इकाइयों के वितरण के लिए अनुदान	704469	19085720	0	19790189	14848937	0	14848937	4941252
e	बीएलआईएलयूएस के वितरण के लिए प्रशासन लागत संबंधी अनुदान जिला के लिए लागत।	259	256500	0	256759			0	256759
f	बीआईएलयूएस, डब्ल्यूएससी वाराणसी के सांविधिक कर्मचारियों की भर्ती के लिए अनुदान	0	78000	0	78000	133533	−55533	78000	0
g	वाराणसी क्लस्टर में बुनकर के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए अनुदान	672000	0	0	672000	670020		670020	1980
h	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	0	1043146	0	1043146	4827943	−3784797	1043146	0
i	सीएफसी चोलापुर, वाराणसी के लिए अनुदान	0	0	0	0	113348	−113348	0	0

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(In Rs.)

SL. NO.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2015	RECEIVED DURING THE YEAR FROM GOVT.	FROM PARTICIPANTS	TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER	TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2016
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9 (7+8)	10(6-9)
1	MARKETING EXHIBITION EXPENSES								
a	SILK FAB, CHANDIGARH	0	1969964	1689826	3659790	3659790	0	3659790	0
b	SILK FAB DELHI	0	1975868	4587214	6563082	6563082	0	6563082	0
c	SILK FAB, JABALPUR	0	1987770	1764288	3752058	3752058	0	3752058	0
d	SILK FAB MUMBAI	0	1983315	3499251	5482566	5482566	0	5482566	0
e	SILK FAB BHOPAL 2015-16	0	0	2190000	2190000	3652055	-1462055	2190000	0
f	SILK FAB, AHEMDABAD	0	1981081	2362725	4343806	4343806	0	4343806	0
g	SILK FAB, SURAT	0	1982145	1655369	3637514	3637514	0	3637514	0
h	SILK FAB LUCKNOW	0	1969140	2619285	4588425	4588425	0	4588425	0
i	SILK FAB KOLKATA	0	1980527	2348250	4328777	4328777	0	4328777	0
j	SILK FAB INDORE	0	1975523	2049272	4024795	4024795	0	4024795	0
k	SILK FAB BHUBANESWAR	0	1984803	1935686	3920489	3920489	0	3920489	0
l	SILK FAB BANGLORE	0	1988600	1775277	3763877	3763877	0	3763877	0
m	WOOL FAB BHOPAL	0	1935006	659366	2594372	2594372	0	2594372	0
n	WOOL FAB LUCKNOW	0	1954440	541631	2496071	2496071	0	2496071	0
o	WOOL FAB JABALPUR	0	0	449554	449554	2416371	-1966817	449554	0
p	SILK FAB PATNA 2015-16	0	0	2177500	2177500	611300	0	611300	1566200
q	SILK FAB EARNAKULAM	0	1989431	1942195	3931626	3931626	0	3931626	0
r	SILK FAB NAGPUR	0	0	787850	787850	2642611	-1854761	787850	0
s	SILK FAB HYDRABAD	0	0	1925675	1925675	3895544	-1969869	1925675	0
t	SILK FAB GUWAHATI 2015-16	0	0	18000	18000	376296	-358296	18000	0
u	SILK FAB COIMBATORE	0	1990015	1063871	3053886	3053886	0	3053886	0
v	SILK FAB PUNE 2015-16	0	0	1475135	1475135	415610	0	415610	1059525
w	SILK FAB PATNA 2014-15	1433475	0		1433475	2420159	-986684	1433475	0
x	NATIONAL LEVEL EXPO AHEMDABAD 2014-15	0	0	0	0	1827850	-1827850	0	0
y	NATIONAL LEVEL EXPO AHEMDABAD 2015-16	0	0	87500	87500	500613	-413113	87500	0
z	NATIONAL LEVEL EXPO NEW DELHI 2014 15	2329458	0	569135	2898593	4116004	-1217411	2898593	0
za	SILK FAB CHENNAI	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000
2	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	288244	1894000	0	2182244	602707	0	602707	1579537
3	TRAINING PROGRAMME								
a	VARANASI H/L MEGA CLUSTER 04 EXTENSION COUNTER	407474		0	407474	120000	0	120000	287474
b	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	6014613		0	6014613	1209207	0	1209207	4805406
c	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	0	917251	0	917251		0	0	917251
d	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	704469	19085720	0	19790189	14848937	0	14848937	4941252
e	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	259	256500	0	256759			0	256759
f	GRANT FOR HIRING CONTRANCTUAL STAFF FOR BLILUS, WSC VARANASI	0	78000	0	78000	133533	-55533	78000	0
g	GRANT FOR BASELINE SURVEY OF WEAVER IN VARANASI CLUSTER	672000	0	0	672000	670020		670020	1980
h	GRANT FOR CFC VARANASI	0	1043146	0	1043146	4827943	-3784797	1043146	0
i	GRANT FOR CFC CHOLAPUR VARANASI	0	0	0	0	113348	-113348	0	0
j	GRANT FOR CFC KARDHANA VARANASI	0	0	0	0	5928647	-5928647	0	0

j	सीएफसी करधाना, वाराणसी के लिए अनुदान	0	0	0	0	5928647	–5928647	0	0
k	अगरतला में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	83085		0	83085			0	83085
l	15	77166		0	77166			0	77166
m	वर्ष 2014–15 में गुवाहाटी में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	88884		0	88884			0	88884
n	वर्ष 2014–15 में विजयवाड़ा में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	6605		0	6605			0	6605
o	वर्ष 2014–15 में हुबली/गदग में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	14673		0	14673			0	14673
p	वर्ष 2014–15 में कोयम्बटुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	26429		0	26429			0	26429
q	वर्ष 2014–15 में कांचीपुरम में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	83021		0	83021			0	83021
r	वर्ष 2014–15 में काशीपुर/ भदोही में क्रेता–. विक्रेता सम्मेलन	60950		0	60950			0	60950
s	भागलपुर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	145000		0	145000	128739		128739	16261
t	भुवनेश्वर	0	0	0	0	160559	–160559	0	0
u	कन्नूर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	193835	–193835	0	0
v	वर्ष 2015–16 में कोयम्बटूर में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	250000	–250000	0	0
w	16	0		0	0	172878	–172878	0	0
x	वर्ष 2015–16 में काराकुलम में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	78128	–78128	0	0
y	वर्ष 2015–16 में कोलकाता /रांची में क्रेता–. विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	144079	–144079	0	0
z	16	0		0	0	379245	–379245	0	0
za	16	0		0	0	155136	–155136	0	0
zb	वर्ष 2015–16 में वारंगल में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	80421	–80421	0	0
zc	वर्ष 2015–16 में हिमाचल प्रदेश में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	105515	–105515	0	0
zd	वर्ष 2015–16 में हैदराबाद में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0		0	0	128761	–128761	0	0
ze	16	0	247875	0	247875	294475	–46600	247875	0
zf	16	0	247688	0	247688	446517	–198829	247688	0
zg	वर्ष 2015–16 में सालेम में क्रेता–विक्रेता सम्मेलन	0	0	0	0	222225	–222225	0	0
zh	दिल्ली	0	2451000	0	2451000	2594640	–143640	2451000	0
zi	मुंबई	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000
zj	अंतरराष्ट्रीय हैंडवोवेन मेला, 2016 के लिए अनुदान	0	250000	0	250000	573600	–323600	250000	0
zk	6 आईआईएचटीएस के लिए पुरस्कार वितरण हेतु अनुदान	0	678000	0	678000	113000		113000	565000
zl	बहुसंख्यक बीयूटीआई मशीन के ईएक्स पी. परिचय हेतु अनुदान	0	185000	0	185000	179862		179862	5138
zm	डब्ल्यूएससी, वाराणसी में चार पहिया वाहन तथा विविध खर्च हेतु अनुदान	0	426400	0	426400	330000		330000	96400
zn	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान	0	1380000	0	1380000	1012500		1012500	367500
zo	7 सीएफसी में प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रम के लिए अनुदान	0	3085600	0	3085600	2494875		2494875	590725
zp	सीएफसी काशी विद्यापीठ एवं चिरालागवन के लिए अनुदान	0	1150550	0	1150550	0	0	0	1150550
zq	हिंदू कॉलेज दिल्ली	0	0	0	0	15000	–15000	0	0
zr	आईआईटी चेन्नई	0	0	0	0	200431	–200431	0	0

k	BUYER SELLER MEET AT AGARTALA	83085		0	83085			0	83085
l	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2014-15	77166		0	77166			0	77166
m	BUYER SELLER MEET AT GUWAHATI 2014-15	88884		0	88884			0	88884
n	BUYER SELLER MEET AT VIJAYWADA 2014-15	6605		0	6605			0	6605
o	BUYER SELLER MEET AT HUBLI/ GADAG 14-15	14673		0	14673			0	14673
p	BUYER SELLER MEET-COIMBATORE 2014-15	26429		0	26429			0	26429
q	BUYER SELLER MEET AT KANCHIPURAM 14-15	83021		0	83021			0	83021
r	BUYER SELLER MEET AT KASHIPUR/BHADOHI 14-15	60950		0	60950			0	60950
s	BUYER SELLER MEET AT BHAGALPUR	145000		0	145000	128739		128739	16261
t	BUYER SELLER MEET AT BHUBANESWAR	0	0	0	0	160559	-160559	0	0
u	BUYER SELLER MEET AT KANNUR	0		0	0	193835	-193835	0	0
v	BUYER SELLER MEET-COIMBATORE 2015-16	0		0	0	250000	-250000	0	0
w	BUYER SELLER MEET AT PANIPAT 2015-16	0		0	0	172878	-172878	0	0
x	BUYER SELLER MEET AT KARAKULAM2015-16	0		0	0	78128	-78128	0	0
y	BUYER SELLER MEET AT KOLKATTA/RANCHI 2015-16	0		0	0	144079	-144079	0	0
z	BUYER SELLER MEET AT SHILONG 2015-16	0		0	0	379245	-379245	0	0
za	BUYER SELLER MEET AT VARANASI 2015-16	0		0	0	155136	-155136	0	0
zb	BUYER SELLER MEET AT WARANGAL 2015-16	0		0	0	80421	-80421	0	0
zc	BUYER SELLER MEET AT HIMANCHAL PRADESH 2015-16	0		0	0	105515	-105515	0	0
zd	BUYER SELLER MEET AT HYDERABAD 2015-16	0		0	0	128761	-128761	0	0
ze	BUYER SELLER MEET AT IMPHAL 2015-16	0	247875	0	247875	294475	-46600	247875	0
zf	BUYER SELLER MEET AT AIZWAL 2015-16	0	247688	0	247688	446517	-198829	247688	0
zg	BUYER SELLER MEET AT SALEM 2015-16	0	0	0	0	222225	-222225	0	0
zh	GRANT FOR FASHION WEEK AT NEW DELHI	0	2451000	0	2451000	2594640	-143640	2451000	0
zi	GRANT FOR 6 FASHION SHOWS AT MUMBAI	0	1000000	0	1000000	0	0	0	1000000
zj	GRANT FOR INTERNATIONAL HANDWOVEN FAIR 2016	0	250000	0	250000	573600	-323600	250000	0
zk	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	0	678000	0	678000	113000		113000	565000
zl	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	0	185000	0	185000	179862		179862	5138
zm	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	0	426400	0	426400	330000		330000	96400
zn	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	0	1380000	0	1380000	1012500		1012500	367500
zo	GRANT FOR TRAINING & AWARENESS PROGRAMME IN 7 CFCs	0	3085600	0	3085600	2494875		2494875	590725
zp	GRANT FOR CFC KASHI VIDYAPITH & CHIRALAGAWAN	0	1150550	0	1150550	0	0	0	1150550
zq	HINDU COLLEGE DELHI	0	0	0	0	15000	-15000	0	0
zr	IIT CHENNAI	0	0	0	0	200431	-200431	0	0

zs	आईआईटी मुंबई	0	0	0	0	1163471	−1163471	0	0
zt	आईआईटी रुड़की	0	0	0	0	774986	−774986	0	0
zu	भारतीय हथकरघा मेला कोलकाता	0	0	0	0	50000	−50000	0	0
zv	जम्मू–कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में संगोष्ठी के लिए अनुदान	0	165500	0	165500	265160	−99660	165500	0
zw	एनईआर में संगोष्ठी के लिए अनुदान	0	195000	0	195000	374725	−179725	195000	0
4	बुनकरों जागरूकता शिविर	760175	0	0	760175		0	0	760175
5	7 सामान्य सुविधा केन्द्र, वाराणसी								
a	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	0	32172000	0	32172000	18565513	0	18565513	13606487
b	सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान	0	1659600	0	1659600	1017591	0	1017591	642009
c	सीएससी वाराणसी के सेवा कर के लिए अनुदान	0	69423	0	69423	0	0	0	69423
6	राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (ब्रांड)	0	20000000	0	20000000	11936621	0	11936621	8063379
	कुल	13195980	119285881	40173855	172655716	156072377	−27205905	128866472	43789244

zs	IIT MUMBAI	0	0	0	0	1163471	-1163471	0	0
zt	IIT ROORKEE	0	0	0	0	774986	-774986	0	0
zu	INDIA HANDLOOM FAIR KOLKATTA	0	0	0	0	50000	-50000	0	0
zv	GRANT FOR SEMINAR IN J&K, HIMACHAL AND UK	0	165500	0	165500	265160	-99660	165500	0
zw	GRANT FOR SEMINAR IN NER	0	195000	0	195000	374725	-179725	195000	0
4	WEAVERS AWARENESS CAMP	760175	0	0	760175		0	0	760175
5	7 COMMON FACILITATING CENTRE, VARANASI								
a	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	0	32172000	0	32172000	18565513	0	18565513	13606487
b	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	0	1659600	0	1659600	1017591	0	1017591	642009
c	GRANT FOR SERVICE TAX OF CSC VARANASI	0	69423	0	69423	0	0	0	69423
6	NATIONAL HANDLOOM CAMPAIGN (BRAND)	0	20000000	0	20000000	11936621	0	11936621	8063379
	TOTAL	13195980	119285881	40173855	172655716	156072377	-27205905	128866472	43789244

ii) भारत सरकार की एकीकृत हथकरघा क्लस्टर विकास स्कीम के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के लिए समग्र निधि के रूप में 640 क्लस्टरों (पिछले वर्ष 509 क्लस्टरों) से 157673737/–रु.(पिछले वर्ष 136,578,237/–रु.) की समग्र निधि प्राप्त हुई है।

iii) मेगा क्लस्टरों में हथकरघा बुनकरों के लिए सूत तथा डाई एवं कैमिकल की आपूर्ति के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को 5 मेगा क्लस्टरों (पिछले वर्ष 2 मेगा क्लस्टर) के संबंध में 95000000/–रु. (पिछले वर्ष 57500000/–रु.) की समग्र निधि (मेगा क्लस्टर) अंतरित कर दी गई है।

iv) अन्य देयताओं में एजेंसियों से प्रदर्शनी के लिए प्राप्त 5066008/–रु. (पिछले वर्ष 8965122/–रु.) की प्रतिदेय सहभागिता राशि शामिल है।

9 ekStwnk ns;rk,¡ & vYikofèk çkoèkku

(रु. में)

	iwoZorÊ leh{kkèkhu vofèk ds var esa 'ks"k jkf'k	o"kZ ds nkSjku dh xbZ of)	dqy	Hkqxrku@mi;ksx çHkkfjr	o"kZ ds nkSjku okil fy[kk x;k	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds var esa 'ks"k jkf'k
आय कर	125100000	134515000	259615000	121634241	3465759	134515000
प्रोद्भूत छुट्टी	70586823	15701957	86288780	3456350	0	82832430
उपदान दायित्व के लिए प्रावधान	0	1232410	1232410	1232410	0	0
अनुग्रह राशि का प्रावधान	15640000	16590000	32230000	15365500	274500	16590000
प्रस्तावित लाभांश	51100000	73100000	124200000	51100000	0	73100000
प्रस्तावित लाभांश पर कारपोरेट टैक्स	10402938	14881698	25284636	10402938	0	14881698
	272829761	256021065	528850826	203191439	3740259	321919128

i) मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए प्रति इक्विटी शेयर प्रस्तावित लाभांश 38.47/–रु. (पूर्व वर्ष 26.89/–रु.) है।

ii) परिभाषित लाभ योजना

संशोधित एएस–15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित मौजूदा दायित्व मूल्य के आधार पर छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के लिए दायित्व को मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है।

छुट्टी नकदीकरण और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के अर्थ शेष एवं अंत शेष का समाधान नीचे दिया गया है:–

(रु. में)

fooj.k	NqV~Vh udnhdj.k	
	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds fy,	iwoZorÊ leh{kkèkhu vofèk ds fy,
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	70586823	96539987
वृद्धिः अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	0	0
वृद्धिः मौजूदा वर्ष के खर्चे के लिए प्रभारित करके उपलब्ध कराई गई राशि	15701957	0
कमी : अतिरिक्त प्रावधान वर्ष के दौरान वापस लिखा	0	13916568
कमी : लाभ का भुगतान/एन भुनाई गई छुट्टी	3456350	12036596
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	82832430	70586823

(रु. में)

fooj.k	xzsP;qVh	
	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds fy,	iwoZorÊ leh{kkèkhu vofèk ds fy,
ष्एलआईसी के साथ साल की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	109546929	107217399
वृद्धिः योजना एसेट पर वास्तविक वापसी	9191580	9266246
वृद्धिः वर्ष के दौरान एलआईसी को दिया गया अंशदान	0	814000
कमीः एलआईसी द्वारा अदा किया गया लाभ/निपटाया गया दावा	3429840	7750716
एलआईसी के साथ साल के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	115308669	109546929
वृद्धि : ग्रेज्युटी फंड के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान	1232410	0
कमी : भावी समायोजन के लिए एलआईसी के साथ वाले गेज्युटी न्यास में जमा की गई राशि	10023165	
कमी : वापस लिखी गई गेज्युटी निधि के लिए अंशदान के बदले किया गया अतिरिक्त प्रावधान		10023165
प्रावधान के पश्चात वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	106517914	99523764

chekfdd iwokZuqeku

	xzsP;qVh		NqV~Vh udnhdj.k	
	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds fy,	iwoZorÊ leh{kkèkhu vofèk ds fy,	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds fy,	iwoZorÊ leh{kkèkhu vofèk ds fy,
मृत्यु दर तालिका				
छूट की दर	7.56%	7.95%	7.56%	7.95%
भावी वेतन वृद्धि	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
आर्कषक दर	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

I.	iwokZuqeku	ekStwnk leh{kkèkhu vofèk ds fy, ¼#- esa½
	पिछले वर्ष छूट की दर	7.95%
	पिछले वर्ष योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर	7.95%
	पिछले वर्ष वेतन वृद्धि	16.00%

ii) Corpus Fund (Cluster Development) amounting to Rs. 157673737 (Previous year Rs. 136578237) has been received from 640 clusters (Previous year 509 clusters) as Corpus Fund for supply of yarn under the Integrated Handloom Cluster Development Scheme of Govt. of India.

iii) Corpus Fund (Mega Cluster) amounting to Rs. 95000000 (Previous year Rs. 57500000) in respect of 5 Mega Clusters (Previous year 2 Mega Cluster) has been transferred to the concerned Regional Offices for supply of Yarn and Dyes & Chemicals to the handloom weavers in those Mega Clusters.

iv) Other liabilities include Rs. 5066008 (Previous year Rs.8965122) refundable on account of participation money received towards exhibition from agencies.

9 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

(Rs.)

	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back during the year	Balance as at the end of current reporting period
Income tax	125100000	134515000	259615000	121634241	3465759	134515000
Accrued leave	70586823	15701957	86288780	3456350	0	82832430
Provision for gratuity liability	0	1232410	1232410	1232410	0	0
Provision for ex-gratia	15640000	16590000	32230000	15365500	274500	16590000
Proposed dividend	51100000	73100000	124200000	51100000	0	73100000
Corporate tax on proposed dividend	10402938	14881698	25284636	10402938	0	14881698
	272829761	256021065	528850826	203191439	3740259	321919128

i) The Proposed dividend per equity share for the current reporting period is Rs. 38.47 (Previous year Rs. 26.89).

ii) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

(Rs.)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	70586823	96539987
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU.	0	0
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	15701957	0
Less: Excess Provision written back during the year	0	13916568
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	3456350	12036596
Defined benefit obligation at year end	82832430	70586823

(Rs.)

Particulars	GRATUITY	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	109546929	107217399
Add : Actual Return on Plan Asset	9191580	9266246
Add : Contribution paid to LIC during the year.	0	814000
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	3429840	7750716
Defined benefit obligation at year end with LIC.	115308669	109546929
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	1232410	0
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	10023165	
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back		10023165
Defined benefit obligation at year end after provision.	106517914	99523764

ACTURIAL ASSUMPTION

	GRATUITY		LEAVE ENCASHMENT	
	For the current reporting period	For the previous reporting period	For the current reporting period	For the previous reporting period
Mortality table				
Rate of discounting.	7.56%	7.95%	7.56%	7.95%
Future salary rise.	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
Attrition rate.	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%

NHDC GRATUITY AS AT THE END OF CURRENT REPORTING PERIOD

I.	ASSUMPTIONS:	"For the current reporting period (Rs.)"
	Discount rate Previous year	7.95%
	Rate of return on Plan Assets Previous year	7.95%
	Salary Escalation Previous year	16.00%

	पिछले वर्ष क्षयण दर	2.00%
	मौजूदा वर्ष छूट की दर	7.56%
	मौजूदा वर्ष योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की दर	7.56%
	मौजूदा वर्ष वेतन वृद्धि	16.00%
	मौजूदा वर्ष क्षयण दर	2.00%
II.	vuekfur ykHk cke;rk dh ekStwnk eY; es ifjorZu dk n'kkZus okyh rkfydk	ekStwnk leh{kk/khu vof/k ds fy, ¼ #- esa½
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	99523764
	ब्याज लागत	7912139
	वर्तमान सेवा लागत	2180407
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान किए गए गैर निहित लाभ	–
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान किए गए निहित लाभ	–
	दायित्व / अधिग्रहण में स्थानांतरित	–
	(बाहर स्थानांतरित देयता/विनिवेश)	–
	(लाभ) / कटौती पर घाटा	–
	निपटान पर पृथक की गई देयताएं)	–
	(नियोक्ता द्वारा सीधे अदा किया गया लाभ)	–
	(कोष से अदा किया गया लाभ)	–3429840
	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	–
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं के बदलने के कारण	–
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि – वित्तीय मान्यताओं के बदलने के कारण	2110006
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि – अनुभव के कारण	–1778562
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	106517914
III.	;kstuk ifjlaifÙk;ksa dh mfpr eY; es ifjorZu dk n'kkZus okyh rkfydk	ekStwnk leh{kk/khu vof/k ds fy, ¼#- esa½
	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	109546929
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	8708981
	नियोक्ता द्वारा योगदान	95952
	कर्मचारियों द्वारा प्रत्याशित योगदान	–
	आस्तियों में स्थानांतरित / अधिग्रहण	–
	बाहर स्थानांतरित की गई परिसंपत्तियां/विनिवेश	–
	कोष से भुगतान किया गया लाभ	–3429840
	निपटान पर वितरित की गई परिसंपततियां	–
	परिसंपत्तियों के उच्चतम मूल्य का प्रभाव	–
	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव	–
	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (घाटा) – अनुभव के कारण	386647
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	115308669
IV.	chekfdd ¼ykHk½@Lohdkj dh xbZ gkfu	ekStwnk leh{kk/khu vof/k ds fy, ¼#- esa½
	उक्त अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर घाटा	331444
	उक्त अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ) / योजना परिसंपत्ति पर घाटा	–386647
	उप कुल	–55203
	बीमांकिक (लाभ) / स्वीकार की गई हानि	–55203
V.	;kstukxr ifjlaifÙk;ksa ij okLrfod okilh	ekStwnk leh{kk/khu vof/k ds fy, ¼#- esa½
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	8708981
	योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ / (घाटा) – अनुभव के कारण	386647
	योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक वापसी	9095628
VI.	rqyu&i= esa ekU;rk çkIr jkf'k	ekStwnk leh{kk/khu vof/k ds fy, ¼#- esa½
	उक्त अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	–106517914
	उक्त अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	115308669
	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष / (घाटा))	8790755
	उक्त अवधि के गैर मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत	–
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल (देयता)/ परिसंपत्ति	8790755
VII.	वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए (रु. में)
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	99523764
	अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	–109546929
	शुरुआत में निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	–10023165
	ब्याज लागत	7912139
	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	–8708981
	वर्तमान अवधि के लिए निवल ब्याज लागत	–796842

	Attrition Rate Previous year	2.00%
	Discount Rate Current year	7.56%
	Rate of return on Plan Assets Current year	7.56%
	Salary Escalation Current year	16.00%
	Attrition Rate Current year	2.00%
II.	**Table Showing Change in the Present Value of Projected Benefit Obligation**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	99523764
	Interest Cost	7912139
	Current Service Cost	2180407
	Past Service Cost - Non-Vested Benefit Incurred During the Period	-
	Past Service Cost - Vested Benefit Incurred During the Period	-
	Liability Transferred In/ Acquisitions	-
	(Liability Transferred Out/ Divestments)	-
	(Gains)/ Losses on Curtailment	-
	(Liabilities Extinguished on Settlement)	-
	(Benefit Paid Directly by the Employer)	-
	(Benefit Paid From the Fund)	-3429840
	The Effect Of Changes in Foreign Exchange Rates	-
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Demographic Assumptions	-
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	2110006
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	-1778562
	Present Value of Benefit Obligation at the End of the Period	106517914
III.	**Table Showing Change in the Fair Value of Plan Assets**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period	109546929
	Expected Return on Plan Assets	8708981
	Contributions by the Employer	95952
	Expected Contributions by the Employees	-
	Assets Transferred In/Acquisitions	-
	Assets Transferred Out/ Divestments	-
	Benefit Paid from the Fund	-3429840
	Assets Distributed on Settlements	-
	Effects of Asset Ceiling	-
	The Effect Of Changes In Foreign Exchange Rates	-
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	386647
	Fair Value of Plan Assets at the End of the Period	115308669
IV.	**Actuarial (Gains)/Losses Recognition**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligation For the Period	331444
	Actuarial (Gains)/Losses on Plan Asset For the Period	-386647
	Subtotal	-55203
	Actuarial (Gains)/Losses Recognized	-55203
V.	**Actual Return on Plan Assets**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Expected Return on Plan Assets	8708981
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	386647
	Actual Return on Plan Assets	9095628
VI.	**Amount Recognized in the Balance Sheet**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Present Value of Benefit Obligation at the end of the Period	-106517914
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Period	115308669
	Funded Status (Surplus/ (Deficit))	8790755
	Unrecognized Past Service Cost at the end of the Period	-
	Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet	8790755
VII.	**Net Interest Cost for Current Period**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Present Value of Benefit Obligation at the Beginning of the Period	99523764
	Fair Value of Plan Assets at the Beginning of the Period	-109546929
	Net Liability/(Asset) at the Beginning	-10023165
	Interest Cost	7912139
	Expected Return on Plan Assets	-8708981
	Net Interest Cost for Current Period	-796842

VIII.	orZeku vof/k dh fy, ykHk ;k gkfu lEcU/kh fooj.k esa ekU;rk çkIr O;;	ekStwnk lehf{kk/khu vof/k dh fy, ¼#- esa½
	वर्तमान सेवा लागत	2180407
	निवल ब्याज लागत	–796842
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	–55203
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त गैर निहित लाभ	–
	पिछली सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	–
	कर्मचारियों द्वारा संभावित योगदान	–
	कटौतियों एवं निपटानों पर (लाभ) /हानि	–
	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तनों का निवल प्रभाव	–
	परिसंपत्ति के उच्चतम मूल्य में परिवर्तन	–
	लाभ या हानि संबंधी विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1328362
IX.	rqyu&i= lek/kku	ekStwnk lehf{kk/khu vof/k dh fy, ¼#- esa½
	शुरूआती निवल देयता	–10023165
	लाभ या हानि संबंधी विवरण में मान्यताप्राप्त व्यय	1328362
	निवल दायित्व/ (परिसंपत्ति) में स्थानांतरण	–
	निवल (दायित्व) / परिसंपत्ति का बाहर स्थानांतरण	–
	नियोक्ता द्वारा सीधे अदा किया गया लाभ	–
	नियोक्ता का योगदान	–95952
	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल दायित्व/(परिसंपत्ति)	–8790755
X.	ifjlaifÙk;ksa dh Js.kh	ekStwnk lehf{kk/khu vof/k dh fy, ¼#- esa½
	भारत सरकार की परिसंपत्तियां	–
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	–
	विशेष जमा स्कीम	–
	ऋण उपकरण	–
	कारपोरेट बॉंड्स	–
	नकद और नकद समकक्ष	–
	बीमा कोष	115308669
	परिसंपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	–
	संरचित ऋण	–
	अन्य	–
	dqy	115308669
XI.	vU; fooj.k	ekStwnk lehf{kk/khu vof/k dh fy, ¼#- esa½
	सक्रिय सदस्यों की संख्या	213
	सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	9715725
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ)	106517914
	अगले वर्ष के लिए निर्धारित अंशदान (12 माह)	–
XII.	vuHko lek;kstu	ekStwnk lehf{kk/khu vof/k dh fy, ¼#- esa½
	दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / घाटा – अनुभव के कारण	–1778562
	पूंजीगत परिसंपतियों पर बीमांकिक (लाभ) / घाटा – अनुभव के कारण	386647

VIII.	**Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss for Current Period**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Current Service Cost	2180407
	Net Interest Cost	-796842
	Actuarial (Gains)/Losses	-55203
	Past Service Cost - Non-Vested Benefit Recognized During the Period	-
	Past Service Cost - Vested Benefit Recognized During the Period	-
	Expected Contributions by the Employees	-
	(Gains)/Losses on Curtailments And Settlements	-
	Net Effect of Changes in Foreign Exchange Rates	-
	Change in Asset Ceiling	-
	Expenses Recognized in the Statement of Profit or Loss	1328362
IX.	**Balance sheet reconciliation**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Opening Net Liability	-10023165
	Expense Recognized in Statement of Profit or Loss	1328362
	Net Liability/(Asset) Transfer In	-
	Net (Liability)/Asset Transfer Out	-
	Benefit Paid Directly by the Employer	-
	Employer's Contribution	-95952
	Net Liability/(Asset) Recognized in the Balance Sheet	-8790755
X.	**Category of Assets**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Government of India Assets	-
	State Government Securities	-
	Special Deposits Scheme	-
	Debt Instruments	-
	Corporate Bonds	-
	Cash And Cash Equivalents	-
	Insurance fund	115308669
	Asset-Backed Securities	-
	Structured Debt	-
	Other	-
	Total	115308669
XI.	**Other Details**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	No of Active Members	213
	Per Month Salary For Active Members	9715725
	Projected Benefit Obligation (PBO)	106517914
	Prescribed Contribution For Next Year (12 Months)	-
XII.	**Experience Adjustment**	**"For the current reporting period (Rs.)"**
	Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	-1778562
	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets - Due to Experience	386647

10 गैर-मौजूदा परिसंपत्तियां - वास्तविक परिसंपत्तियां

(रु. में)

	मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के लिए											पूर्व समीक्षाधीन अवधि के लिए
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण एवं अग्निशमन	कार्यालय उपकरण	कार्यशाला उपकरण	वाहन	कंप्यूटर कंप्यूटर एवं डाटा प्रक्रमण इकाई	सर्वर एवं नेटवर्क्स	कुल	
सकल ब्लॉक												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	34269777	6927809	0	10419983	5619259	412455	3779549	6915485	2444519	146698020	70573707
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	0	0	737395	0	755898	485460	0	0	656499	0	2635252	77048615
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	0	0	–41788	0	–51678	–66269	0	–2176	–72109	–1150	–235170	–18586843
वर्ष के दौरान अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17662541
वर्ष के अंत में	75909184	34269777	7623416	0	11124203	6038450	412455	3777373	7499875	2443369	149098102	146698020
मूल्य ह्रास												
वर्ष की शुरूआत में	0	8801215	3949697	0	3300793	3842080	77280	1500483	5154083	1847081	28472712	23417684
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	0	0	–41385	0	–34089	–40602	0	–2176	–68504	–1150	–187906	–8176061
वर्ष के दौरान अंतरण	0	0	0	0	0	–12397	0	0	0	0	–12397	7376809
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (रि. जर्व एवं अधिशेष में किया गया अंतरण)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1078897
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास (लाभ एवं हानि खाते में किया गया अंतरण)	0	503274	417905	0	970228	444384	45499	423691	959982	230827	3995790	4775383
वर्ष के अंत में	–	9304489	4326217	0	4236932	4233465	122779	1921998	6045561	2076758	32268199	28472712
निवल ब्लॉक												
वर्ष की शुरूआत में	75909184	25468562	2978112	0	7119190	1777179	335175	2279066	1761402	597438	118225308	47156023
वर्ष के अंत में	75909184	24965288	3297199	0	6887271	1804985	289676	1855375	1454314	366611	116829903	118225308

i) नियत परिसंपत्तियों में मुंबई स्थित कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित अंतरण औपचारिकता तथा उपयुक्त प्राधिकरणों में किया गया पंजीकरण शामिल है जिसकी लागत 2163293/–रु. (पिछले वर्ष 2163293/–रु.) है तथा जिसके संबंध में कब्जा ले लिया गया है परंतु उक्त परिसंपत्तियों को प्रोद्भूत होने पर पंजीकरण प्रभार अधिरोपित किया जाएगा।

ii) किसी परिसंपत्ति का बिगड़ी हुई अवस्था में जब समझा जाता है जब उस परिसंपत्ति की वहनीय लागत उसके प्राप्य मूल्य से अधिक होती है। उस परिसंपत्ति की खराबी संबंधी हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि संबंधी विवरण में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उस परिसंपतति के खराब होने की पहचान की जाती है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में दर्शाई जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्य वह है जो उनमें दर्शाया गया है तथा किसी प्रकार की खराबी, यदि कोई हो तो उसे, तुलन–पत्र के नोट 28 में दर्शाया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31.03.2014 को अनुपयोगी समझी गई वास्तविक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के दौरान शून्य रु. के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष 1114628/–रु.) को अधिशेष में समायोजित किया गया है।

10 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs.)

	For the current reporting period											For the previous reporting period
	Land	Building	Furniture & fixture	Office and electrical equip-ments	Electrical equipment and installa-tion	Office equip-ment	Laboratory equipments	Vehicle	COMPUTERS		TOTAL	
									Computer & Data processing Units	Servers & Net-works		
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	34269777	6927809	0	10419983	5619259	412455	3779549	6915485	2444519	146698020	70573707
Addition during the year	0	0	737395	0	755898	485460	0	0	656499	0	2635252	77048615
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	0	0	-41788	0	-51678	-66269	0	-2176	-72109	-1150	-235170	-18586843
Transfer to during the year	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17662541
As at end of the year	75909184	34269777	7623416	0	11124203	6038450	412455	3777373	7499875	2443369	149098102	146698020
DEPRICIATION												
As at beginning of the year	0	8801215	3949697	0	3300793	3842080	77280	1500483	5154083	1847081	28472712	23417684
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	0	0	-41385	0	-34089	-40602	0	-2176	-68504	-1150	-187906	-8176061
Tansfer to during the year	0	0	0	0	0	-12397	0	0	0	0	-12397	7376809
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1078897
Depriciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	0	503274	417905	0	970228	444384	45499	423691	959982	230827	3995790	4775383
As at end of the year	-	9304489	4326217	0	4236932	4233465	122779	1921998	6045561	2076758	32268199	28472712
NET BLOCK												
As at beginning of the year	75909184	25468562	2978112	0	7119190	1777179	335175	2279066	1761402	597438	118225308	47156023
As at end of the year	75909184	24965288	3297199	0	6887271	1804985	289676	1855375	1454314	366611	116829903	118225308

i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.2163293 (Previous year Rs.2163293) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.

ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in the Note 28, to the balance sheet.

iii) An amount of Rs. Nil (Previous Year Rs.1114628) has been adjusted from Surplus towards Depreciation during the year in respect of the Tangible and Intangible Assets which have no remaining useful life as on 31.03.2014, in accordance with the provisions of the Companies Act 2013.

11 xj&ek tnk ifj lifr;k & vokLrfod ifj lifRr;k

(रु. में)

	dI;Vj l,¶Vo;j	
	ek tnk leh{kkèkhu vofèk d fy,	iwo orÊ leh{kkèkhu vofèk d fy,
सकल ब्लॉक		
वर्ष की शुरूआत में	2447321	2406821
वर्ष के दौरान की गई वृद्धि	–	0
वर्ष के दौरान अंतरण/बिक्री/समायोजन	–	–
वर्ष के दौरान अंतरण	0	40500
वर्ष के अंत में	2447321	2447321
मूल्य ह्रास		
वर्ष की शुरूआत में	2240318	2048669
वर्ष के दौरान समायोजन	–	–
वर्ष के दौरान अंतरण	0	33372
सामान्य रिजर्व में अंतरण	0	35731
वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास	51807	122546
वर्ष के अंत में	2292125	2240318
निवल ब्लॉक		
वर्ष की शुरूआत में	207003	358152
वर्ष के अंत में	155196	207003

11 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

(Rs.)

	COMPUTER SOFTWARE	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	2447321	2406821
Addition during the year	-	0
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-
Transfer to during the year	0	40500
As at end of the year	2447321	2447321
DEPRICIATION		
Adjustment during the year	-	-
Tansfer to during the year	0	33372
Transfer to general reserve	0	35731
Depriciation during the year	51807	122546
As at end of the year	2292125	2240318
NET BLOCK		
As at beginning of the year	207003	358152
As at end of the year	155196	207003

12 xj ek t nk ifj l ifRr ;k

	ek t nk l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#- e s½	i woorZ l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s fy , ¼#- e s½
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	6285800	3194300
d qy	6285800	3194300

6285800/–रु. (पिछले वर्ष 3194300/–रु.) के प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में ईआरपी कार्यान्वयन पर किया गया 3091500 रुपये का व्यय शामिल है।

13 xj ek t nk ifj l ifÙk;k & y ch vof/k d s _.k vkj vfxze

	ek t nk l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½	i woorZ l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½
प्रतिभूति जमा	396078	359078
d qy	396078	359078

14 vU; xj ek t nk ifj l ifRr ;k ¼l ex½

		ek t nk l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½	i woorZ l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½
¼d½	l ex fuf/k dk fu;k tu ¼foi.ku ifj l j½		
	चालू खाते में	97392	526650
	सावधि जमा खाते में	171189300	157092494
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	5149749	4960730
	d qy ¼d½	176436441	162579874
¼[k½	l ex fuf/k dk fu;k tu ¼ekxk DyLVj½		
	चालू खाते में	25000	25000
	सावधि जमा खाते में	28576708	34061871
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	1562607	1386241
	कुल (ख)	30164315	35473112
¼x½	l ex fuf/k dk fu;k tu ¼0;kikj l qfo/kk d sa½		
	चालू खाते में	7277534	0
	सावधि जमा खाते में	200000	0
	सावधि जमा पर प्रोद्भूत परंतु अप्राप्त ब्याज	4325	0
	d qy ¼x½	7481859	0
	d qy ;kx ¼d$[k$x½	214082615	198052986

व्यापार सुविधा केंद्र (टीएफसी) खाते में 7277534/–रु. की राशि है। इसके अतिरिक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (मैसर्स एनबीसीसी) और निगम ने संयुक्त नाम में से एसक्रो खाता खोला है जिसे मैसर्स एनबीसीसी और निगम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार मैसर्स एनबीसीसी द्वारा संचालित किया जाएगा। मंत्रालय के निदेशों के अनुसार टीएफसी टीआरए खाते से निगम द्वारा धनराशि एस्क्रो के खाते में हस्तांरित कर दी गई है। मैसर्स एनबीसीसी निर्माण एजेंसी/ठेकेदार को कार्य की प्रगति के आधार पर एस्क्रो के खाते से भुगतान करता है। एस्क्रो के खाते का लेखाकरण मैसर्स एनबीसीसी द्वारा किया जाता है।

15 ek t nk ifj l ifRr ;k & bUoUVh t

	ek t nk l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½	i woorZ l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½
(प्रबंधन द्वारा यथा उल्लिखित, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)		
– स्टॉक–इन–ट्रेड – लागत पर (अप्रचलन के कारण कम लिखा गया) अथवा निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो	14697546	13238103
– परिवहन माल	225900	0
d qy	14923446	13238103

16 ek t nk ifj l ifRr ;k & 0;kikj çkI;

		ek t nk l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½	i woorZ l eh{kk/khu vof/k d s vr e s vk dM s ¼#-e s½
	विविध देनदार (असुरक्षित)		
i)	छह महीनों में		
	अच्छे माने गए		
	संदिग्ध माने गए		
	कमः संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों के लिए प्रावधान	115392294	83928083
ii)	अन्य (अच्छे माने गए)	2121287333	1671988950
	d qy	2236679627	1755917033

12 NON CURRENT ASSETS - CAPITAL WORK IN PROGRESS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"
Capital work in progress	6285800	3194300
TOTAL	6285800	3194300

The Capital Work in Progress of Rs. 6285800 (Previous Year Rs. 3194300) includes Rs. 3091500 incurred on ERP implementation.

13 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"
Security Deposit	396078	359078
TOTAL	396078	359078

14 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"
(A)	**Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)**		
	In Current account	97392	526650
	In Fixed deposit account	171189300	157092494
	Interest accrued but not received on fixed deposit	5149749	4960730
	TOTAL(A)	176436441	162579874
(B)	**Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)**		
	In Current account	25000	25000
	In Fixed deposit account	28576708	34061871
	Interest accrued but not received on fixed deposit	1562607	1386241
	TOTAL(B)	30164315	35473112
(C)	**Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)**		
	In Current account	7277534	0
	In Fixed deposit account	200000	0
	Interest accrued but not received on fixed deposit	4325	0
	TOTAL(C)	7481859	0
	GRAND TOTAL(A+B+C)	214082615	198052986

The amount of Rs. 7277534 is lying in Trade Facilitation Centre (TFC) TRA a/c. Besides, the Project Management Agency (M/s NBCC) and Corporation has opened an Escrow a/c in joint name, which shall be operated by M/s NBCC as per terms of Memorandum of Agreement entered into between M/s NBCC and corporation. The amount from TFC TRA a/c is transferred by the corporation to Escrow a/c as per the directions of the Ministry. M/s NBCC makes payment to the construction agency/ contractor from the Escrow a/c based on the progress of work. The accounting of Escrow a/c is done by M/s NBCC.

15 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"
(As taken, valued and certified by the management)		
- Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value whichever is less.	14697546	13238103
- Goods in Transit	225900	0
TOTAL	**14923446**	**13238103**

16 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"	
	SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i)	**Over six months**				
	- Considered good	115392294		83928083	
	- Considered doubtful	37178353		34142893	
		152570647		118070976	
	- Less: Provision for doubtful debts	-37178353	115392294	-34142893	83928083
ii)	Others (Considered good)		2121287333		1671988950
	TOTAL		**2236679627**		**1755917033**

i) शेष राशि की पृष्टि एक सतत प्रक्रिया है। मौजदा समीक्षावधि के अंत में बची शेष राशि को सभी व्यापार प्राप्यों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, तथापि पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है:–

fooj.k	dqy		ekStnk leh{kkofèk dk var esa çkIr iqf"V		ekStnk leh{kkofèk dk var esa 'ks"k jkf'k dh iqf"V dh çfr'krrk	
	,tfUl;ksa dh la[;k	cdk;k jkf'k ¼#-esa½	,tfUl;ksa dh la[;k	cdk;k jkf'k ¼#-esa½	,tfUl;ksa dh la[;k ¼%½	cdk;k jkf'k ¼%½
व्यापार स्वीकार योग्य		2273857980	417	1845472432	37.50	81.16

उपर्युक्त पुष्टि की गई शेष राशि में वह राशि शामिल नहीं है जहां किसी प्रकार का विवाद हो परंतु उसमें केवल वह शेष राशि शामिल है जहां दोनों पक्षकारों को अंतर/समाधान के कारण की गई प्रवृष्टियां स्वीकार्य हो। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की यथा समय समीक्षा की जाएगी तथा उसका समाधान किया जाएगा एवं समायोजन, यदि कोई हो, जो इन मामलों में अपेक्षित हो, का यथाशीघ्र समाधान कर दिया जाएगा।

ii) 2273857980/–रु. (पिछले वर्ष 1790059926/–रु.) के व्यापार प्राप्य में 9093140 की राशि (पिछले वर्ष 9515207/–रु.) की राशि शामिल हैं जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापार प्राप्य में फैब्रिक की आपूर्ति की बदले 19016347/–रु. (पिछले वर्ष 20097431/–रु.) की प्राप्य राशि शामिल है जिसमें निगम का लेनदारों से प्राप्त की जाने वाली शामिल है जो उगाही किए जाने के पश्चात ही देय होगा। कपड़ा लेनदारों के पास 21011474/–रु. (पिछले वर्ष 21839219/–रु.) की राशि है। व्यापार प्राप्य में 80834041/–रु. (पिछले वर्ष 72385277/–रु.) की राशि भी शामिल है जिसमें समग्र निधि (क्लस्टर विकास) के रूप में निगम द्वारा प्राप्त परिक्रामी अग्रिम के बदले आपूर्ति की गई है।

iii) संदिग्ध व्यापार प्राप्यों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रु. में)

fooj.k	iwoZorhZ leh{kkèkhu vofèk dk var esa 'ks"k jkf'k	o"kZ dk nkSjku of)	dqy	mxkgh@lek;k-ftr dh xbZ jkf'k	o"kZ dk nkSjku cêk [kkrs esa Mkyh xbZ jkf'k	ekStnk leh{kkèkhu vofèk dk var esa 'ks"k jkf'k
संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	34142893	3595711	37738604	560251	0	37178353

17 ekStnk ifjlEifÙk;k & udn vkj udn led{k

	ekStnk leh{kkèkhu vofèk dk var esa vkadM+s ¼#-esa½	iwoZorhZ leh{kkèkhu vofèk dk var esa vkadM+s ¼#-esa½
अनुसूचित बैंक के पास बकाया	381690033	231572072
गैर अनुसूचित बैंक के साथ बकाया	247210	10556
हस्त नकदी तथा टिकटें	0	45009
12 माह तक बैंक जमा राशि	828078259	173156299
12 माह से अधिक बैंक जमा राशि	–	–
dqy	1210015502	404783936

18 ekStnk ifjlEifÙk;k & vYikofèk _.k vkj vfxe

		ekStnk leh{kkèkhu vofèk dk var esa vkadM+s ¼#-esa½		iwoZorhZ leh{kkèkhu vofèk dk var esa vkadM+s ¼#-esa½	
(i)	सुरक्षित ऋण (अच्छे समझे गए)				
	– वाहन ऋण के खिलाफ कर्मचारियों को				
	वाहनों को गिरवी के बदले कर्मचारियों को दिया गया वाहन ऋण		1016124		203052
(ii)	अग्रिम (असुरक्षित)				
	(नकद अथवा उसके रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली की जाने वाली राशि)				
	– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
	– अच्छे समझे गए	3262412		3232712	
	– संदिग्ध समझे गए	1572915		1604717	
		4835327		4837429	
	– कमी: संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	–1572915	3262412	–1604717	3232712
(iii)	कर्मचारियों को अग्रिम				
	अच्छे समझे गए	994865		1154637	
	संदिग्ध समझे गए	126274		126274	
		1121139		1280911	
	कमी संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	–126274	994865	–126274	1154637
(iv)	दूसरों के लिए अग्रिम				
	अच्छे समझे गए	29944618		18812588	
	संदिग्ध समझे गए	135151		135151	
		30079769		18947739	
	कमी संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	–135151	29944618	–135151	18812588
(v)	पूर्वदत्त व्यय		611223		584819

i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as at the end of current reporting period		% of Confirmation of balances as at the end of current reporting period	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs.)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1112	2273857980	417	1845472432	37.50	81.16

The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.

ii) Trade Receivables for Rs. 2273857980 (Previous year Rs.1790059926) include a sum of Rs.9093140 (Previous year: Rs.9515207) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs. 19016347 (Previous year Rs. 20097431) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs.21011474 (Previous year Rs. 21839219). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 80834041 (Previous year Rs. 72385277) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

iii) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs.)

Particulars	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as at the end of current reporting period
Provision for doubtful Trade Receivables.	34142893	3595711	37738604	560251	0	37178353

17 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

	Figures as at the end of current reporting period (Rs.)	"Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)"
Balances with scheduled bank	381690033	231572072
Balances with non- scheduled bank	247210	10556
Cash and stamps in Hand	0	45009
Bank deposits upto 12 month	828078259	173156299
Bank deposit exceeding 12 month	-	-
TOTAL	**1210015502**	**404783936**

18 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

		Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)	
(i)	Secured loans (considered good)				
	- Vehicle loan to staff against				
	hypothecation of vehicles		1016124		203052
(ii)	Advances (Unsecured)				
	(Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
	- Advance to suppliers				
	- Considered good	3262412		3232712	
	- Considered doubtful	1572915		1604717	
		4835327		4837429	
	- Less: Provision for doubtful advances	-1572915	3262412	-1604717	3232712
(iii)	Advance to staff				
	- Considered good	994865		1154637	
	- Considered doubtful	126274		126274	
		1121139		1280911	
	- Less: Provision for doubtful advances	-126274	994865	-126274	1154637
(iv)	Advance to others				
	- Considered good	29944618		18812588	
	- Considered doubtful	135151		135151	
		30079769		18947739	
	- Less: Provision for doubtful advances	-135151	29944618	-135151	18812588
(v)	Prepaid expenses		611223		584819

(vi)	स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		117638537		115000000
(vii)	जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे गए)				
	– सरकारी विभागों के साथ		–		–
	परिसरों / दूसरों के किराए के लिए				
	अच्छे समझे गए	1157936		892192	
	संदिग्ध समझे गए	86130		86130	
		1244066		978322	
	कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	–86130	1157936	–86130	892192
(viii)	प्राप्तियां				
	– भारत सरकार से				
	सहायता अनुदान के बदले		481928042		1474192533
	प्राप्य दावें		4024761		5025310
	विपणन परिसर/अन्य के लिए बकाया राशि				
	अच्छे समझे गए	4311017		4293115	
	संदिग्ध समझे गए	1664418		1664419	
		5975435		5957534	
	कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	–1664418	4311017	–1664419	4293115
(ix)	उपयोगकर्ता एजेंसियों से बकाया ब्याज				
	आस्थगित अर्जित ब्याज				
	अच्छे समझे गए	–		–	
	संदिग्ध समझे गए	17934694		17934694	
		17934694		17934694	
	कमीः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	–17934694	0	–17934694	0
	dqy		644889535		1623390958

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः –

(रु. में)

fooj.k	iwoZorÊ lehf{kkèkhu vofèk ds var esa 'ks"k jkf'k	o"kZ ds nkS-jku of)	dqy	mxkgh@lek;kftr dh xbZ jkf'k	o"kZ ds nkSjku cêas [kkrs esa Mkyh xbZ jkf'k	ekStwnk lehf{kkèkhu vofèk ds var esa 'ks"k jkf'k
क) आपूर्तिकर्ताओं के लिए संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	1604717	0	1604717	31802	0	1572915
ख) कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	126274	0	126274	0	0	126274
ग) अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	135151	0	135151	0	0	135151
घ) संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	86130	0	86130	0	0	86130
ड.) संदिग्ध प्राप्तियों के लिए प्रावधान	1664419	0	1664419	0	0	1664419
च) संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान	17934694	0	17934694	0	0	17934694
	21551385	0	21551385	31802	0	21519583

ii) अन्य को अग्रिम राशि के अंतर्गत निगम के गेज्युटी कोष के लिए एलआईसी में अग्रिम के लिए रखी हुए 8790755/–रु. (पिछले वर्ष 10023165/–रु.) की राशि शामिल है।

iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम की 4835327/–रु. (पिछले वर्ष 4837429/–रु.) की राशि के अंतर्गत 726947/–रु. (पिछले वर्ष 726947/–रु.)की राशि शामिल है जिसके लिए निगम ने उपयुक्त न्यायालयों में मुकदमा दायर किया गया है।

iv) निदेशकों को दी जाने वाली ऋण एवं अग्रिम राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। वर्ष के दौरान किसी भी समय निर्देशकों से प्राप्त की जाने वाली अधिकतम राशि 627439/–रु. (पिछले वर्ष 532167/–) है जोकि यात्रा संबंधी बिलों की अग्रिम राशि से संबंधित है।

v) आयोजनों के संबंध में भारत सरकार से सहायता अनुदान के बदले प्राप्त की जाने वाली राशि में 19757418/–रु. (पिछले वर्ष 4590210/–रु.) की शामिल हैं जिसमें से समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार के समझ दावे प्रस्तुत किए जाने है। उपयुक्त राशि में 16840500/–रु. (पिछले वर्ष 1649891/–रु.) की शामिल है जिसमें से कोई जीओ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

vi) 4042661/–रु. (पिछले वर्ष 5025310/–रु.) की दावा प्राप्तियों में 4024761/–रु; (पिछले वर्ष 4024761/–रु.) की राशि शामिल है, जो आयकर प्राधिकारियों द्वारा वापस किए जाने हेतु देय है जिसमें पूर्व वर्षों से संबंधित मांग के आधार पर किए जा रहे विरोध के अंतर्गत निगम द्वारा जमा की गई बड़ी राशि शामिल है।

vii)उपर्युक्त 17934694 /–रु. (पिछले वर्ष 17934694/–रु.) के आस्थगित प्रोद्भूत ब्याज के संबंध में निगम द्वारा उपयुक्त न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

(vi)	Advance income tax including tax deducted at source		117638537		115000000
(vii)	DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
	- With Government departments		-		-
	- For rent of complexes/ others				
	- Considered good	1157936		892192	
	- Considered doubtful	86130		86130	
		1244066		978322	
	- Less: Provision for doubtful deposits	-86130	1157936	-86130	892192
(viii)	RECEIVABLES				
	- From the Government of India				
	against grant-in-aid		481928042		1474192533
	- Claims receivable		4024761		5025310
	- Outstanding against marketing complex/ others				
	- Considered good	4311017		4293115	
	- Considered doubtful	1664418		1664419	
		5975435		5957534	
	- Less: Provision for doubtful receivables	-1664418	4311017	-1664419	4293115
(ix)	Interest outstanding from user Agencies				
	Deferred accrued Interest				
	- Considered good	-		-	
	- Considered doubtful	17934694		17934694	
		17934694		17934694	
	- Less: Provision for doubtful interest	-17934694	0	-17934694	0
	TOTAL		644889535		1623390958

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs.)

Particulars	Balance as at the end of previous reporting period	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as at the end of current reporting period
a) Provision for doubtful advances to suppliers."	1604717	0	1604717	31802	0	1572915
b) Provision for doubtful advances to staff.	126274	0	126274	0	0	126274
c) Provision for doubtful advances to others.	135151	0	135151	0	0	135151
d) Provision for doubtful deposits.	86130	0	86130	0	0	86130
e) Provision for doubtful receivables.	1664419	0	1664419	0	0	1664419
f) Provision for doubtful deferred accrued interest."	17934694	0	17934694	0	0	17934694
Total	**21551385**	**0**	**21551385**	**31802**	**0**	**21519583**

ii) Advance to Others include an amount of Rs. 8790755 (Previous Year Rs. 10023165) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.

iii) Advances to suppliers of Rs. 4835327 (Previous year Rs.4837429) include a sum of Rs. 726947 (Previous year Rs.726947) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.

iv) Loans and advances to Directors is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil). Maximum amount due from directors at any time during the year was Rs. 627439 (Previous year Rs. 532167) being advance against Travelling bills.

v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs.19757418 (Previous year Rs.4590210) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government as at the end of current reporting period. The above amount includes Rs.16840500 (Previous year Rs.1649891) wherein no GO has yet been received.

vi) Claims receivables Rs. 4042661 (Previous year Rs.5025310) includes Rs. 4024761 (Previous year Rs.4024761), which is due to be refunded by the income tax authorities, wherein, the major amount has been deposited by the corporation under protest based on the demand for earlier years.

vii) In respect of Deferred accrued interest for Rs. 17934694 (Previous year Rs.17934694) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

19 ekStnk ifjlEifRr;k & vU; ekStnk ifjlEifRr;k

		ekStnk lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½		iwoZorÊ lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	
क)	अर्जित ब्याज लेकिन अप्राप्त		30381638		5103994
ख)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा निधि				
	चिकित्सा निधि के बदले एफडीआर	3470004		3180930	
	चिकित्सा निधि पर प्रोद्भूत ब्याज	113558		119146	
	अनुसूचित बैंक में मौजूदा खाते में शेष राशि	3613937	7197499	608270	3908346
	dqy ¼d$[k½		37579137		9012340

20 ifjpkyu dk ls jktLo

		ekStnk lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½		iwoZorÊ lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	
¼d½	çkfIr;k ?kVk fcØh				
	सूत – सूत आपूर्ति स्कीम	24496161206		22634585690	
	कमी रू हैंक यॉर्न पर 10% सब्सिडी	–927510828	23568650378	–1026834928	21607750762
	सामान्य स्कीम		43321169		65239848
	डाई एवं केमिकल्स		448429646		494787034
	फैब्रिक्स		41791		1852684
	dqy ¼d½		24060442984		22169630328
¼[k½	lw= vkiwfrZ Ldhe d vrxZr 0;; dh çfrifrZ d cnys lgk;rk vuqnku		1247679526		1090799607
	हैंक यार्न पर 10% सब्सिडी		927510828		1026834928
	सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत 10% यार्न सब्सिडी घटक के बदले सेवा प्रभार		46375543		51341687
	dqy ¼[k½		2221565897		2168976222
	dqy ¼d$[k½		26282008881		24338606550

i) सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत व्यय प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान की राशि 2221565897/–रु. (पिछले वर्ष 2168976222/–रु.) है जोकि सूत की आपूर्ति के लिए है तथा जिसे प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित कर दिया गया है जिसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत करने के लिए कुल 355528221/–रु. (पिछले वर्ष 739941016/–रु.) के दावे की राशि लंबित है।

21 vU; vk;

	ekStnk lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	iwoZorÊ lehf{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1147	115222
विविध प्राप्ति/निविदा शुल्क	1572164	2167290
प्राप्त डिपो प्रभार	3324846	0
बैंक/वाहन ऋण/दूसरों से ब्याज	52497966	32219107
नकद छूट/कमीशन	502438	619371
अतिदेय बिल पर पक्षकारों से प्राप्त ब्याज	4428907	3690302
वापस लिखी गई देयताएं/अतिरिक्त प्रावधान	1469905	624579
वापस लिखी गई ग्रेच्युटी देयता के लिए अतिरिक्त प्रावधान	0	10023165
ऐसे प्रावधान जिन्हें वापस लिखा जाना आवश्यक नहीं	4057813	16231485
कुल	67855186	65690521

पिछले वर्ष के दौरान वेतन तथा महंगाई भत्ते में औसत वृद्धि पर विचार कर हुए बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजन से वेतन वृद्धि दर संबंधी धारणा को 18% से घटाकर 16% कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी देयता तथा छुट्टी वेतन नकदीकरण के लिए क्रमशरू 10023165/–रु. एवं 13916568/–रु. के अतिरिक्त प्रावधान को पूर्व वर्ष के दौरान वापस ले लिया गया था।

19 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

			Figures as at the end of current reporting period (Rs.)		Figures as at the end of previous reporting period (Rs.)
A)	Interest accrued but not received		30381638		5103994
B)	Post Retirement Medical Corpus				
	-FDR against Medical Corpus	3470004		3180930	
	-Accrued Interest on Medical Corpus	113558		119146	
	" -Balance with Scheduled Bank in Current Account"	3613937	7197499	608270	3908346
	TOTAL (A+B)		**37579137**		**9012340**

20 REVENUE FROM OPERATIONS

			Figures for the current reporting period (Rs.)		Figures for the previous reporting period (Rs.)
(a)	Sales less returns				
	-Yarn - Yarn Supply Scheme	24496161206		22634585690	
	Less: 10% subsidy on Hank yarn	-927510828	23568650378	-1026834928	21607750762
	General Scheme		43321169		65239848
	-Dyes & chemicals		448429646		494787034
	-Fabrics		41791		1852684
	Total (a)		**24060442984**		**22169630328**
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of				
	expenditure under Yarn Supply Scheme		1247679526		1090799607
	10% Subsidy on Hank yarn		927510828		1026834928
	Service charges against 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme		46375543		51341687
	Total (b)		**2221565897**		**2168976222**
	TOTAL (a+b)		**26282008881**		**24338606550**

i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 2221565897 (Previous year Rs. 2168976222) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs. 355528221 (Previous year Rs.739941016) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

21 OTHER INCOME

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Profit on sale of assets	1147	115222
Miscellaneous receipt/ tender Fees	1572164	2167290
Depot charges received	3324846	0
Interest from bank/ vehicle loan/ others	52497966	32219107
Cash discount/ commission	502438	619371
Interest received from parties on overdue bills	4428907	3690302
Liabilities/ excess provisions written back	1469905	624579
Excess Provision for Gratuity liability written back	0	10023165
Provision no longer required written back	4057813	16231485
TOTAL	**67855186**	**65690521**

During the previous year, considering the average rise in salary and D.A., the assumption for salary escalation rate for the purpose of Actuarial Valuation was reduced from 18% to 16%. As a result of which excess provision against Gratuity liability and Leave Salary Encashment amounting to Rs.10023165 and Rs. 13916568 respectively was written back during the previous year.

22 0;kikfjd LV,d dh [kjhn

	ek t nk l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	iwoorÊ l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½
क्रय घटा प्रापतियां		
–सूत	24540694566	22702185352
–डाई एवं केमिकल्स	416945513	459507534
–फैब्रिक्स	41791	1809958
dy	24957681870	23163502844

2015–16 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से प्राप्त सूत का मूल्य 15240259581/–रुपये (कुल अधिप्राप्त सूत का 62.10:) है जबकि पिछले वर्ष 2014–15 के दौरान यह मूल्य 13210057036 /–रु. (कुल अधिप्राप्त सूत का 58.19:) था।

23 ifjogu@fMik çHkkj

	ek t nk l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	iwoorÊ l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½
परिवहन प्रभार	364620951	287298400
डिपो प्रभार	400694372	354976375
dy	765315323	642274775

सूत आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत सूत की आपूर्ति के लिए 765315323/–रु. (पिछले वर्ष 642,274,775/–रु.) के परिवहन और डिपो प्रभार को प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किया गया है। इसमें से मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए कुल 129474822/–रु. (पिछले वर्ष 222062791/–रु.) का दावा लंबित है। उपयोगकर्ता एजेंसियों को देय परिवहन और डिपो के प्रभारों के लिए स्कीम के अनुसार प्रावधान बनाए गए हैं।

24 çfØ;kèkhu rS;kj eky dh lwph esa ifjorZu vkSj 0;kikfjd LV,d

(लाख रु. में)

	iwoorÊ l eh{kkèkhu vofèk dk çkjfEHkd LV,d	ek t nk l eh{kkèkhu vofèk dk lekiu LVkd	of) ¼&½@ dVkrh¼$½
–सूत	6959585	9255135	–2295550
–डाई एवं केमिकल्स	6278518	5442411	836107
–फैब्रिक्स	0	0	0
dy	13238103	14697546	&1459443
	fnukad 01-04-2014 dk çkjfEHkd LV,d	fnukad 31-03-2015 dk lekiu LV,d	of) ¼&½@ dVkrh¼$½
–सूत	3072074	6959585	–3887511
–डाई एवं केमिकल्स	6082447	6278518	–196071
–फैब्रिक्स	0	0	0
dy	9154521	13238103	&4083582

25 deZpkjh ykHk lcaèkh 0;;

		ek t nk l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½	iwoorÊ l eh{kkèkhu vofèk d vr e vkdM ¼#-e½
a)	osru ,o etnjh		
	वेतन और भत्ते	113542312	105190960
	वेतन और भत्ते (प्रबंध निदेशक)	2135942	1799006
	प्रोद्भूत छुट्टी के लिए प्रावधान सहित छुट्टी नकदीकरण (एमडी के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	15701957	0
	अनुग्रह राशि (एमडी के लिए 304213/–रु. शामिल है – पूर्व वर्ष 278518 रु.)	16590000	15640000
	बच्चों की शिक्षा राशि की प्रतिपूर्ति (एमडी के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	358914	359002
	वाहन प्रतिपूर्ति	1731228	1515147
	भर्ती व्यय	1506277	1068829
	अवकाश यात्रा रियायत/ नकदीकरण (एमडी के लिए शून्य रु. शामिल है – पूर्व वर्ष शून्य रु.)	979313	461303
	चिकित्सा व्यय (एमडी के लिए 22562/–रु. शामिल है – पूर्व वर्ष 18955 रुपये	7355221	6992025
	कर्मियों को प्रशिक्षण	699713	860828
	mi dy ¼d½	160600877	133887100
b)	ih,Q vkSj vU; dks"k esa va'knku		
	सीपीएफ एवं एफपीएफ /ईडीएलआई स्कीम के लिए नियोक्ता अंशदान (एमडी के लिए 235307/–रु. शामिल है – पिछले वर्ष 215882/–रु.)	13414116	13300951
	ग्रेच्युटी	1232410	0

22 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Purchases less returns		
-Yarn	24540694566	22702185352
-Dyes & chemicals	416945513	459507534
-Fabrics	41791	1809958
TOTAL	**24957681870**	**23163502844**

The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ ST entrepreneurs) during the year 2015-16 is Rs.15240259581 (62.10% of total yarn procured) as against Rs. 13210057036 (58.19% of total yarn procured) during the previous year 2014-15.

23 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Transportation Charges	364620951	287298400
Depot Charges	400694372	354976375
TOTAL	**765315323**	**642274775**

Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme amounting to Rs. 765315323 (Previous year Rs. 642274775) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs. 129474822 (Previous year Rs.222062791) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

24 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

(Rs.)

	OPENING STOCK as at the end of previous reporting period	CLOSING STOCK as at the end of current reporting period	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	6959585	9255135	-2295550
DYES & CHEMICALS	6278518	5442411	836107
FABRICS	0	0	0
TOTAL	13238103	14697546	-1459443
	OPENING STOCK ON 1.4.2014	**CLOSING ON 31.3.2015**	**INCREASE (-)/ DECREASE (+)**
YARN	3072074	6959585	-3887511
DYES & CHEMICALS	6082447	6278518	-196071
FABRICS	0	0	0
TOTAL	**9154521**	**13238103**	**-4083582**

25 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

		Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
a)	**Salary & Wages**		
	Salary and allowances	113542312	105190960
	Salary and allowances (Managing Director)	2135942	1799006
	Leave encashment-Including provision for accrued leave (includes Rs. Nil for MD -Previous year Rs.Nil)	15701957	0
	Ex-Gratia (Includes Rs. 304213 for MD - Previous year Rs.278518)	16590000	15640000
	Children education reimbursement (includes	358914	359002
	Rs.NIL for MD - Previous year Rs.NIL)		
	Conveyance reimbursement	1731228	1515147
	Recruitment Expenses	1506277	1068829
	Leave travel concession/encashment (Includes Rs.Nil for MD - Previous year Rs. Nil)	979313	461303
	Medical expenses (Includes Rs.22562 for MD- Previous year Rs 18955)	7355221	6992025
	Training to personnel	699713	860828
	Sub Total (a)	**160600877**	**133887100**
b)	**Contribution to PF & other Fund**		
	Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme (Includes Rs. 235307 for MD - Previous year Rs.215882)	13414116	13300951
	Gratuity	1232410	0

	mi dqy ¼[k½	14646526	13300951
c)	deZpkjh dY;k.k [kpZ		
	कर्मचारी कल्याण खर्च (मानदेय, इनाम वर्दी और वर्दी सहित)	3790613	3055064
	समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और उपदान बीमा	206547	278660
	मृतक कर्मचारी स्कीम के लिए भुगतान	1440400	1410200
	mi dqy ¼x½	5437560	4743924
	dqy ¼d$[k$x½	180684963	151931975

क) लेखांकन मानक –15 कर्मचारी लाभ के अनुसार लेखांकन मानक में यथापरिभाषित कर्मचारी लाभ का खुलासा नीचे दिए गया है:–
परिभाषित योगदान योजना

उक्त वर्ष के लिए खर्च के रूप में मान्यता प्राप्त परिभाषित योगदान योजना के लिए किया जाने वाला योगदान निम्नानुसार है:–

	ekStnk lekIr gksus okys o"kZ dk vkadM+k ¼#-eas½	iwoZorhZ lekIr gksus okys o"kZ dk vkadM+k ¼#-eas½
सीपीएफ/ईपीएफ एवं ईडीएलआई स्कीमों के लिए नियोक्ता का योगदान	13414116	13300951

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत निगम के भविष्य निधि को छूट प्रदान की गई है। छूट की शर्तों में यह उल्लेख है कि नियोक्ता ऐसी स्थिति में ब्याज दर में कटौती करेगा जब सांविधिक दर के बदले न्यास द्वारा घोषित ब्याज दर में किसी प्रकार का अंतर हो।

ख) पिछले वर्ष के दौरान वेतन और महंगाई भत्ते में औसत वृद्धि पर विचार करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए वेतन वृद्धि दर संबंधी धारणा को 18: से घटाकर 16: कर दिया गया था इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी दायित्व तथा छुट्टी वेतन नकदीकरण के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान को वापस किया गया था और पूर्व वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया था।

ग) वर्ष 2015–16 के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:–

(रु. में)

Ø-l-	ikfjJfed dk fooj.k	eq[; çca/kdh; dkfeZd			
		,eMh	bMh ¼foÙk½	Mh th,e ¼,Q,aM ,½ rFkk daiuh lfpo	dqy
01.	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	2358549	692441	1498671	4549661
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	55867	5120	11800	72787
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के बदले लाभ	0	0	0	0
02.	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
03.	उद्यम इक्विटी	0	0	0	0
04.	आयोग				
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	0	0	0	0
	अन्य, उल्लेख करें...............	0	0	0	0
05.	अन्य, कृपया विस्तृत विवरण दे............	0	0	0	0
	कुल	2414416	697561	1510471	4622448

ईडी (वित्त) ने दिनांक 19.10.2015 को निगम में कार्यभार ग्रहण किया था।

26 foÙr ykxr

	ekStnk lekIr gksus okys o"kZ dk fy, vkadM+k ¼#-eas½	iwoZorhZ lekIr gksus okys o"kZ dk fy, vkadM+k ¼#-eas½
बैंक/अन्य को ब्याज	0	0
अन्य उधार लागत	0	0
dqy	0	0

27 vU; O;;

		ekStnk lekIr gksus okys o"kZ dk fy, vkadM+k ¼#-eas½	iwoZorhZ lekIr gksus okys o"kZ dk fy, vkadM+k ¼#-eas½
(a)	प्रशासनिक व्यय		
	यात्रा व्यय (एमडी के लिए 4050147 /–रु. सहित – पिछले वर्ष 4114393/–रु.)	15820933	14093127
	लेखा परीक्षकों को भुगतान	300070	218382
	बोर्ड की बैठक के खर्च	0	0
	पुस्तकें व पत्रिकाएं	130691	123194
	वाहन खर्चे	5578519	3696079

	Sub Total (b)	**14646526**	**13300951**
c)	**Staff Welfare expenses**		
	Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	3790613	3055064
	Group personal accident and Gratuity insurance	206547	278660
	Payment to Deceased Employee Scheme	1440400	1410200
	Sub Total (c)	**5437560**	**4743924**
	Total (a+b+c)	**180684963**	**151931975**

a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Employer's contribution to CPF/ FPF & EDLI Schemes.	13414116	13300951

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) During the previous year, considering the average rise in salary and D.A., the assumption for salary escalation rate for the purpose of Actuarial Valuation was reduced from 18% to 16%. As a result of which excess provision against Gratuity liability and Leave Salary Encashment was written back and no further provision was made during the previous year.

c) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2015-16 is as below:-

(In Rs.)

Sl No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD	ED (FINANCE)	DGM (F&A) and Company Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	2358549	692441	1498671	4549661
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961	55867	5120	11800	72787
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961	0	0	0	0
02.	Stock Option	0	0	0	0
03.	Sweat Equity	0	0	0	0
04.	Commission				
	- as % of Profit	0	0	0	0
	- others, specify...........	0	0	0	0
05.	Others, please specify............	0	0	0	0
	TOTAL	**2414416**	**697561**	**1510471**	**4622448**

ED (Finance) joined the corporation w.e.f 19.10.2015.

26 FINANCE COSTS

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Interest to bank/ others	0	0
Other Borrowing cost	0	0
Total	**0**	**0**

27 OTHER EXPENSES

		Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
(a)	**ADMINISTRATIVE EXPENSES**		
	Travelling expenses (Including Rs. 4050147 for MD - Previous year Rs.4114393)	15820933	14093127
	Payment to auditors	300070	218382
	Board meeting expenses	0	0
	Books & periodicals	130691	123194
	Conveyance expenses	5578519	3696079

	बिजली / पानी का खर्च	2799003	2364473
	बीमा	141373	195625
	कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	2818202	1984522
	सदस्यता शुल्क और अंशदान	265291	52168
	कार्यालय रखरखाव	1741493	2257842
	छपाई और स्टेशनरी	2712654	2771357
	डाक/तार/टेलीफोन और टेलेक्स	4565962	4028361
	किराया, दरें और कर (निवल वसूली) (एमडी के लिए आवासीय आवासीय सुविधा हेतु 21000/–रु. का लीज रेंट शामिल है – पिछले वर्ष 252000/–रु.)	4807092	4232404
	मरम्मत एवं रखरखाव	1477300	2521766
	सेवा वाहन खर्चे	785608	999925
	सुरक्षा खर्चे	3968454	1911947
	विविध व्यय	1266	30246
	कुल (क)	47913911	41481418
i)	y[kk ijh{kdk dk fd;k x;k Hkxrku fuEukuqlkj gS: &		
	लेखा परीक्षा शुल्क	125000	101500
	अन्य क्षमता	139865	104143
	यात्रा व्यय	35205	12739
	कुल	300070	218382
(b)	0;kikj		
	विज्ञापन और प्रचार	3247269	685295
	व्यापार संवर्धन	127252	441773
	डिस्काउंट, कमीशन और छूट	3472865	3809630
	बैंक प्रभार	122388	75918
	माल ढुलाई और अन्य प्रभार	274669	486619
	बैठक खर्च	2776249	1713537
	निविदा शुल्क	0	2100
	विक्री कर	0	0
	माल पर ट्रांजिट बीमा	233863	283118
	सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन / रखरखाव का खर्च	3946059	478336
	डाटा प्रविष्टि प्रभार	1250936	829075
	dqy ¼[k½	15451550	8805401
	dqy ¼d$[k½	63365461	50286819

28 vlkèkkj.k en

		ekStwnk lehf{kkèkhu vofèk dh fy, vkdM ¼#-e½	iwoZorhZ lehf{kkèkhu vofèk dh fy, vkdM ¼#-e½
क)	प्रावधान, बट्टा खाता आदि		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	32414	37242
	परिसंपत्तियों के नुकसान पर हानि	–	–
	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	3595711	2531347
	आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0	0
	उप कुल	3628125	2568589
ख)	पूर्व अवधि समायोजन	–537405	–509751
ग)	वीआरएस क्षतिपूर्ति	0	0
	कुल (क+ख+ग)	3090720	2058838

537405 रुपये के लिए पूर्व वर्ष के समायोजन (निवल) – जमा राशि (पूर्व वर्ष 509,751 /–रु. जमा राशि) का ब्यौरा निम्नानुसार है: –

	Electricity/water charges	2799003	2364473
	Insurance	141373	195625
	Legal & professional charges	2818202	1984522
	Membership fees & subscription	265291	52168
	Office upkeep	1741493	2257842
	Printing & stationery	2712654	2771357
	Postage/telegram/telephone & telex	4565962	4028361
	Rent, rates & taxes (net of recoveries) (includes lease rent for residential accommodation of MD Rs. 21000 - Previous year Rs. 252000)	4807092	4232404
	Repair & maintenance	1477300	2521766
	Service vehicle expenses	785608	999925
	Security expenses	3968454	1911947
	Miscellaneous expenses	1266	30246
	TOTAL (a)	**47913911**	**41481418**
i)	**Payment made to auditors is as below:-**		
	Audit Fee	125000	101500
	Other Capacity	139865	104143
	Travelling Exp.	35205	12739
	TOTAL	**300070**	**218382**
(b)	**TRADE**		
	Advertisement & publicity	3247269	685295
	Business promotion	127252	441773
	Discount, commission & rebate	3472865	3809630
	Bank charges	122388	75918
	Freight & other charges	274669	486619
	Meeting expenses	2776249	1713537
	Tender fees	0	2100
	Sales tax	0	0
	Transit Insurance on goods	233863	283118
	Software implementation/ maintenance expenses	3946059	478336
	Data entry charges	1250936	829075
	TOTAL (b)	**15451550**	**8805401**
	TOTAL (a+b)	**63365461**	**50286819**

28 EXCEPTIONAL ITEMS

		Figures for the current reporting period (Rs.)	**Figures for the previous reporting period (Rs.)**
a)	PROVISION, WRITE OFF ETC.		
	Loss on sale of assets	32414	37242
	Loss on impairment of assets	-	-
	Provision for doubtful debtors	3595711	2531347
	Provision for doubtful advances to supplier	0	0
	Sub Total	**3628125**	**2568589**
b)	Prior Period Adjustments	-537405	-509751
c)	VRS Compensation	0	0
	Total (a+b+c)	**3090720**	**2058838**

Details of Prior Year Adjustments (Net) for Rs. 537405-Credit (Previous year Rs. 509751-Credit) are as under:-

(रु. में)

fooj.k	tek jkf'k
प्राप्त डिपो प्रभार	537405
कुल	537405

29 dkjikjsV lkekftd mRrjnkf;Ro ¼lh,lvkj½ 0;;

	ekpZ 31] 2016 dks lekIr o"kZ ds vuqlkj	ekpZ 31] 2015 dks lekIr o"kZ ds vuqlkj
कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय	7396129	7419789
कुल	7396129	7419789

वर्ष 2015–16 के दौरान शुरू किए गए सीएसआर कार्यकलाप का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर कार्यकलाप पर व्यय की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि 4487838
2. वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय की गई राशि 7396129

(रुपए में)

	ekStwnk o"kZ dh nkSjku vnk dh xbZ jkf'k	og jkf'k ftldk vHkh Hkqxrku fd;k tkuk gS	dqy
क) वर्ष के दौरान शौचालयों के निर्माण तथा गांवों के विकास पर खर्च की गई राशि	4515594	990535	5506129
ख) बैटरी से जुड़े इन्वर्टरों तथा लाइटिंग इकाईयों का बीपीएल बुनकरों में वितरण करने पर खर्च की गई राशि		1890000	1890000
कुल	4515594	2880535	7396129

30 dj 0;; & ekStwnk dj ¼çkoèkku½

	ekpZ 31] 2016 dks lekIr o"kZ ds vuqlkj	ekpZ 31] 2015 dks lekIr o"kZ ds vuqlkj
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	134515000	125100000
पूर्व वर्ष के लिए आयकर	0	0
कुल	134515000	125100000

वर्ष के दौरान लेखाओं में 134515000/–रु. (पिछले वर्ष 125100000/–रु.) के आयकर का प्रावधान किया गया है:–

31 vU; fVIif.k;k

1 आकस्मिक देनदारियों और प्रतिबद्धताओं रू–

(क) आकस्मिक देयताएं:–

(ख) बिक्री कर– 29231099/–रु. (पिछले वर्ष 29161038/–रु.)

(i) आयकर विभाग, महाराष्ट्र ने सीएसटी अधिनियम की धारा 6 (2) के अंतर्गत ट्रांजिट बिक्री की छूट का अननुमोदन करते हुए वित्त वर्ष 2006–07 के लिए 11220365/–रु. (5747016/–रु. के ब्याज सहित) तथा वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 2422296/–रु. (1180093/–रु. के ब्याज सहित) की मांग करते हुए डाइज एंड केमिकल्स कार्यालय, मुंबई के संबंध में एक निर्धारण आदेश पारित किया है। निगम ने 3 वित्त वर्षों के लिए एक अपील दायर की है जिसे वित्त वर्ष 2006–07 के लिए 1500000/–रु. और वित्त वर्ष 2007–08 के लिए 375000/–रु. के आंशिक भुगतान के संबंध में निर्णय सुनाने हेतु दाखिल कर लिया गया है।

(ii) वित्त वर्ष 2011–12 और वित्त वर्ष 2012–13 के लिए आयकर विभाग, चेन्नई द्वारा 5388000/–रु. (पिछले वर्ष 5388000/–रु.) की मांग की गई है जिस पर माननीय मद्रास उच्च न्यायलय से स्टे ले लिया गया है।

(iii) वर्ष 2009–10 के लिए सकल कारोबार में भाड़ा प्रतिपूर्ति के बदले सहायता अनुदान को जोड़ते हुए आयकर विभाग, हरियाणा ने दिनांक 16 जून, 2015 को संशोधन आदेश जारी करते हुए 4564236/–रु. (पिछले वर्ष 4564236/–रु.) के ब्याज सहित 10130377/–रु. (पिछले वर्ष 10130377/–रु.) की मांग की थी। निगम ने हरियाणा वैट अधिकरण में उक्त संशोधन आदेश के खिलाफ अपील दायर की है।

(iv) निर्धारण वर्ष 2009–10 के संशोधन आदेश के अंतर्गत दिनांक 07.07.2015 को बिक्री कर विभाग, हरियाणा द्वारा 70,061/–रु. की मांग संबंधी नोटिस जारी किया गया था।

(ख) निगम के संबंध में दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावा की गई बकाया राशि पर ब्याज 293000/–रु. (पिछले वर्ष 293000/–रु.) है

(ii) कंपनी के खिलाफ न्यायिक मामले – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

(iii) मैसर्स यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटी – 200000/–रु. (पिछले वर्ष 2000000/–रु.).

(iv) बिक्री कर विभाग, हरियाणा के पक्ष में बैंक गारंटी 10130377/–रु. (पिछले वर्ष 10130377/–रु.) है।

(अ) लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा प्रभार 4577446/–रु. (पिछले वर्ष 4577446/–रु.) है।

(ख) प्रतिबद्धता :–

पूंजी खाते पर कार्यान्वित की जाने वाली शेष प्राक्कलित संविदात्मक राशि 12331720/–रु. (पिछले वर्ष 33220/–रु.) है।

2 चूंकि सबंधित बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा कर राशि का पता नहीं लगा पाने के कारण निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए केंद्र और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सूत, डाई और रसायन एवं कपड़ा के संबंध में बिक्री कर देयता, यदि कोई हो, संबंधी कोई प्रावधान नहीं है।

3 प्रबंध निदेशक को वर्ष के दौरान गैर–आधिकारिक यात्राओं के लिए 325/–रु. प्रति माह के भुगतान पर कंपनी की कार का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

4 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना निम्नानुसार है।

क) निर्माण की लाइसेंसित और अधिष्ठापित क्षमता – लागू नहीं

ख) प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, बिक्री तथा समापन स्टॉक के संबंध में मात्रात्मक सूचना निम्नानुसार है:–

(Rs.)

Particulars	Credit
Depot charges received	537405
Total	**537405**

29 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Expenses on Corporate Social Responsibility	7396129	7419789
Total	**7396129**	**7419789**

The details of CSR activity undertaken during the year 2015-16 is as below:-

1. Gross amount required to be spent on CSR Activity during the F.Y. 2015-16 4487838
2. Amount spent during the F.Y. 2015-16 (as per details below) 7396129

(In Rs.)

	Paid during current year	Yet to be paid	Total
a) Amount spent on construction of toilets and village development during the year	4515594	990535	5506129
b) Amount spent on distribution of Battery Linked Inverters and Lighting Units (BLILUs) to the BPL weavers		1890000	1890000
Total	**4515594**	**2880535**	**7396129**

30 TAX EXPENSES- Current Tax (Provision)

	Figures for the current reporting period (Rs.)	Figures for the previous reporting period (Rs.)
Income Tax for Current year	134515000	125100000
Income Tax for earlier year	0	0
Total	**134515000**	**125100000**

During the year provision for income tax of Rs. 134515000 (Previous year Rs. 125100000) has been made in the accounts.

31 OTHER NOTES

1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-

(A) Contingent Liabilities:-

(a) Sales tax- Rs. 29231099 (Previous year Rs.29161038).

(i) The Trade Tax Department, Maharashtra has passed an Assessment Order in respect of Dyes and Chemicals Office Mumbai, raising a demand of Rs. 11220365 (including interest of Rs. 5747016) for the financial year 2006-07 and Rs. 2422296 (including interest of Rs. 1180093) for the Financial Year 2007-08 by disallowing the exemption of transit sale u/s 6(2) of CST Act. The corporation has filed an appeal against these financial years which has been admitted for final hearing on part payment of Rs. 1500000 against the financial year 2006-07 and Rs. 375000 against the financial year 2007-08.

(ii) Demand for Rs. 5388000 (Previous Year Rs. 5388000) has been raised by the Sales Tax Department Chennai for the financial year 2011-12 and financial year 2012-13, on which a stay has been obtained from Hon'ble Madras High Court.

(iii) Demand for Rs.10130377 (Previous Year Rs. 10130377) including interest for Rs. 4564236 (Previous Year Rs. 4564236) has been raised by the Sales Tax Deptt., Haryana by issuing Revision Order dated 16th June 2015 by adding the Grant-in-aid against freight reimbursement in the Gross Turnover for the year 2009-10. Corporation has filed an appeal against the said revision order in the Haryana VAT Tribunal.

(iv) Notice for demand of Rs.70,061 raised by Sales Tax Department, Haryana on 07.07.2015 under the revision order of AY 2009-10.

(b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.

(i) Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs. 293000 (Previous year Rs.293000)

(ii) Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)

(iii) Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs. 200000 (Previous year Rs.2000000).

(iv) Bank Guarantee in favour of Sales Tax Deptt., Haryana for Rs. 10130377 (Previous Year Rs. 10130377).

(v) Lucknow Development Authority common service charges- Rs. 4577446 (Previous Year 4577446).

(B) Commitment:-

Estimated amount of contract remaining to be executed on capital account is Rs. 12331720 (Previous year Rs.33220).

2 Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.

3 The Managing Director was allowed the use of Company Car during the year for non-duty journeys on payment of Rs.325/- per month.

4 Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

(यूनिट लाख किलो में)
(मूल्य रु. में)

क्र. सं.	विवरण	सूत		डाई एवं रसायन		कपड़ा	
		यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य	यूनिट	मूल्य
1	प्रारंभिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.208	6959585	0.304	6278519		
	– पिछले वर्ष	0.081	3072074	0.339	6082447		
2	क्रय – मौजूदा वर्ष	1727.869	24540694566	37.395	416945513	–	41791
	– पिछले वर्ष	1487.546	22702185352	36.866	459507534	–	1809958
3	बिक्री– मौजूदा वर्षत	1727.814	23611971547	37.461	448429646	–	41791
	– पिछले वर्ष	1487.419	21672990610	36.901	494787034	–	1852684
4	समापन स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.263	9255135	0.238	5442411		
	– पिछले वर्ष	0.208	6959585	0.304	6278518		

ग) (i) रंग एवं रसायन के संबंध में सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) और (ii) कच्चा माल (iii) घटक एवं कलपुर्जों (iv) पूंजीगत सामानों के संबंध में शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

घ) विदेशी मुद्रा में आए – शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

ड.) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय – शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

च) आयातित कच्चे माल, कलपुर्जों तथा उपयोग किए गए घटकों का मूल्य – शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.)

5 एएस –17 अर्थात आईसीएआई द्वारा जारी की गई खंड–वार रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग खंडों के रूप में गतिविधि–वार वित्तीय विवरण जिसमें सूत, डाई एवं रसायन तथा कपडा का विवरण शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(राशि रु. में)

		सूत	डाई एवं रसायन	कपड़ा	कुल
क)	प्राथमिक सूचना				
1	खंड–वार राजस्व	23611971547	448429646	41791	24060442984
2	खंड–वार परिणाम	439268990	11537898	–402015	450404873
3	अनाबंटित ओवरहेडस	–	–	–	–114213363
4	बैंक एवं अन्यों से प्राप्त ब्याज	–	–	–	35874279
5	अन्य आय	–	–	–	5071788
6	अवधि पूर्व समायोजन	–	–	–	0
7	सीएसआर व्यय				–7396129
8	कर पूर्व लाभ	–	–	–	369741448
9	पूर्ववर्ती वर्ष सहित कर संबंधी प्रावधान	–	–	–	–134515000
10	आस्थगित कर	–	–	–	5566226
11	कर पश्चात लाभ	–	–	–	240792674
12	खंड–वार परिसंपत्तियां	2683782284	147561909	18614332	2849958525
13	अबंटनीय कारपोरेट परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्तियों सहित)	–	–	–	1631878314
14	कुल परिसंपत्तियां	–	–	–	4481836839
15	बैंक उधारियों सहित खंड–वार देयताएं	2993767691	55874513	21011474	3070653678
16	अबंटनीय कारपोरेट देयताएं (बैंक उधारियों सहित)	–	–	–	578444430
17	कुल देयताएं	–	–	–	3649098108
18	खंड–वार मूल्य ह्रास	2403448	174337	0	2577785

नोट:– i. खंड–वार राजस्व में अंतर खंड लेनदेन शामिल नहीं है।

ii. खंड–वार परिणाम में बकाया बिलों पर ब्याज/4428907/–रु. का आस्थगित प्रौद्भूत ब्याज शामिल है।

iii. खंड–वार परिणाम में 1469905/–रु. (ऋण) के संबंध में देयताएं/वापस लिखा गया प्रावधान, 537405/–रु. (ऋण) संबंधी पिछले वर्ष का समायोजन तथा 3628125/–रु. (जमा) के लिए प्रावधान तथा उसे बट्टे खाते में डालना आदि शामिल है।

(Unit in Lac Kgs)
(Value in Rs.)

Sl. No.	PARTICULARS	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit	Value	Unit	Value	Unit	Value
1	Opening Stock - Current Year	0.208	6959585	0.304	6278519		
	- Previous Year	0.081	3072074	0.339	6082447		
2	Purchase - Current Year	1727.869	24540694566	37.395	416945513	-	41791
	- Previous Year	1487.546	22702185352	36.866	459507534	-	1809958
3	Sale - Current Year	1727.814	23611971547	37.461	448429646	-	41791
	- Previous Year	1487.419	21672990610	36.901	494787034	-	1852684
4	Closing Stock - Current Year	0.263	9255135	0.238	5442411		
	- Previous Year	0.208	6959585	0.304	6278518		

C) Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).
D) Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs.Nil).
E) Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).
F) Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

5 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabric is as under:-

(Amount in Rs.)

		Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	Primary information				
1	Segment wise Revenue	23611971547	448429646	41791	24060442984
2	Segment wise Results	439268990	11537898	-402015	450404873
3	Unallocated overheads	-	-	-	-114213363
4	Interest from Bank & others	-	-	-	35874279
5	Other Income	-	-	-	5071788
6	Prior period adjustments	-	-	-	0
7	CSR Expenditure		-7396129		
8	Profit before tax	-	-	-	369741448
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	-134515000
10	Deferred tax	-	-	-	5566226
11	Profit after tax	-	-	-	240792674
12	Segment-wise assets	2683782284	147561909	18614332	2849958525
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	1631878314
14	Total Assets	-	-	-	4481836839
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	2993767691	55874513	21011474	3070653678
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	578444430
17	Total liabilities	-	-	-	3649098108
18	Depreciation segment-wise	2403448	174337	0	2577785

Notes:- i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.
ii. Segment- wise result includes interest on overdue bills/ deferred accrued interest for Rs.4428907.
iii. Segment-wise result includes liabilities/ provisions written back for Rs. 1469905 (credit) , previous year adjustments for Rs. 537405 (Credit) and provisions & write off etc made for Rs. 3628125 (Debit).

(राशि रु.में)

[k½	f}rh;d lpuk	{k= dk uke	[kM&okj jktLo
1	ऐसे खंड जिनका राजस्व सभी भौगोलिक खंडों के कुल राजस्व का 10ः अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड–वार राजस्व	आरओ पानीपत	9001665763
		आरओ कोयम्बटूर	8711823191
		आरओ हैदराबाद	2252213777
		क्षेत्र का नाम	परिसंपततियां
2	ऐसे खंड जिनकी परिसंपततियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपततियां का 10ः अथवा उससे अधिक है, के लिए भौगोलिक अवसथिति के अनुसार खंड–वार परिसंपततियां	आरओ पानीपत	1332003769
		आरओ कोयम्बटूर	565963495
		आरओ हैदराबाद	338141531
		क्षेत्र का नाम	नियत परिसंपततियों में की गई वृद्धि
3	ऐसे खंड जिनकी परिसंपततियां सभी भौगोलिक खंडों की कुल परिसंपततियां का 10ः अथवा उससे अधिक है, के लिए नियत परिसंपततियों में की गई वृद्धि	आरओ पानीपत	286809
		आरओ कोयम्बटूर	147578
		आरओ हैदराबाद	204239

6 मौजूदा समीक्षाधीन अवधि के अंत में बनाए गए तुलन–पत्र के साथ संलग्न नोट 1 से 31 व महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा लाभ संबंधी विवरण एवं हानि तथा वर्ष की समाप्ति की तारीख को इक्विटी एवं नकदी अंतरप्रवाह में परिवर्तन लेखाओं का अभिन्न अंग है।

7 जहां कहीं पूर्व वर्ष के आंकड़ों का मौजूदा आंकड़ों के साथ तुलना करना आवश्यक प्रतीत हुआ वहां पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनरू व्यवसथित/पुनरू समूहीकृत किया गया है।

8 आंकड़ों को नजदीकी पूर्णांक रु. के रूप में दर्शाया गया है।

g-@&
t; xkiky egktu
mi egkçcèkd ¼fo-y-½@diuh lfpo

g-@&
uohu dekj xIrk
vfèk'kklh fun'kd ¼foRr½

g-@&
loiYyh Jhfuokl
çcèk fun'kd

g-@&
vkyksd dekj
vè;{k

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार

ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

(Amount in Rs.)

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Panipat	9001665763
		RO Coimbatore	8711823191
		RO Hyderabad	2252213777
		Name of the Region	**Assets**
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Panipat	1332003769
		RO Coimbatore	565963495
		RO Hyderabad	338141531
		Name of the Region	**Addition to Fixed Assets**
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	RO Panipat	286809
		RO Coimbatore	147578
		RO Hyderabad	204239

6 Note 1 to 31 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

7 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.

8 Figures have been rounded off to the nearest rupee.

Sd/-
Jai Gopal Mahajan
Dy.Gen.Mgr. (F&A)/
Company Secretary

Sd/-
Naveen Kumar Gupta
Executive Director(Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Alok Kumar
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 16 September, 2016

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी

(राशि रु. में)

समीक्षाधीन अवधि के प्रारंभ में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि
190000000	–	190000000

(ख) अन्य इक्विटी

(राशि रु. में)

	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय साधनों के इक्विटी घटक	रिजर्व्स एवं अधिशेष				अन्य समग्र आय के जरिए ऋण विलेख	नकदी अंतप्रवाह पर प्रभावी भाग	अधिशेष का पुनर्मूल्यांकन	एक विदेशी कार्यकलाप के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय संबंधी मतभेद	अन्य समग्र आय की अन्य मदें (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें)	शेयर वारंट्स के बदले प्राप्त की गई धनराशि	कुल
			पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	अन्य रिजर्व्स (कृपया स्वरूप का उल्लेख करें) विकासात्मक कार्यकलाप एवं चिकित्सा निधि के लिए रिजर्व	प्रतिधारित आय							
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में शेष राशि					6407744	488799853							
पूर्व की अवधि संबंधी त्रुटियों की लेखांकन नीति में परिवर्तन					–	–							
समीक्षाधीन अवधि की शुरुआत में पुनरू उल्लिखित शेष राशि					–	–							
कुल समग्र आय					–	–							
लाभांश						73100000							
प्रतिधारित आय का अंतरण					8843485	240792674							
कोई अन्य प्रभार (निर्दिष्ट करने के लिए)					5563327	23441698							
समीक्षाधीन अवधि के अंत में शेष राशि					9687902	633050829							

ह./–
जय गोपाल महाजन
उप महाप्रबंधक (वि.ले.)/कंपनी सचिव

ह./–
नवीन कुमार गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
आलोक कुमार
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार
ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW

STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(A) Equity Share Capital

(Amount in Rs.)

Balance at the beginning of the reporting period	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
190000000	-	190000000

(B) Other Equity

(Amount in Rs.)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period					6407744	488799853							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						73100000							
Transfer to retained earnings					8843485	240792674							
Any other change (to be specified)					5563327	23441698							
Balance at the end of the reporting period					9687902	633050829							

Sd/-
Jai Gopal Mahajan
Dy.Gen.Mgr. (F&A)/
Company Secretary

Sd/-
Naveen Kumar Gupta
Executive Director(Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Alok Kumar
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 16 September, 2016

jk"Vh; gFkdj?kk fodkl fuxe fyfeVM] y[kuÅ
31 ekp] 2016 dk lekIr o"k d fy, udnh vr%çokg dk fooj.k

(राशि रु. में)

		fooj.k	2015&16	2014&15
(क)		प्रचालन कार्यकलापों से नकदी अंतरूप्रवाह		
		कर पूर्व लाभ	369741448	386007683
		समायोजनः		
	i	मूल्यह्रास	4047596	4897931
	ii	विकासत्मक कार्यकलापों/चिकित्सा निधि पर किया गया व्यय		
		संगत निधि से प्रभारित किया गया	–5279842	–2843606
	iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया आयकर प्रावधान	–3465759	–8250
	iv	परिसंपतियों की बिक्री पर हानि	32414	37242
	v	परिसंपतियों की बिक्री पर लाभ	–1147	–115222
		पूंजीगत परिवर्तन संबंधी कार्य करने से पूर्व प्रचालन लाभ	365074710	387975778
		कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
		(नकदी एवं बैंक जमा राशियों को छोड़कर)		
		वृद्धि/कमीः		
	i	माल	–1685343	–4083583
	ii	बुक–ऋण	–480762594	–270253939
	iii	ऋण और अग्रिम	–40710976	52218491
	iv	प्राप्तियां	993247140	–908801253
	v	व्यापार एवं अन्य देय	161567497	734485586
		कार्यकलापों से सृजित नकद राशि	996730434	–8458920
		कमः आयकर का भुगतान	–124272778	–138326750
		कार्यशील गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (क)	872457656	–146785670
(ख)		निवेश कार्यकलापों से नकदी अंतःप्रवाह		
	i	नियत परिसंपतियों की बिक्री	3600	195900
	ii	नियत परिसंपतियों/डब्ल्यूआईपी में की गई वृद्धि	–5726752	–80242915
		निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ख)	–5723152	–80047015
(ग)		वित्तीय गतिविधियों से नकदी अंतःप्रवाह		
	i	लाभांश का भुगतान	–61502938	–28195795
		वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतःप्रवाह (ग)	–61502938	–28195795
(घ)		नकदी एवं नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	805231566	–255028480
(ड.)		नकदी एवं नकद समतुल्य – प्रारंभिक शेष	404783936	659812416
(च)		कुल	1210015502	404783936
(छ)		नकदी एवं नकद समतुल्य – समापन शेष	1210015502	404783936
		नकदी एवं नकद समतुल्यः		
1		रोकड़ शेष	0	45009
2		बैंक में चालू और सावधि जमा खाते में शेष राशि	1210015502	404738927
		कुल	1210015502	404783936

नोटः

1. अप्रत्यक्ष पद्धति के अंतर्गत नकदी अंतःप्रवाह संबंधी विवरण तैयार किया गया है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस–3 में निर्धारित किया गया है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े जहां कहीं अनुप्रयोज्य हैं, उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

ह./–
जय गोपाल महाजन
उप महाप्रबंधक (वि.ले.)/कंपनी सचिव

ह./–
नवीन कुमार गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
आलोक कुमार
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार
ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2016

(Amount In Rs.)

	PARTICULARS	2015-16	2014-15
(A)	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Profit before tax	369741448	386007683
	Adjustments :		
i	Depreciation	4047596	4897931
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus		
	charged to relevant fund	-5279842	-2843606
iii	Income tax provision written back during the year	-3465759	-8250
iv	Loss on Sale of Assets	32414	37242
v	Profit on Sale of Assets	-1147	-115222
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	365074710	387975778
	CHANGES IN WORKING CAPITAL	`	`
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	-1685343	-4083583
ii	Book-debts	-480762594	-270253939
iii	Loans & Advances	-40710976	52218491
iv	Receivables	993247140	-908801253
v	Trade & other Payables	161567497	734485586
	Cash Generated from Operations	996730434	-8458920
	Less : Income Tax paid	-124272778	-138326750
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITES (A)	872457656	-146785670
(B)	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
i	Sale of Fixed Assets	3600	195900
ii	Addition to Fixed Assets/W.I.P	-5726752	-80242915
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	-5723152	-80047015
(C)	CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
i	Payment of Dividend	-61502938	-28195795
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-61502938	-28195795
(D)	NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)	805231566	-255028480
(E)	CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALANCE	404783936	659812416
(F)	TOTAL	1210015502	404783936
(G)	CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE	1210015502	404783936
	Cash & Cash Equivalent represent :		
1	Cash in Hand	0	45009
2	Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	1210015502	404738927
	Total	1210015502	404783936

Notes :

1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Sd/-
Jai Gopal Mahajan
Dy.Gen.Mgr. (F&A)/
Company Secretary

Sd/-
Naveen Kumar Gupta
Executive Director(Finance)

Sd/-
Sarvepalli Srinivas
Managing Director

Sd/-
Alok Kumar
Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 16 September, 2016

dEiuh vfèkfu;e] 2013 dh vuqlwph 3 ds vuqlj.k esa lwpuk] rqyu&i= rFkk dEiuh dh lkekU; O;kolkf;d :i js[kk

i) iathdj.k lwpekaì C;kjk %	
सीआईएन सं.	U17299UP1983GOI005974
पंजीकरण सं.	5974 / 83
राज्य का कोड	20
तुलन–पत्र की तारीख	31–03–2016
ii) o"kZ ds nkSjku c<kbZ xbZ iwath ¼jkf'k #- esa½ ftls Hkkjr ljdkj }kjk lClØkbc fd;k x;k	&
iii) fuf/k;ksa dh xR;kRedrk rFkk muds fu;kstu dh fLFkfr ¼jkf'k #- esa½	
dqy nf;rk,a	dqy ifjlifr;ka
4481836839	4481836839
निधियों का स्रोत	
चूकता पूंजी	190000000
रिजर्व एवं अधिशेष	642738731
आस्थगित कर देयता (निवल)	–27116587
समग्र निधि (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	214082615
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	0
मौजूदा देयताएं	3462132080
निधियों का अनुप्रयोग	
निवल नियत परिसंपतियां – वास्तविक	116829903
– अवास्तविक	155196
प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य	6285800
समग्र निधि का नियोजन (विपणन परिसर एवं मेगा क्लस्टर)	214082615
अन्य गैर मौजूदा देयताएं	396078
मौजूदा परिसंपतियां	4144087247
iv) dEiuh dk dk;Zfu"iknu	
कारोबार	24060442984
कुल व्यय	23690701536
कर पूर्व लाभ	369741448
कर पश्चात लाभ	240792674
प्रति शेयर आय रु. में	126.73
लाभांश (शेयर पूंजी का %)	38.47%
v) dEiuh ds çeq[k mRikn dk tsusfjd uke	
उत्पाद का वर्णन	मद कोड सं. (आईटीसी कोड)
सूत	5208(कपास)
डाई एवं रसायन	3204(डाई)
कपड़ा	लागू नहीं

ह./–
जय गोपाल महाजन
उप महाप्रबंधक (वि.ले.)/कंपनी सचिव

ह./–
नवीन कुमार गुप्ता
अधिशासी निदेशक (वित्त)

ह./–
सर्वपल्ली श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक

ह./–
आलोक कुमार
अध्यक्ष

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
ए.श्रीवास्तव एवं का. के लिए
सनदी लेखाकार

ह./–
सी.ए. अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
साझेदार
एम.नं. 089673
एफ.आर.नं. 511001C

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 16 सितम्बर, 2016

INFORMATION PURSUANT TO SCHEDULE III TO THE COMPANIES ACT, 2013, BALANCE SHEET AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

i) Registration details:	
CIN No.	U17299UP1983GOI005974
Registration No.	5974/ 83
State Code	20
Date of Balance sheet	31-03-2016
ii) Capital raised during the year (Amount in Rs.) subscribed by Government of India.	-
iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs.)	
Total Liabilities	**Total Assets**
4481836839	**4481836839**
Sources of Funds	
Paid up Capital	190000000
Reserve & Surplus	642738731
Deferred tax liability (net)	-27116587
Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	214082615
Other Non Current liabilities	0
Current liabilities	3462132080
Application of Funds	
Net Fixed Assets - Tangible	116829903
- Intangible	155196
Capital work in progress	6285800
Deployment of Corpus Fund (Marketing Complex & Mega Cluster)	214082615
Other Non Current Assets	396078
Current Assets	4144087247
iv) Performance of the company	
Turnover	24060442984
Total Expenditure	23690701536
Profit before Tax	369741448
Profit after Tax	240792674
Earning per share in Rupees	126.73
Dividend (% age of Share Capital)	38.47%
v) Generic name of the principal product of the company	
Product description	Item Code No. (ITC Code)
Yarn	5208(Cotton)
Dyes & Chemicals	3204(Dyes)
Fabric	N.A.

Sd/- Jai Gopal Mahajan Dy.Gen.Mgr. (F&A)/ Company Secretary	Sd/- Naveen Kumar Gupta Executive Director(Finance)	Sd/- Sarvepalli Srinivas Managing Director	Sd/- Alok Kumar Chairman

As per our Report of even date
For A Srivastava & Co.
Chartered Accountants

Sd/-
CA Akhilesh Kumar Srivastava
Partner
M.No. 089673
F.R.No. 511001C

Place: New Delhi
Date: 16 September, 2016